

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी ढाह्याभाई देसाई
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद - १४

हिन्दी आवृत्तिके सर्वाधिकार नवजीवन ट्रस्टके अधीन

पहली आवृत्ति ३०००

जुलाई, १९६२

अद्वैत योगकी नवीन संस्कृति

श्री जवेरभाई पटेलने यह छोटीसी पुस्तक लिखकर देशकी बड़ी कीमती सेवा की है। इस पुस्तकका उद्देश्य इतना ही नहीं है कि ग्राम-जीवनमें अनेक प्रकारके मुधार करके ग्रामवासियोंको अधिक सुखी बनाया जाय। देशकी जनताकी हमने इतनी घोर उपेक्षा की है और लोक-जीवनमें हमने इतने अधिक प्रश्न खड़े कर दिये हैं कि अब छोटे-मोटे मुधार करनेसे काम नहीं चलेगा। अब तो सपूर्ण समाज-रचनाके ही जड़मूलसे बदलनेका समय आ गया है। और इस नई रचनाको अहिंसाके आधार पर खड़ा नहीं किया गया, तो मानव-जाति सुरक्षित नहीं रहेगी और न सामान्य मानव ही सुखी होगा।

अहिंसक समाज-रचनाके दो मुख्य लक्षण हैं (१) समाजका आदमी छोटा हो या बड़ा, हम उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे। उसके सुख-दुःखकी उपेक्षा नहीं करेंगे। हमारे पास जो भी कुशलता हो, साधनोंकी सुविधा हो और अनुभवसे विकसित की हुई जो भी मूल-बुद्धि हो, उस सबका लाभ समाजके प्रत्येक ब्यक्तिको निरपवाद रूपसे मिलना ही चाहिये। यह अहिंसाका पहला लक्षण है। अब हम इस बातको समझने लगे हैं कि मानव-परिवारके किसी भी सदस्यके प्रति मनमें उपेक्षाका भाव रखना हिंसाका ही एक प्रकार है। यदि हम पूरी तरह इस वस्तुको समझे न हो, तो हमें इसे समझना ही होगा। (२) समाजका कोई ब्यक्ति अच्छी स्थितिमें हो, उसके पास कुशलता हो, साधन-संपत्ति या अधिकार हो और आवश्यक धूर्तता भी हो और इस वजहसे यदि वह दूसरे किसीकी दुर्दशाका लाभ उठाकर उसे चूसे, उसे हीन समझे अथवा उसे हीन स्थितिमें रखे और उसके श्रमका अनुचित लाभ उठावे — थोड़ेमे उसका क्षोभण करे, उसे दवाये और उसे उन्नति करनेका अवसर न मिलने दे, तो यह बड़ीसे बड़ी हिंसा है। यह हिंसा आज ससारमें इतनी ज्यादा फैली हुई है और इतने अधिक विभिन्न रूपोंमें प्रगट होती है कि ऐसा कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि

शोषण ही आजके युगका विश्वव्यापी महारोग है। शोषक और शोषित दोनोंको इस महारोगसे मुक्त करना आजके युगका सबसे महान युगकार्य है। मानव-समाज यदि इस रोगसे मुक्त हो सका, तो कहा जायगा कि विश्वमें सत्ययुगका आरम्भ हो गया।

हमारे देशमें बहुजन-समाज प्राचीन कालसे गावमें ही रहता आया है। खेती, वनस्पति, पशु-पक्षी, भेघराज, नदिया और ऋतुओका चक्र — ये सब हमारे जीवनके मुख्य प्राकृतिक अंग हैं। इन सबका एकसा विचार करके हमने अपनी सस्कृतिकी नींव डाली और उस नींव पर अपनी विश्वकल्याणमयी सस्कृतिका विशाल प्रासाद खड़ा किया। हमारा सार्वभौमिक शुद्ध था और शुभ था। परन्तु उसे सिद्ध करनेमें हमें सदा मफलता मिली है, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

हमने लोक-कल्याणके लिए समाजका सगठन किया, धर्मसंस्था द्वारा उसका नियमन किया तथा राज्यसत्ता द्वारा उसे सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सतोषकारक बनानेका प्रयत्न किया। इस प्रयत्नमें हमें उस युगकी दृष्टिमें काफी सफलता मिली। परन्तु धर्म द्वारा स्थापित की हुई चातुर्वर्ण्य व्यवस्थामें तथा राज्यसत्ता द्वारा चलाये गये बाह्य नियंत्रणमें बुनियादी दोष थे। जहां राज्यसत्ता खड़ी हुई वहां राजधानी भी खड़ी हुई शहर बसे, तथा समाजमें पौर और जानपद — शहरी और देहाती — जैसे भेद पड़े। ये भेद एक दृष्टिसे स्वाभाविक माने जायगे। परन्तु दानोमें मानव-जीवनकी कृत्रिमता बड़ी, और सस्कृतिका विस्तार चाह जितना हुआ हो, फिर भी समाजकी नींवमें कृत्रिमता, अन्याय और अज्ञानता का बीज पड़ गये।

प्रचलित हो गई कि वड़ीसे वड़ी आफत आ पड़े तो भी शहर नहीं छोड़ा जा सकता।

शहरी जीवनका आकर्षण केवल हमारे ही देशमें नहीं है, परन्तु यूरोप-अमेरिकामें — सारी दुनियामें ही है। पिछले महायुद्धमें बमबर्षासे शहरोंके बड़े बड़े मकान जमींदोज होने लगे थे, फिर भी कुछ लोग गावोंमें जानेके बजाय उन मकानोंके खडहरोंके तहखानोंमें रहना ज्यादा पसन्द करते थे। गावोंमें बमका डर कम रहने पर भी लोग वहाँ जानेकी बातको भरसक टालते थे। ऊपरकी कहावत वहाँ अक्षरशः लोक-मान्य बन गई थी।

फिर भी हमारे देशमें ८० प्रतिशत लोग गावोंमें ही बसते हैं। जब तक मनुष्य देहधारी है तब तक अन्नके बिना उसका काम चल ही नहीं सकता। और पशु हो या मनुष्य, भोजन तो उसको जमीनसे ही मिलने-वाला है। इस कारण मानव-संस्कृतिका काम जमीन, खेती, बगीचे, दुग्धालय, भेड़-बकरी तथा मुर्गी या मछलीके बिना चल ही नहीं सकता। शहर चाहें जितने फल-फूल जाय, लेकिन उनका आधार तो खेती-प्रधान गावों पर ही सदा रहनेवाला है।

संसारका नेतृत्व भले ही शासकों, सेनापतियों, न्यायाधीशों, विद्वानों और व्यवसायियों तथा उद्योगपतियोंके हाथमें हो, परन्तु जगतका पिता तो अंतमें किसान ही है।

इस किसानका, उसके गावोंका और इन दोनोंके आमपास विकसित जीवनका भविष्यमें क्या होगा? और क्या होना चाहिये? — इसीका चिन्तन करनेवाली और इस सम्बन्धमें कीमती सूचनाएँ देनेवाली यह पुस्तक है।

विदेशी भाषाओंमें संपूर्ण समाजकी पुनर्रचना करनेकी आवश्यकता तथा पद्धतिका विचार करनेवाला अत्यन्त कीमती साहित्य पर्याप्त मात्रामें उपलब्ध है। इसके पीछे उन उन देशोंका अनुभव और उन उन प्रजाओं द्वारा दिव्यमित्र किया हुआ आदर्श होता है। इन दोनोंका प्रतिबिम्ब लिये हुए संश्लेष और पुस्तकें हमारे देशमें दिखाई देने लगी हैं। परन्तु भारतकी परिस्थितिका विचार करके व्यवहारमें उतारा जा सकनेवाला चिन्तन

बहुत थोड़ा दिखाई देता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि श्री शंवेरभाई पटेलकी पुस्तकका इस दृष्टिसे विशेष महत्त्व है। वह इस बमीको पूरा करती है।

सामान्य कालेजोमें प्राप्त होनेवाली शिक्षा ग्रहण करके श्री शंवेरभाई जब गुजरात विद्यापीठमें आये, उस समय उसकी पुनर्रचना हो रही थी और गाधीजीकी सूचनाके अनुसार भारतके सच्चे अर्थशास्त्रकी नीव डाली जा रही थी। गाधीजीने कहा था कि परिचमके अर्थशास्त्रको भूल जाओ; अपने पूर्वग्रहोको त्याग दो। गावोंमें जाकर वहाँकी परिस्थितिका अवलोकन करो, गहराईमें उतर कर लोक-जीवनके गुण-दोषोंकी जाच करो और इस ठोस तथा मजबूत बुनियाद पर ऐसे स्वतंत्र और लाभदायी अर्थशास्त्रकी रचना करो, जो भारतकी परिस्थितियोंके अनुकूल हो तथा देशके सामान्य जनका उद्धार कर सके।

गाधीजीकी इस सूचनाके अनुसार मैंने श्री कुमारप्पाको गुजरातके एक तालुकेका सर्वांगीण सर्वेक्षण (Survey) करनेका काम सौंपा और उनकी मददके लिए विद्यापीठके दो प्रौढ विद्यार्थी उन्हें दिये। उनमें से एक श्री शंवेरभाई पटेल थे।

मेरा विचार उस तालुकेका सर्वांगीण सर्वेक्षण करनेका था, जिससे समाजशास्त्रकी दृष्टिसे जीवनके सभी पहलुओका अध्ययन हो सके। परन्तु सरदार वल्लभभाईने सुझाया कि फिलहाल तालुकेकी आर्थिक जाच करके ही हम सतोष मानें। मैंने उनकी दूरदर्शितापूर्ण सूचनाको मान लिया। इसके फलस्वरूप मातर तालुकेकी जाचकी रिपोर्ट आज देशके सामने है। उसीके आधार पर बादमें देशके अन्य स्थानोंमें भी जाच हुई। स्वराज्यकी लड़ाईने उग्र रूप धारण न किया होता, तो यह कार्य चारों ओर फैलता।

उसके बाद दाडी-कूच और नमक-सत्याग्रहकी लड़ाई चली। विद्यापीठको सरकारने जब्त कर लिया। गाधीजीने अपने सत्याग्रह आश्रमका विमजन कर दिया और हम सब वर्धा चले गये। वहाँ गाधीजीने खादीकी सहायतामें ग्रामोद्योगोके पुनरुद्धारकी नई प्रवृत्ति

आरम्भ की। उन्होंने श्री कुमारप्पाको इसके लिए बुलाया और मैंने श्री झवेरभाईको बुलाकर श्री कुमारप्पाकी मददमें रखा।

वधामें श्री झवेरभाईको गांधीजीके प्रत्यक्ष मार्गदर्शनका लाभ मिला। श्री कुमारप्पाका नेतृत्व तो उन्हें मिला ही। उस वातावरणमें श्री झवेरभाईने तेल-उद्योगकी तथा घानीकी स्थितिकी जांच करनेके लिए सारे भारतकी यात्रा की, दोनोका वैज्ञानिक अध्ययन किया तथा ग्रामजनोंके भोजन, उनके रहन-सहन, आर्थिक स्थिति, जीवन-मगडन आदिकी जांच की। इसके फलस्वरूप वे ग्राम-जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले सारे प्रश्नोंसे परिचित हुए।

स्वराज्य-प्राप्तिके बाद भारत-सरकारने योजना-आयोगकी स्थापना की। और शहरों तथा गांवोंके सारे प्रश्नोंका अध्ययन करके देशका मार्गदर्शन करनेका कार्य उसे सौंपा। इस कार्यमें सम्मिलित होना श्री झवेरभाईके लिए स्वाभाविक ही था। वहा रहकर उन्होंने भारतके गांवोंके प्रश्नोंका गहरा अध्ययन किया, अखिल भारतीय अकोंके आधार पर अपने मिडलान्त बनाये और सम्बन्धित लोगोंके समक्ष अपने ढंगसे उन्हें प्रस्तुत किया। बीचमें श्री जवाहरलालजीकी सूचनामें गांधी स्मारक निधिने गांधी-घर स्थापित करनेकी योजना पर अमल किया। उसमें श्री झवेरभाईको अपने विचारों तथा अपनी सूचनाओंके अनुसार प्रयोग करनेका कीमती मौका मिला।

गैम टोम अनुभव तथा गहरे चिन्तनके फलस्वरूप उन्होंने जवाहर-लालजीकी दूसरी एक सूचनाके अनुसार अनेक सघन क्षेत्रोंमें स्थानीय लोगोंकी ही मूख-बूझमें ग्राम-विकास सिद्ध करनेके प्रयोग आरम्भ किये।

मामूहिक विकास (कम्प्युनिटी डवलपमेण्ट) के प्रयोग अभी देशमें चलते ही हैं। उन प्रयोगोंके साथ इन सघन क्षेत्रोंके स्वयम् विहासकी योजनाकी तुलना जरूर होगी। श्री झवेरभाईने अपने कार्यके बारेमें थोड़ा थोड़ा टोम माहित्व हमें दिया है। उस माहित्यका मार हमें इस पुस्तकमें मिलना है। परिस्तिनियस उन्होंने यह पुस्तक पहले अंग्रेजीमें लिखी। परन्तु गांधीजीकी पद्धतिमें काम करनेवालेको इतनेसे सतोप कैसे हो सकता था? जिन लोगोंके लिए उनका यह सारा चिन्तन

चलता है और जिनके आधार पर भिन्न भिन्न प्रयोग किये जाते हैं, उनके कानों तक तो यह सब पहुंचना ही चाहिये। इसलिए श्री जवेरभाईने तुरन्त ही अपनी पुस्तकका गुजराती अनुवाद कराया। और अब यह हिन्दीमें भी प्रकट हो रही है।

आशा है कि सरकार तथा प्रजा इस गहरे चिन्तनका रहस्य समझ लेगी और इसमें दौं गई सूचनाओं पर निश्चिन्त योजना बनाकर अमल करेगी।

आज तक हमारे देशमें पूंजीवाद, समाजवाद तथा साम्यवादकी बहुत चर्चा हुई है। विदेशी चर्चाका चर्चितचर्चण करनेके सिवा विशेष कुछ इस चर्चामें नहीं था। भारत-सरकारके सामने यह केवल चर्चाका विषय नहीं था। राज्य कैसे चलाना चाहिये, कौनसे सिद्धान्तोंको मान्यता देनी चाहिये, प्रजाहितकी योजनाओंकी दृष्टिसे क्या हो सकती है—इन सारे प्रश्नोंका व्यावहारिक और ठोस हल उसे खोजना था।

देशकी बेकारी कैसे दूर की जाय? हर आदमीको काम या रोजी कैसे दी जाय? अन्नके बारेमें हमारी प्रजा विदेशों पर निर्भर न रहे इस प्रकारकी स्थिति कैसे पैदा की जाय? देशमें छोटे और बड़े सभी उद्योगोंको कैसे विकसित किया जाय? इतने विशाल देशके सरक्षणकी पूरी तैयारी करनेके लिए देशमें उद्योग-धन्धे बढाकर उसकी संपत्ति और माधन-सामग्री कैसे बढाई जाय?—ऐसे ऐसे अनेक बड़े प्रश्न हमारे सामने मूढ़ वाये खडे हैं। इसीमें से ग्रामोद्योगोंको प्रोत्साहन देकर बेकारी दूर करनेकी बात पैदा हुई। सहकारी खेती, सहकारी ग्रामोद्योगों और सहकारी जीवनके बिना हम आगे नहीं बढ सकते, यह वस्तु पूरी तरह हमारी समझमें आई। और इसके फलस्वरूप गांधीजीके अर्थशास्त्रकी हमें नये मिररेमें परीक्षा करनी पडी।

गांधीजीके अर्थशास्त्रमें एक पक्ष यह विचार रखता है कि 'घरखेते तकली अच्छी है, बगैरे हम जिनने बच सकें उतना ही अच्छा, जीवन सादा और मध्ययुगके जमानेका बिनाया जा सके तो अच्छा।' इसके

विरुद्ध ऐसे प्रश्न पूछनेवाले लोग गांधी-मंडलमें ही लड़े हो गये हैं — 'जीवनकी प्राथमिक आवश्यकतायें पूरी करनेमें ही जीवनका सारा समय और जीवनकी बहुत सारी शक्ति खर्च करनी हो और कमसे कम सामाजिक सगठन करके केवल स्वावलम्बनको ही जीवनमें प्रधानता देनी हो, तो आदिवासियोंका जीवन क्या बुरा है? उन्हींकी सस्कृतिको हम क्यों न अपना लें?'

जिम दिन हमने अवर चरखेको स्वीकार किया उसी दिन हम ममज्ञ सके कि इन दो विचारोंके बीच मौलिक सिद्धान्त-भेद है। स्वराज्य-प्राप्तिके बाद केवल आदर्श प्रयोग करके हम सन्तोष नहीं मान सकते थे। राष्ट्रके सभी प्रश्नोंको हल करनेकी जिम्मेदारी स्वीकार करना ही स्वराज्य है, यह बात स्पष्ट हो जानेके बाद वस्तुस्थितिकी उपेक्षा करने तथा बाल्यात्मिक जगतमें विहार करनेकी गुंजाइश नहीं रही। किसी भी प्रश्नके सामने आने पर गांधीजी सत्य और अहिंसाके आदर्शको पुनः याद करके परिस्थितिके अनुसार उमे हल करनेका कैसा प्रयत्न करते थे तथा जिस आदर्शको व्यवहारका रूप नहीं दिया जा सकता उस आदर्शमें ही दाव है ऐसा कहकर वे प्रत्येक प्रवृत्तिको कैसा नया मोड़ देने थे, यह जिन लोगोंने उनके माथे रहकर नजदीकमें देखा है, वे अब मौलिक दृष्टिके इस प्रश्न पर सोचने लगे हैं।

विज्ञान हमारा शत्रु नहीं है। और अज्ञानके चिपटे रटकर हम प्रगति नहीं कर सकते, इतनी बात जिन्होंने अच्छी तरह समझ ली है वे गांधीजी पुनर्रचनाकी बात पर नई दृष्टिके सोचने लगे हैं।

गन्ध पूछा जाय तो अब एक गांव एक घटकके रूपमें अपना काम नहीं कर सकता। जिनके लोगोंका जीवन अनिवार्यतः परस्पर अंतर्ग्रहीत होनेवाला है उनमेंका एक घटक मान कर उन सबके बीच महत्कार सिद्ध किया जाय, तो ही मानव-जाति प्रगति कर सकती है यह बात दोबारा बताना स्पष्ट है। ऐसा करनेके लिए हमें पुगने विचारोंको छोड़ देना पड़ेगा, पुगनी परम्पराके बाहर निकलना होगा। दिन लोंगोंके जीवनकी मात्र गन्ध हमने उपेक्षा की है उनके जीवनमें हमें अंतर्ग्रहीत होना पड़ेगा तथा स्मारक सगठनकी भावना बाहर स्वावलम्बनकी

अपेक्षा समान भूमिका पर रचे हुए और आत्मोद्यताके भावसे पुष्ट बने हुए परस्परबलम्बनका विकास करना होगा।

यह जड़मूलसे होनेवाली जीवन-क्रांति है। इसके लिए (१) विचार-परिवर्तन, (२) जीवन-परिवर्तन और (३) समाज-परिवर्तनकी त्रिविध क्रांति सिद्ध करना अनिवार्य है। यह सच है कि विचार-परिवर्तनसे ही मनुष्य अन्य दो परिवर्तन करनेके लिए तैयार होता है; परन्तु जीवन ऐसी गूढ़ वस्तु है कि उसमें ये तीनों परिवर्तन किसी क्रमसे नहीं होते, बल्कि एक-दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। कभी कभी समाज-परिवर्तन हो जानेके बाद ही मनुष्य विचार-परिवर्तनके लिए तैयार होता है। इसलिए ये तीनों क्रांतियाँ एकसाथ ही की जानी चाहिये। एकके बाद एक क्रांति करके अगरे रुकेंगे, तो इसी एक बातके कारण हमें असफलताका सामना करना पड़ेगा। विचार और आचार साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए इन दोनोंको जीवनके दो पख कहा गया है। एक पखके आधार पर कोई पक्षी आकाशमें उड़ नहीं सकता।

हम शहर और गाँवकी बात कर रहे थे। शहरका अर्थ है रुधा हुआ जीवन धनी वस्ती, कव्तरखानों जैसे मकान, सकरी गलियाँ और गदगे मुहल्ले। खेतों, बगीचों, वनस्पति, पशु-पक्षी और खुले आकाशका अभाव। सारी चीजें बाजारमें जाकर खरीदना। पैसेके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता और पैसा हो तो सब कुछ मिल सकता है ऐसी मान्यता। ऐसे जीवनका नाम शहर है। इस स्थितिको सुधारनेके सदियोंसे निरन्तर प्रयत्न चल रहे हैं। उनमें सफलता भी मिलती है। फिर भी शहरका जीवन यानी रुधा हुआ जीवन, यह दोष तो दिनोदिन बढ़ता ही जाता है। शहरका जीवन 'जीवन-विहीन जीवन' है, ऐसा वर्णन हमें पसन्द नहीं आयेगा, परन्तु इसमें जरासी भी अतिशयोक्ति नहीं है। शहरी जीवनको सुधारनेका एक ही उपाय है। वह यह कि पहले गाँवको मुबारक आय। शहरी पर गाँवका जो आधार है उसे कम किया जाय और जीवनके लिए सच्चे अर्थमें उपयोगी सारी सुविधायें गाँवमें पहुँचा दी जाय। गाँवकी संस्कृति यदि सुधर जाय, अद्यतन हो जाय, तो शहरका समस्या अपने-आप हल हो जायगी।

जब कभी संपत्तिके समान बटवारेकी बात निकलती है तब एक सीधा और सच्चा प्रश्न यह पूछा जाता है—'सबमें समान रूपसे बांटी जा सके इतनी संपत्ति हमारे पास है क्या? दखिताका समान बटवारा करनेसे भला किसका लाभ होगा?'

इसलिए संपत्तिके बटवारेकी बात तभी की जा सकती है, जब हमने पर्याप्त मात्रामें सम्पत्ति उत्पन्न की हो। और यह तो बिलकुल स्पष्ट है कि अधिक सम्पत्ति तभी उत्पन्न होगी जब कुशलताने संपत्ति उत्पन्न करनेवाले लोग देशमें अधिक मर्याममें हो तथा संपत्तिको आकार देनेके लिए हमारे पास पूरा कच्चा माल भी हो या हमने उसे उत्पन्न किया हो। और यह सब तभी सम्भव होगा जब हम यंत्रणमें लोगोंको शामिल करें, उनमें संपत्ति उत्पन्न करनेका रस पैदा करें और कच्चा माल तथा तैयार माल एक-दूसरेको पट्टवानेवाले लोगोंमें शत्रुता नहीं परन्तु आत्मीयता उत्पन्न करें।

विज्ञान, संगठन तथा परस्पर आत्मीयता इन तीनोंके मिलने ही अब हम मनुष्यकी दखिताको मिटा सकेंगे तथा दिनोदिन बढ़ती जा रही जनसंख्याके प्रश्नको हल कर सकेंगे।

और अब बेचरद गर्भिन बढ़ानेके उद्देश्यों नजरके सामने रखनेमें काम नहीं चलेगा। संपत्ति प्राप्त करनेके बाद अन्तमें जो सुविधाएँ, सुख, शान्ति और सम्पत्ति हम प्राप्त करना अथवा विकसित करना चाहते हैं, उनमें लिए हम अलग योजना और अलग प्रवृत्ति विकसित करें? जीवनकी प्रवृत्ति ही ऐसी क्या न हो, जो जीवनकी सारी आवश्यकताएँ पूरी करे?

यह इनारे सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। आज तक हमने अपनी अधिकांश प्रवृत्तियाँ व्यक्तिगत पुरुषार्थके जोर पर बढ़ाईं। संपत्ति उत्पन्न करना, ज्ञान प्राप्त करना, अनुसंधान करना समाजसेवा करना, त्याग करना—इन सबके पीछे व्यक्तिकी प्रेरणा, व्यक्तिगत पुरुषार्थ और व्यक्तिगत शान्ति रहता था। इसमें दूसरोंकी शान्तिता को तो भाँसा ही, परन्तु सबदूर, बारीकरी या बरबुरनक रूपमें, मर्यादाके रूपमें नहीं।

ऐसी समूची व्यवस्थाको आजकल 'प्राइवेट सेक्टर' कहा जाता है।

समाजवाद तथा साम्यवाद इस व्यवस्थाका विरोध करके प्रजाकी सम्भतिसे स्थापित सरकार द्वारा लोक-कल्याणके सारे कार्य करना चाहते हैं। इसमें व्यक्तिके हाथमें नहीं परन्तु समष्टिके प्रतिनिधियोंके हाथमें सपूर्ण सत्ता रहती है। और केन्द्रीकरणके सारे दोष देखते ही देखते उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। आजकी सरकारें इसे 'पब्लिक सेक्टर' कहती हैं। परन्तु वास्तवमें यह 'स्टेट सेक्टर' है। इस सरकारी सेक्टरमें कल्पना सरकारी, योजना सरकारी, उसे व्यवहारका रूप देनेवाले लोग भी सरकारी होते हैं और सारा नियंत्रण एक सरकारी केन्द्रमें होना है। इसमें लोगोकी मूझ-बूझ, लोगोके उत्साह तथा लोगोकी व्यवस्थाके लिए कोई अवकाश नहीं होना।

इन दोनोंमें भिन्न विकेन्द्रित परन्तु सहकारी व्यवस्था चलानी हो, तो उसे 'पब्लिक सेक्टर' कहा जायगा। वही सच्ची सार्वजनिक व्यवस्था होगी। जितने लोगोको किसी व्यवस्थाका लाभ मिलनेवाला हो वे स्वयं उम व्यवस्थाका विचार करे, अच्छी योजना बनायें, ऐसा तत्र खडा करे जिसमें सबके प्रयत्नोके लिए मौका हो तथा मालिक और नीकर, सेव्य और सेवक, शासक और शासित, राजा और प्रजाका द्वैत यथासंभव रहने ही न दें। ऐसी व्यवस्थाको ही सार्वजनिक व्यवस्था कहा जा सकता है।

इम व्यवस्थामें कुनवा, परिवार, जानि, धर्म, पय या मप्रदाय जैसे सन्तुचिन और एवागी सगठनके लिए कोई अवकाश नहीं हो सकता। आदर्श व्यवस्था यह होगी कि किसी स्थान या प्रदेशमें रहनेवाले सारे लोग आपसके विचार-विनिमयने तथा परस्पर सहकारमें सामुदायिक जीवनका निर्माण करे और उम योजनाको चलानेके लिए आवश्यक शक्ति गमाजमें ही पैदा करे।

इम प्रकारको आदर्श व्यवस्थाकी अपनी मन्वृति भी सर्वकल्याणकारी तथा सर्वोदर्या होगी।

मंनोरा बचन है : 'घट घट बगना राम रमैया' । इस मिढान्तना स्वीकार करके छोटे-बड़े सभी व्यक्तियोंका जगमें समान समादर हो, ऐसी यह व्यवस्था होगी । उगमें सबकी मूढ-बूझका आदर होगा, सबकी सुविधाओंका ध्यान रखा जायगा और सबकी प्रतिष्ठाकी रक्षा भी जायगी ।

ऐसी समाज-व्यवस्थामें सबदूरीका संगठन अलग, कारखानोंके मालिकोंका अलग तथा प्राहकोंका अलग — इस प्रकारके मध्यम-मूलक संगठनोंके लिए कोई अवकाश ही ही नहीं मरना । "सब कोई अपने अपने स्वार्थके लिए जागृत रहे और उनकी समाज बलवाली सीचानातीमें सबकी सुविधाओंकी रक्षा हो" — इस प्रकारकी बन्धनाको जडमें नष्ट कर दिया जायगा । मैं जिनकी सेवा लेता हूँ यह हर प्रकारमें सुभी रहे, उगकी सर्वांगीण उपरि ही, ऐंसा मोचनेकी मानवता मुझमें क्यों न होनी चाहिये ? और मैं स्वयं जिनकी सेवा करता हूँ उगे हर प्रकारका मन्नाय दु, ऐंसा पजमान और अनिपिक्ता सम्बन्ध मैं क्यों न स्वीकार करूँ ? सीचानाती, मध्यम और बाघ-छोड़ क्या मनुष्यकी मनुष्यताके लक्षण हैं ? परिदारमें तो हम ऐंसा वातावरण नहीं रखते । पजमान और अनिपिके बीच उच हम ऐंसा सम्बन्ध पगन्द नहीं करने, तो मरगारी और ममूड जीवन जीनेके लिए जितना महकार आवश्यक है उतने व्यापक संगठनमें प्रेम और सेवाका आदान-प्रदान करनेका वातावरण हम क्यों न उत्पन्न कर ?

हमारा सामान्य नियम ऐंसा होना चाहिये कि जितने भागोंके साथ हम अपना जीवन आननाय कर सकें उतने ही लोगोंके साथ सेवाका आदान-प्रदान करें । हम सब भावन बनानेशाय करके धी देनेचाने, पगका काम बनानेशाय और पगपना पगेका साथ बनानेशाय पग हमारे मरगारी और जीवनके लयी ध्यान रखते । यही मरगी जरि है । ये सब लोग एक-दुसरेके लक्ष्यके लिए प्रदान बनानेशाय तथा परिश्रम बनानेशाय करते, हमलिये ये ही एक-दुसरेके स्वजन माने जाने चाहिये । हममें धर्मभेद, लक्ष्यभेद आदि कृत्रिम भेद बाधक नहीं हो सकते ।

आज तक हमने अपनी धर्मभावनाके अनुसार अपना संगठन किया। अब हम अपने व्यापक सामाजिक जीवनके अनुरूप अपनी धर्मभावनाकी रचना करेंगे अथवा उसका विकास करेंगे। यही अहिंसाका, प्रेमका, परस्पर आदरका और आत्मीयताका मार्ग है।

ऐसे कुदरती और सांस्कृतिक जीवन-संगठनके साथ जिस प्रकार शोषणकी नीति नहीं टिक सकती, उसी प्रकार रूढ़ा हुआ शहरी जीवन भी नहीं टिकेगा और परस्पर उपेक्षाका सूजा हुआ जीवन भी नहीं टिक सकेगा।

अब हम एक दूसरी दृष्टिसे इस प्रश्नका विचार करेंगे। सहकारके अभावमें मानव-जीवन संभव नहीं होना। इसीलिए तो मनुष्य समाजकी स्थापना करता है। इस सामाजिक जीवनका विकास करने, परस्पर सहकार निश्चिन्त करनेके मुख्य साधन दो हैं : (१) भाषा और (२) स्थानांतर करने यानी लोगोंसे मिलनेके लिए जाने-आनेकी सुविधा। इसीलिए एक भाषावाले लोगोंका अपने-आप एक अलग प्रदेश बन जाता है। और जो लोग एक-दूसरेके पास जा सकते हैं, वे आपसमें अपने अनुभवोंका, सेवाका और जीवनका आदान-प्रदान करते हैं। इनमें से भाषावा क्षेत्र सहकार और पुरुषार्थके अनुसार विशाल अथवा संकुचित होता है।

आजकल हम यह तो समझने लगे हैं कि सामाजिक संगठनमें भाषाका कितना प्रभाव होता है, परन्तु इस बातका हम तटस्थ वृत्ति रखकर वैज्ञानिक दृष्टिसे विचार नहीं कर पाते। भावनाके बल होकर हम हमें मान प्रश्नका उलझा देने हैं।

परन्तु उस प्रश्नका हम यही छोट दे।

एक-दूसरेका मिलने जानक मुख्य साधन तो रास्ते ही है। जब तक पैदा प्रभाव अधिक सुविधाये जीवनमें नहीं थी तब तक सुबह रजाना टाकर नाम तक पर रात आनेवाले गांवों बीच ही यथाशक्ति दैनिक सहकार स्वाभाविक था। इन गांव पंचायती कहते थे। आगे चलकर जब वैज्ञानिक आद रात पर रात बनने तब यानायात बढ़ा। दैनिक सहकारका क्षेत्र भी बढ़ा।

परन्तु यात्राकी बड़ी कुदरती सुविधा नदीके प्रवाहके कारण मनुष्यको प्राप्त हुई। किसी एक नदीके कारण जिन लोगोंका सम्बन्ध बघा, उनका जीवन एक, उनकी संस्कृति एक। जहा खेती और यात्रा दोनोंका आधार नदी पर होता था वहा नदी-मातृक सस्कृतिकी स्थापना होती थी।

अब नदीका स्थान रेलमार्गने ले लिया है। केरल और कोंकणमें जिस प्रकार आम रास्ताके दोनो ओर मीलो तक मकान बनते हैं और गाव तथा शहर बसते हैं, उसी प्रकार भविष्यके शहर यदि रेलमार्गके दोनो ओर लम्बाईमें बसाये जायं, तो आजकी घनी बस्ती कम हो जाय और सब शहरोंके लिए 'आगे रेल और पीछे खेत' वाली व्यवस्था सुलभ हो जाय।

बड़े शहरोंका स्वभाव ही शोषणका अर्थात् हिमाका होना है। और गाव शहरोंके आश्रित बनकर शहरोंके भक्ष्य बन जाते हैं। रेलकी सुविधासे यदि शहरोंकी आबादीको कम किया जाय और गावोंके सगठनको विगल और जीवन-व्यापी बनाया जाय, तो शहरों और गावोंका भेद ही न रहे। और आज जो रेलमार्ग शोषणकी नसें बन गये हैं, वे शोषणकी नसें न रहकर पोषणकी रक्तवाहिनिया बन जाय।

इस प्रकार यदि देशके नेताओंकी चित्तवृत्ति अहिंसक अर्थात् शोषण-विरोधी बन जाय, तो विज्ञानकी दो हुई सुविधाएँ प्रजाहितके लिए सहायक हो जाय और विज्ञानके आधार पर विकेन्द्रित होते हुए भी समृद्ध अहिमा-परायण सस्कृतिकी स्थापना हो, जिसमें आजके वर्ग-मूलक इन्द्रोरा नाम भी न रहे जायगा।

ऊपर मैंने जिस एक बातका छोटा इशारा किया है, उसे विस्तारमें समझना आवश्यक है। मैंने स्टेट मेक्टर और पब्लिक मेक्टरका जो भेद बनाया है, उम भेदको नई मस्कृतिकी स्थापनाके लिए अच्छी तरह समझ लेना चाहिये। सामान्य जनताके समझनेके लिए यदि एक मूत्र देना हो, तो कहा जा सकता है कि भावी सर्वोदया, अहिंसक मस्कृतिकी योजनायें सरकारी नहीं परन्तु सहकारी होंगी। सरकारी प्रवृत्तिमें हम राजनीतिक और बानूनी दक्षिण पर आधार रखते हैं, जिसे टिकाये

रखनेके लिए पुलिस और सेनाका खर्च बढ़ाना अनिवार्य होगा। परन्तु प्रजाकी प्रेरणा और सामाजिक सद्गुणोंके विकाससे यदि हम सहकारी प्रवृत्तिमा चलाये, तो उनमें वर्ग-विग्रहके बजाय आत्मीयताका और प्रेमपूर्ण सेवाका ही वातावरण रहेगा। विज्ञानका उपयोग अध्यात्म-परायण मानवताके विकासमें सहायक होगा और आज जिसे हम 'इटिप्रेशन' कहते हैं वह अद्वैत अपने-आप सिद्ध हो जायगा। 'इटिप्रेशन' का अर्थ है अपूर्णाकके सहयोगसे उत्तरोत्तर बढ़नेवाले पूर्णाक। अन्तमें जहा पूर्णत्व है वही शांति, सामर्थ्य और समृद्धि होगी। इस नवीन संस्कृतिका हम गहरा चिन्तन करते जाय और प्रत्यक्ष प्रयोगोंके द्वारा अद्वैत सिद्ध करते जाय, यही मानव-जातिका आजका युगधर्म है।

२६-१-'६२

गोवा जाते हुए

'सावरमती' स्टीमरमें

काका कालेलकर

अनुक्रमणिका

अद्वैत योगकी नवीन मसूहति काका कालेलकर ३

१. संसूहति

३-३२

आजके गावोंका चित्र ३; दुखवस्थाके कारण ४; राष्ट्रको गाधीजीकी सवने महान देन ५; कर्म शिक्षा-मूलक और गौरवपूर्ण हो ६; (१) स्वरोजी ६, (२) सामाजिक प्रतिष्ठा ६; (३) नीरसताया सवाल ८; (४) किसान ९, (५) कारीगर १०, (६) स्त्रिया १२, निवासकी स्थिति १३, सामाजिक वातावरण १७, (१) अत्योदय १७; (२) सामाजिक सुरक्षा १९, (३) स्वास्थ्यकी योजना २०; (४) शिक्षाकी व्यवस्था २०; (५) निश्चिन्त रोजगारी २१; (६) सामाजिक व्यय २१, मनुष्यके समग्र विकासका उद्देश्य २२, उच्चतर संगठन २६; उच्च वर्गों और जनतामें सामजस्य २८, नया सन्तुलन ३०; सामाजिक प्रभाव ३१, मासूहतिक विकास ३१

२. उच्चतर संगठन

३३-८४

नये सन्तुलनके साथ विस्तार ३३; समाजवादी कल्याण-राज्यके बदले सहकारी पंचामती राज्य ३४, स्वाश्रयी और सहकारी क्षेत्र ३४, मुशूतलित व्यवस्था ३५, गावोंमें उत्पादक ही उपभोक्ता हैं ३६, मयुक्त संगठन द्वारा न्याययुक्त व्यवहार ३७, ठावा ३८, वित्त-व्यवस्था ४०, राज्य सहकारी मडल ४०, (१) गाधीजीकी सागरवृत्तवाली समाज रचना ४१, (२) कार्य-मदतियोंका क्रमिक मुधार ४३, (३) अर्ध-विकसित ग्राम-अर्धव्यवस्थाका विकास ४६, (४) विविष्ट सेवाओका प्रवध ४९, (५) मुविपात्रों और सेवाओका प्रवध ५०, (६) परिवारोंकी अनेकविध प्रवृत्तिया ५१, (७) सामाजिक सुरक्षाका प्रवध ५३, शिक्षा और बाल-कल्याण ५४, स्वास्थ्य और

सफाई ५४; रोजगारीकी निश्चित व्यवस्था ५४; सामाजिक खर्च ५५; (८) व्यवसाय-विभाजन ५५; (९) फसलोंका आयोजन ५८; (१०) बाजार ५९; (११) ज्ञानका विस्तार ६०; (१२) सांस्कृतिक अलगावसे उद्धार ६२; (१३) परस्पर आदर-भाव ६३; सहकारी खेती ६३; सहकारी खेतीकी प्रेरणा ६५; (१) अर्थ-व्यवस्थाके विकासके लिए मनुष्यका विकास करो ६५; (२) रोगके उपचारके बजाय रोगीका उपचार करो ६५; (अ) सांस्कृतिक अपील ६६, (आ) साधनहीनोको अपील ६७; (इ) कारीगरोको अपील ६७; (३) आदर्श केन्द्रका निर्माण ६८, (४) पूरक सगठन ६८; (५) सर्वांगीण कार्यक्रम ७१, विवादका विषय ७२; (१) वास्तविकता ७३, (२) वर्ग-सघर्ष ७४; (३) परिवारकी स्वतंत्रता ७६, (४) प्रेरणा ७८, सबके लिए प्रेरणा ७९; (५) सेवा-सहकारी समितिया तथा सहकारी खेती ८०, सामाजिक सेवाओकी व्यवस्था ८१; सहकारी खेतीके स्पष्ट लाभ ८२; (१) साधन-संपत्तिका संपूर्ण उपयोग ८२, (२) रोजी और उद्योग-धधोकी रचना ८३, (३) सामाजिक सुमेल ८३

३. कार्यक्षम औजार

८५-१०४

विज्ञान दुधारी तलवार है ८६; मनुष्यको यत्रोका स्वामी बनना चाहिये ८८; (१) यत्रसे मानवका श्रम कम होता चाहिये ८८, (२) यत्रका कानून ८९, (३) सच्चे अतिरिक्त उत्पादनका विनिमय ९१, (४) समग्र दृष्टि ९२, (५) सामाजिक भावना ९३, (६) आत्म-विकासका ध्येय ९४; विकासशील अर्थ-रचना ९४, (१) वैज्ञानिक जीवन-मनका विचार ९४, (२) सपत और उत्पादनको प्रोत्साहन देना ९७, (३) संपूर्ण रोजीका प्रश्न ९८,

(४) रोजीका लक्ष्य जीवन-वेतन ९९; कामका उचित समय-पत्रक १००; कामका गौरव १००

परिशिष्ट

१. इन्दुरायलके किन्तुज १०५-१११
 योजनावद्ध गाव १०५; किन्तुज क्या है? १०५; प्रारम्भ और विकास १०६; किन्तुजकी रचना १०६; आयोजन १०७; कामका प्रकार १०७; वार्षिक उत्पादन १०८, पूजीकी व्यवस्था १०९; सामाजिक धातावरण १०९, शिक्षाकी व्यवस्था ११०
२. घोती कम्पून ११२-१२०
 क्षेत्रीय आयोजनका एक उदाहरण ११२; कम्पूनोका आरम्भ ११२; कम्पूनोका विधान ११३; योजना ११५; उत्पादन ११६, वेतन ११७, जीवन-पद्धति ११७, सरकारी मार्गदर्शन ११७; दो उदाहरण (१) खान चुआ ११८; (२) कुशिय कम्पून ११९
३. विभिन्न घटकोंके लिए प्रक्रिया और प्रवृत्तियोंके विभाजनका नमूना १२१-१२३
४. कमेलपुरके अर्धतंत्रकी स्वावलम्बनकी प्रक्रिया १२४-१३०
 कोष्ठक १ योजनाके साधनोंका सक्षिप्त विवरण १२८, कोष्ठक २ गावकी आयका क्षेत्रवार विभाजन १२८, कोष्ठक ३ योजना-कालमें आयके अनुपातमें वार्षिक पूजी-नियोजनकी मात्रा (१९६०-६१ से १९६४-६५) १३०, कोष्ठक ४ योजना-कालमें आयके अनुपातमें वार्षिक पूजी-नियोजनकी मात्रा (१९६५-६६ से १९६९-७०) १३०
५. १३१-१३७
 कोष्ठक १ विभिन्न क्षेत्रोंमें मानव-शक्तिका उपयोग १३१, कोष्ठक २ यशशक्तिने उपयोगने कारण मानव-शक्तिमें परिवर्तन १३२, कोष्ठक ३ दस वर्षोंके योजना-कालमें कमेलपुर गावके धर्मोंकी रचना १३५

बलवान सेनाकी अपेक्षा भी एक वस्तु अधिक बलवान है—
वह है परिपक्व विचार।

— विक्टर ह्यूगो

विज्ञान और उच्च कोटिके संगठनकी सहायतासे होनेवाले कार्यके
आन्तरिक मूल्य पर आधारित हमारी भावी ग्राम-संस्कृतिना समय अब
पक चुका है।

ग्राम-संस्कृतिका अगला चरण

संस्कृति

आजके गांवोंका चित्र

भारतीय गांवोंकी वर्तमान स्थिति विकास और प्रगतिकी नहीं, परन्तु नैराश्याकी है। इसका कारण यह है कि ग्राम-संस्कृति गतिमान बन चुकी है। बाहरी दुनियामें उमका सम्बन्ध-विच्छेद हो गया है। ग्राम-समाजका गगन टूट रहा है और काम करनेके पुराने तरीकोंमें मुयार नहीं हो रहा है। ग्रामवासी जीवन-यापनके लिए सधरमें पड़ा रहता है और उसकी आधीसे ज्यादा शक्ति जीवन-निर्वाहकी प्रारम्भिक आवश्यकताएँ पूरी करनेमें ही खर्च हो जाती है, जीवन-स्तरको ऊँचा करनेके लिए कोई शक्ति शेष नहीं रह जाती। फिर सांस्कृतिक प्रगतिकी तो बात ही कहा जाती है? नये जमानेकी सुविधाएँ और साधन गावमें उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार भौतिक परिस्थिति प्रतिकूल है, और सामाजिक भी अनुकूल नहीं है। गावमें जो विभिन्न वर्ग या वह अभी तक भूमिस्वामियों या, अब छोटे पूँजीपतियोंका हो रहा है, जो ग्राम-निवासियोंके धारण पर जीवित रहता है या फिर शहरोंमें जाकर बस रहता है। जातिप्रथा, जो पहले समाजको धेँगावद्ध करके किसी अज्ञान तक प्रगतिमें गहायक होती थी, अब समाजको विभक्त करती है, और ऊँच-नीचकी भावना पैदा करती है। इस प्रकार ग्रामनिवासी शहरोंके भौतिक और सामाजिक दोनों पाटोंमें फिस रहा है। वह अपने पुराने धर्म पुगने ही खगने करता जा रहा है और समाजके प्रगतिशील प्रवाहमें वह प्युप्ट पडा हुआ है। ज्ञानकी वृद्धिका कोई प्रभाव उसके काम पर नहीं पड रहा है। परिवार और जाति पर आपाति ग्राम-गगनका पुगना ज्ञान भी डीला पड गया है। गाव अब केवल पड़ोसमें

रहनेवालाका घटक मात्र रह गया है। उनके एकताके सम्बन्ध छिन्न-भिन्न हो गये हैं। उपरोक्त प्रतिकूल परिस्थितियों पर ग्रामवासीका कोई काबू नहीं है। और न वह उन्हें समझ पाता है। वह उस मनुष्यकी भांति है जो यह नहीं जानता कि उसे क्या जाना है और क्या करना है।

दुरवस्थाके कारण

ग्राम-जीवनकी इस शिथिलता, शोषण और अलगावका कारण वे परिस्थितियाँ हैं, जिनके कारण यहाँके साधन और अवसर सीमित और सकुचित हो गये हैं। निर्माणका अभिक्रम गावके खास खास लोगोंमें ही रह गया है और उनसे भी गावके विकासमें बहुत थोड़ा योग मिलता है। इस कारण गावके जन-साधारणकी भी निर्माण-शक्ति अत्यंत सकुचित रह गई है। यदि उनमें यह निर्माण-शक्ति जाग्रत हो, तो आजकी निर्धनताके स्थान पर सम्पन्नता बढ़ सकती है।

मानव-इतिहासमें भिन्न-भिन्न युगों अर्थात् काष्ठयुग, पाषाण-युग, धातुयुग, विद्युत-युग और अब अणुयुगका क्रमशः विकास हुआ है। उससे एक सबक हम सीख सकते हैं। एक युगके बाद दूसरे युगके विकासका अर्थ यह नहीं है कि प्रकृतिके साधन पहले कम थे और अब बढ़ गये, बल्कि यह है कि मनुष्यके मस्तिष्ककी ग्रहण-शक्ति बढ़ती गई है। काष्ठयुगमें भी आगामी युगोंके सारे तत्व मौजूद थे, परन्तु मनुष्य उनको धीरे धीरे ही समझ सका। जैसे-जैसे उसे प्रकृतिकी शक्तियोंका रहस्य मालूम होता गया वह उनको उपयोगमें लाता गया। प्रकृति-प्रदत्त पदार्थों और शक्तियोंका मानवीय हितके लिए उपयोग करना ही सम्पत्तिका उत्पादन है। अतः उसका सीधा सम्बन्ध मनुष्यकी अपनी ग्रहण करनेकी शक्तिके विकाससे है। हर मनुष्यमें यह शक्ति अलनिहित है और जितना उसका विकास होगा, उतना ही ससारमें सम्पत्तिका प्रादुर्भाव होगा। आज ससारमें जो दरिद्रता और अभाव है, उसका कारण यह है कि थोड़ेसे विद्विष्ट लोगोंमें यह शक्ति जागृत हुई है और जन-समूहमें सोयी पड़ी है। कुछ अल्पसंख्यक शक्तिशाली लोगोंके बल

पर समार न तो सम्पन्न हो सकता है, न सुखी। यदि हरएक मनुष्यको कार्य करनेका अवसर मिले, तो ही समाज सुखी और सपन्न हो सकता है। सामाजिक समानताके आदर्शका भी यही लक्ष्य है। सामाजिक समानता प्रत्येक व्यक्तिको उसकी शक्तके अनुसार काम करनेका अवसर और सुविधा देती है, जिससे वह सामाजिक सम्पन्नतामें अपना योग देता है। हमें प्रत्येक रोगीकी व्यक्तिगत चिकित्सा भी करनी होगी और सामान्यतः रोगको मिटानेके लिए समाजकी स्थितिको भी बदलना होगा। अर्थात् ग्रामनिवासी और ग्राम-परिस्थिति दोनोंका एकसाथ सुधार करना आवश्यक है। तभी गांवोंमें वर्तमान सिद्धिलताके स्थान पर प्रगति और जागृत्तिकी स्थिति पैदा होगी।

राष्ट्रको गांधीजीकी सबसे महान देन

गांधीजी कहा करते थे कि राष्ट्रको उनकी सबसे बड़ी देन नई तालीम है। उन्होंने समझ लिया था कि नई तालीम ही मनुष्यके विकासकी कुर्ची है। उन्होंने उसमें जीवनके प्रत्येक क्षणमें व्यक्तित्वके विकासकी पद्धति देखी थी। विकास कर्मकी प्रतिक्रियाके अनुसार होता है। मनुष्यकी क्रिया ऐसी होनी चाहिये कि उसकी प्रतिक्रिया उत्तम हो। क्रियामें होनेवाले लाभोंको दो भागोंमें बाटा जा सकता है। एक तो उससे मनुष्यके ज्ञानका और उसके गुणोंका उत्कर्ष होता है, इसमें हम उसका आन्तरिक मूल्य कहेंगे। दूसरे, उसमें भौतिक उत्पादन बढ़ता है, यह उसका बाह्य मूल्य है। यदि मनुष्य आंतरिक मूल्यको लक्ष्यमें रखकर काम करता है, तो बाह्य मूल्य उन्ने स्वतः प्राप्त हो जायेगा। परन्तु यदि वह केवल बाह्य मूल्य पर ध्यान रखना है, तो आन्तरिक मूल्य भी नहीं मिलेगा और बाह्य मूल्यमें भी कमी आयेगी। मनुष्यका कर्म बाह्य रूपमें तभी लाभप्रद होता है जब उसने आन्तरिक लाभ भी पट्टे। इससे मनुष्यके समग्र विकासके सिद्धान्तका प्रतिपादन होता है। जिसका आन्तरिक गुण-विकास हुआ है, उसे प्रायः भौतिक अभाव भी नहीं रहेगा। जन-साधारणका गुण-विकास हो जाये तो उन्हें भी विभिन्न वर्गोंसे शानि पट्टेनेकी कोई आशंका

नहीं रहेगी। उनमें और वर्ग-विशेषमें जो अन्तर अथवा विषमता है, वह भी स्वयं कम हो जायेगी और वर्ग-विशेषके नेतृत्व और मार्ग-दर्शनकी आवश्यकता भी उन्हें न रहेगी।

कर्म शिक्षामूलक और गौरवपूर्ण हो

१. स्वरोजी

मनुष्यके कर्मकी प्रतिक्रिया वर्तकें हृदय पर निर्भर है और इस बात पर भी कि काम किस स्थितिमें किया गया है। प्रायः तो कामकी स्थिति ही निर्णायक होती है। यदि मनुष्य अपना ही धाम करता है, यदि उसकी स्थिति एक स्वाधीन कर्मकी होती है, तो उसे ज्यादा गौरवका अनुभव होना है। वह अपनी सपूर्ण शक्ति लगाकर कामको सफल बनानेकी चेष्टा करता है, अतएव उसके व्यक्तित्वका विकास भी होना है। परन्तु यदि वह दूसरेके अधीन हो तो उसके अभिक्रम नष्ट हो जाते हैं। वह कमसे कम काम करेगा और हीनताकी भावना महसूस करेगा। स्वाधीन-कर्म (self-employed) मनुष्यकी दृष्टि आन्तरिक मूल्यों पर रहेगी, लेकिन किसीके मातहत काम करनेवालेकी दृष्टि केवल बाह्य मूल्य पर होगी। इस प्रकार कार्यकी स्वाधीनतासे — स्वरोजीति ही कर्तृत्वके गौरवकी रक्षा होती है और शैक्षणिक मूल्य भी उसीमें होना है। कार्यकर्तके विकासके लिए यह आवश्यक है। हमें यह समझ लेना चाहिये कि सहकारी सगठनमें काम करना भी स्वाधीन कार्य करने जैसा ही है। सहकारी पद्धतिमें स्वरोजीके मूल तत्त्वके साथ सगठनका लाभ भी हमें मिलता है।

२. सामाजिक प्रतिष्ठा

अगर मनुष्य ऐसे काममें लगा रहता है जिसको समाज हीन मानता है, तो उस कामकी प्रतिक्रिया उसके विकासमें बाधक होती है। वह उसके गौरव और स्वाभिमान तथा आत्म-विश्वासको घटाती है, और वह अपमानका अनुभव करता है। प्रचलित सामाजिक व्यवस्थाके कारण उस काममें वह लगा भले ही रहे, परन्तु उसका आन्तरिक

गुणोत्कर्ष नहीं होगा। समाजके लिए वह काम चाहे जितना आवश्यक और उपयोगी हो, परन्तु आमदनी और इज्जतकी कमीट्रीमें उसका मूल्य कम ही रहेंगा। महाभारतमें कर्णकी कथा इस सामाजिक सत्यका स्पष्ट उदाहरण है :

मूनी वा मूतपुत्री वा पो वा को वा भवाम्यहम् ।

देवायत्तम् कुले जन्म मदायत्तम् तु पौरुषम् ॥

समाजके निरस्कारके विरुद्ध कर्णका यह रोषपूर्ण प्रतिवाद सर्वथा न्यायमग्न है। समाजमें जितने ही कर्ण हैं, जितना निजका कोई अपराध न होते हुए भी उनका व्यक्तित्व कुचल दिया जाता है। गांवोंमें बाम बरगेंवाले बारीगर चमार, भोची, कुम्हार, धोबी और विनोदर अन्वज हरिजनोकी आज यही स्थिति है। कर्णकी कथामें हम सबको एक सबक मिलता है। गहन सामाजिक मूल्योंके कारण किसीके व्यक्तित्वको कुचला नहीं जाना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि समाज निहित स्वार्थोकी निड्रिका माधन बन जाय। कर्णके जैसी स्थितिमें जो लोग पड़े हैं उनको अपना उच्चतम आत्म-विकास करनेका गुला अवसर और सुविधा मिलनी चाहिये, ताकि समाजके कल्याणमें वे अपना योगदान कर सकें।

जो हीन प्रशरके बाम या पेगो हैं, उनके करनेवालोंका सामाजिक स्तर नीचा माना जाता है। यह दौर बामकी रीति और तरीकोंके गुणगो ही दूर हो सकता है। अन्तमें यही एक उपाय है जिनमें सामाजिक सम्मन्दा हल हो सकती है। मनुष्यकी सेवामें विज्ञानका उत्तम उपयोग हो सकता है और होना चाहिये। बाम और पेगोंके स्तरको विज्ञान दणना बढ़ा सकता है कि वे स्वच्छ और सम्मानप्रद बन जायें। उदाहरणके लिए, हम धाम-नारादी प्रश्न पर विचार करें। यह गावकी एक बुरा प्रश्नी सेवा है। क्या इस कामके लिए पृथक् भाषोयण होना चाहिये? यदि हा तो उसकी सामाजिक स्थिति क्या हानी चाहिये? क्या समाजकी एक प्रश्नी सेवा करनेके लिए उनके स्तरको मराने लिए नीचा करार दिया जाय? यह बात का सम्मानमें आती है कि गावकी स्तरको उच्चतम करनेके लिए सेवाका एक पृथक् भाषोयण

किया जाय। उस दशमे सेवाके दन आयोजनको हीन और तुच्छ नही मानना चाहिये, जैसा अभी माना जाता है; बल्कि उसे एक ऐसी विशिष्ट सेवा बना दिया जाना चाहिये, जितमें विशेष ज्ञान और तालीमकी अपेक्षा होती है। समाजकी इस जटिल समस्याका हल यही है कि सफाईके कामको एक विशिष्ट काम बना दिया जाय। यदि यह रूपान्तर हो गया तो भगोका पेशा शायद खाद-निर्माणका एक स्वतंत्र उद्योग बन जायेगा। यह तभी सम्भव हो सकता है जब भगोको उसका विशेष प्रशिक्षण दिया जाय और गावके खादके साधनोंमें वृद्धि करने और स्थानीय बूडे-करकटसे भिन्न भिन्न प्रकारकी खाद तैयार करनेके वैज्ञानिक साधन मुहैया किये जाय।

इस प्रकार ज्ञान और वैज्ञानिक साधनोंसे सम्पन्न होने पर उत्तम भगोके स्वाभिमानमें वृद्धि होगी और गावकी नजरमें भी उसका स्थान ऊँचा उठेगा। खेतीकी पैदावार बढ़ाने और सफाईका स्वास्थ्यप्रद वातावरण पैदा करनेवाले एक प्रमुख कार्यकर्ताके रूपमें गाव उसको मान्यता और महत्त्व देगा और उसे समुचित अर्थोपार्जनकी सुविधा देगा। वह गोबरसे गैसप्लान्ट चलानेवाली योजनाका संचालक बनेगा, जिससे तैयार खादके अलावा ईंधनके लिए गैस मिल जायगी। इस स्थितिमें कामके आंतरिक मूल्य अर्थात् गुण-विकास पर भी उसकी नजर रहेगी, जिससे उसका पैदा और ऊँचा उठ जायगा।

३. नीरसताका सवाल

गावके लगभग सभी पेशोके आन्तरिक मूल्य, जिनसे काम करने-वालोका गुणोत्कर्ष होता था, आज समाप्त हो गये हैं। केवल स्कूल और भौतिक मूल्य रह गये हैं। अतएव उनमें कोई आनन्द नहीं रह गया है और परिणाम-स्वरूप वे भाररूप बन गये हैं। अतएव कोई आश्चर्य नहीं है कि ग्राम-समुदायमें अपने पैतृक पेशोको छोड़नेकी प्रवृत्ति पैदा हो रही है। किसान नहीं चाहता कि उसका लडका उच्च शिक्षा पाकर खेता करे। कारीगर भी ऐसा ही सोचता है। स्त्रिया भी घरके चूल्हा-चक्कीसे फुरसत पाना चाहती हैं। पढी-लिखी लडकी या सपन्न

परिवारको लड़कोंका विवाह-सम्बन्ध बहा किया जाता है जहा शारीरिक श्रम कम करना पड़े। सभी वर्गोंमें बालकोंको शिक्षा देनेकी प्रवृत्ति तो बढ रही है। परन्तु यदि शिक्षित व्यक्ति अपने घरेलू पेशोंको छोड़ते जाय, तो वह स्थिति पैदा होगी जिसमें मूल व्यवसायोंकी उपेक्षा होगी या वे अशिक्षित लोगोंके हाथमें ही रह जायगे। पेशोंका ह्रास तो होगा ही, शिक्षित वर्ग मजंनतात्मक कार्यसे बचित रह जायेगा। यह स्थिति बड़ी भयावह है और इसको सुधारनेके लिए मौलिक और व्यापक प्रयत्नकी आवश्यकता है। इस समस्याका केवल एक ही हल है कि इन हीन माने जानेवाले कामोंको शिक्षाप्रद बनाया जाय। विज्ञान और व्यवस्थाकी सहायतासे उनका स्तर ऊंचा उठाया जाय, ताकि उनके द्वारा व्यक्तित्वका विकास हो सके।

४. किसान

खेतीके कामको कृषि-विद्यालयके फार्मके नमूने पर संगठित करना चाहिये। जिस तरह विद्यार्थी कृषिके अपने सैद्धान्तिक ज्ञानके परीक्षणके रूपमें खेतोंमें काम करता है, उसी तरह किसान भी खेतीका काम ऐसे करे मानें। किसी प्रयोगशालामें कृषि-विज्ञानकी भिन्न शाखाओं जैसे, जीव-विज्ञान, भूमि-रसायनशास्त्र, अयंशास्त्र, यन्त्र-विज्ञान, समाजशास्त्र आदिका अध्ययन कर रहे हों। इस तरह काम किया जाय तो काम करनेवालेके व्यक्तित्वके विकासका प्रभाव भौतिक उपजकी वृद्धिमें दिखाई देगा। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि किसानोंका सामूहिक विच्छेद मिट जायेगा और समाजके प्रगतिशील ज्ञानमें उनका प्रत्यक्ष सम्पर्क हो जायेगा। ऐसे ज्ञानप्रद और लाभप्रद पेशोंको कोई निश्चित रिगान छोड़ना नहीं चाहेगा। और उपयुक्त माधनों और औजारोंके द्वारा तथा महत्वागी खेतोंमें शामिल होकर वह खेतोंमें होनेवाली मौजूदा बड़ी भङ्गनासे बच जायगा। चूंकि श्रमका उपयुक्त विभाजन होगा, इसलिए वह खेतीका काम एक व्यवस्थित समय-विभागसे अनुसार कर सकेगा। बाजारवल निश्चित मनुष्यको इस प्रकारके मुख्यस्थित समय-विभाजनकी सचने बड़ी चाह है। दिन और

रात धधेमे लगा रहना, जिसमे सांस्कृतिक कार्यके लिए विश्राम न हो, उसके लिए बहुत कष्टकर है। ज्ञानके लिए भी उसकी उतनी ही भूख है जितनी भोजनके लिए और शिक्षित किसानकी इस आवश्यकताकी पूर्ति सुव्यवस्थित समय-विभाजनके द्वारा हो सकती है।

यदि किसान कृषिको अपनी बुद्धिके विकासका माध्यम समझ ले, तो वह केवल कच्चे मालका उत्पादन नहीं करेगा। वरन् स्थानीय कारीगरोकी सहायतासे वह उसे पक्के मालमें बदलनेकी कोशिश करेगा। यदि किसान केवल कच्चा माल पैदा करके उसे बेच देगे, तो वे उद्योगके बाह्य और आन्तरिक दोनों मूल्योसे वंचित रहेंगे। आन्तरिक मूल्यसे इसलिए वंचित रहेगे कि उन्हें अपनी बुद्धि और क्रियाशक्तिके उपयोगका पूरा अवसर नहीं मिलेगा। पूरा अवसर तो पक्का माल बनानेकी क्रियामे ही मिलता है। उदाहरणके लिए, महुआके बीज एकत्र करनेमे किसानको अपनी बुद्धिका क्या प्रयोग करना पडता है? परन्तु महुआसे तेल निकालनेकी प्रवृत्तिमें महुआ एकत्र करनेसे अधिक बुद्धिका उपयोग होगा और महुआके तेलसे साबुन बनानेमे और भी अधिक बुद्धि और शक्तिका उपयोग होगा। शिक्षित किसान उनके प्रयोगका अधिकसे अधिक अवसर चाहता है। जितनी कुशलता किसी वस्तुके उत्पादनमे लगी है उसीके अनुसार उसका स्थूल मूल्य आक लिया जायेगा। साबुन बनानेवालोको तेल निकालनेवालेकी अपेक्षा और तेल निकालनेवालोको महुआके बीज एकत्र करनेवालेकी अपेक्षा अधिक हिस्सा मिलेगा। कच्चे माल और पक्के मालके मूल्योमें अन्तर होनेका यही कारण है। जो लोग कहते हैं कि प्रारम्भिक उत्पादनको अधिक पुरस्कार मिलना चाहिये, क्योंकि वह समाजकी धुनियादी आवश्यकताको पूरा करता है, वे मूल्यांकनके उपरोक्त सिद्धान्तको भूल जाते हैं। किसानको सममूल्य या अधिक पुरस्कार केवल कच्चे मालको स्वयं पक्का बनानेमे ही मिल सकता है।

५. कारीगर

अब हम ग्रामीण उद्योगोके अर्थशास्त्रको समझ सकेंगे। उनसे किसानकी अपेक्षा कारीगरका ज्यादा मोधा वास्ता है। अतएव जैसे जैसे

ग्रामोद्योगोंका हास होता गया है वैसे वैसे ये कारीगर बेकार मजदूरोंकी श्रेणीमें दाखिल होते गये हैं, और जीवनके बाह्य और आन्तरिक दोनों मूल्योंसे वंचित होते गये हैं। कभी कभी उनको कुछ फुटकर काम मिल जाता है, जिससे केवल कुछ स्थूल लाभ प्राप्त होता है। उनके पेशेमें कोई स्थिरता नहीं रह गई है। इसलिए वे अपने उद्योगका विकास नहीं कर सकते, उसकी परम्पराओंका निर्माण नहीं कर सकते। उनकी सन्तानको अपने उद्योगकी परम्पराओंकी विरासत नहीं मिलती, जिससे वे जीविकाकी तलाशमें यहाँ-वहाँ भटकते रहते हैं। इस तरह उनकी परम्परागत मन्वृति नष्ट हो गयी है। अर्थ-व्यवस्था मनुष्यके लिए है, मनुष्य अर्थ-व्यवस्थाके लिए नहीं है। मनुष्यको आन्तरिक अथवा पूर्ण विरासतसे वंचित रखनेका कोई अधिकार अर्थ-व्यवस्थाको नहीं है; और न केवल बाह्य या भौतिक मूल्योंके लिए मनुष्यको काममें जोतनेका उसे अधिकार है। इस कारण यदि ग्रामनिवासियोंको अर्थ-व्यवस्थाका दाम हम नहीं बनाना चाहते, तो ग्रामीण उद्योग-धन्धोंको नष्ट नहीं होने देना चाहिये। विज्ञानकी सहायतासे उनकी प्रक्रियाओंमें सुधार करना चाहिये। ऐसा नहीं करेंगे तो विज्ञान ग्रामवासियोंके विकासमें बाधक बन जायगा।

इसलिए कच्चे मालको पक्का बनानेकी स्थानीय प्रक्रियाको कायम रखने हुए कारीगरके श्रमके बोझको हलका करना चाहिये। अपने कामकी अमुक्त प्रियाओंमें यत्नशक्ति दाखिल करनेमें यह लक्ष्य मिट्ट हो सकता है। इस बातकी चर्चा हम बादमें विस्तारमें करेंगे। यहाँ तो इतना ही कहना है कि कारीगर केवल भौतिक उत्पादनको दृष्टिमें रखकर काम न करे, अपने कौशल और ज्ञानमें वृद्धि करनेकी दृष्टि भी रखे। उसे केवल कारीगर ही नहीं, कलाकार भी होना चाहिये। वह अपने व्यवसायका इंजीनियर बने। उसको यत्नशाली शिक्षा मिले और उसका कारणाना उस ज्ञानकी वृद्धिके लिए प्रयोगशाला बने, ताकि अपने व्यवसायके नये नये तरीकोंको वह ग्रहण कर सके। यदि उर्धामें उसको एक इंजीनियरकी कुशलता और सम्मान मिल सके, तो वह दूरसे कामों या नौकरियों क्यों तलाश करता रहितगा? अपने व्यवसायमें ही उसकी ऊँची-नी-ऊँची आकांक्षाओंकी पूर्ति हो सकेगी।

६. स्त्रियां

कहावत है कि जो हाथ पालना झुलाता है वही ससार पर राज्य करता है। यह स्त्रियोंका विशेषाधिकार है। स्त्रियोंके घरके भीतरी तथा बाहरी कार्यों एव कर्तव्योंकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये, जिससे कि वे अपने अधिकारको प्राप्त कर सकें। एक स्त्रीको इतनी योग्यता प्राप्त कर लेनी चाहिये, जिससे कि वह अपने बच्चेको राज्य करने अथवा दूसरे शब्दोंमें ससारकी सेवा करनेकी तालीम दे सके। बालकोके व्यक्तित्वको ऊचा उठानेके लिए उसे बाल-मनोविज्ञानका समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। उसे समाजशास्त्रका ज्ञान होना भी आवश्यक है, जिससे कि वह बच्चेको बदलते हुए सामाजिक वातावरणमें रहने योग्य बना सके। उसे ससारके जीवन-स्रोतोंसे भी संपर्क स्थापित करना चाहिये, ताकि वह अपने बच्चेको जीवनमें जिम्मेदारियां उठाने योग्य बना सके। पारिवारिक जीवनको अधिक समृद्ध बनानेके लिए उसमें कलाका प्रेम भी होना चाहिये। यदि ग्रामीण स्त्रियोंकी भी ऐसा बनाना है, तो उनकी जीवन-पद्धति ऐसी होनी चाहिये कि समस्त दिशाओंमें विकास करनेका उन्हें मौका मिले। उनके कार्योंका आयोजन इस प्रकारका होना चाहिये, जिससे कि उन्हें इन गुणोंको प्राप्त करनेके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण मिल सके। उन्हें रसोई-घरको पुष्टिप्रद भोजनकी प्रयोगशालाके रूपमें तैयार करना चाहिये। उन्हें शाक-भाजीकी वाडी लगाना चाहिये और इस तरह लगाना चाहिये कि उसके द्वारा वे बच्चोंको वनस्पति-शास्त्रका प्रारंभिक ज्ञान दे सकें। उनको गृह-प्रबन्ध इस प्रकारमें करना चाहिये, जिससे कि रोजमर्राके काम करनेके घण्ट कमसे कम हो सकें और शेष समयमें वे ग्राम-समाजके लिए कामकी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले सकें। धतनोंको साफ करनेके उपयुक्त तरीके निरालन चाहिये, ताकि कम परिश्रमसे सफाई हो सके। मयुक्त परिवार प्रभाव दृष्टनेमें अब परिवारमें धमका विभाजन संभव नहीं रह गया है, इसलिए कुछ कार्य जैसे कपड़े धोना, आटा पीसना इत्यादि प्रकृत ग्रामस्तर पर मयुक्त रूपमें करना चाहिये, जिससे कि प्रत्येक परिवारका कार्यभार कम हो सके। अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा

अलग अलग गो-पालनकी प्रथाको एक ग्रामीण डेरीमें परिणत कर देना चाहिये तथा साथ ही साथ सहकारी खेतीको भी अपनाना चाहिये। गृह-जीवनकी यह पुनर्व्यवस्था स्त्रियोका बोझ हलना कर देगी और उन्हें ऊपर लिखे हुए आन्तरिक गुण-विकासके लिए काफ़ी मौका और समय प्रदान करेगी।

निवासकी स्थिति

जिस प्रकारसे आत्माके लिए शरीर है, उसी प्रकार मनुष्यके लिए घर है। जैसे आत्माकी उन्नतिके लिए शरीर एक साधन है (शरीरमाद्य खलु धर्म-साधनम्), उसी प्रकार घर मनुष्यके रहन-सहन और वातावरणका स्वरूप निश्चिन करता है। मनुष्य पर उसके रहन-सहनका वैसा ही प्रभाव पड़ता है जैसा उसके कामके वातावरणका। यदि उसका रहन-सहन गदा और निवृष्ट हो, तो उसकी कलात्मक प्रवृत्ति मन्द पड़ जाती है। जो मनुष्य अधिक समय तक गदे वातावरणमें रहता है, वह उसका आदी हो जाता है और उसकी दृष्टिको वह बुरा नहीं मालूम होता। और अपने निवास-स्थानसे भी उसको इतना मोह हो जाता है कि गावके बाहर बाह्यपंक स्थान मिलें, तो भी वह उसको नहीं छोड़ना चाहता।

हमारे अधिकांश गावोंकी यही दशा है। वहाँके रहन-सहनमें ग्रामवासीकी योजक बुद्धिके अभाव और जड़ताकी प्रविच्छाया पड़ रही है। पीढ़ी-दर-पीढ़ी उनका ह्लास हो रहा है। मरान बनानेमें न कोई विचार होता है और न योजना। जनसख्याकी बुद्धिके साथ बढ़ने हुए परिवारके लिए गावकी सीमा बड़ाकर नये मरान बनानेके बजाय मौजूदा मकानको ही बड़ा दिया जाता है। उमने परिणाम यह होना है कि धायुका संचार रुक जाता है और रास्तेकी जगह फिर जानी है। प्रायः पशुशालाको ही रहनेके कमरेमें परिवर्तित कर दिया जाता है और लोग उन्हींमें पशुओंके साथ रहने हैं। परिणाम यह होना है कि नालियोंके प्रबन्धकी गुजाइश नहीं रहती और न स्नानघर, पेसाब-घरकी व्यवस्था रहती है। शौचालय बनानेकी तो पड़नि ही नहीं है। और

जब गाव छोटा था तब चारो ओर जो खुली हुई जगह इस काममें आती थी वही आवादी बढने पर भी उस कामके लिए उपयोगमें आती रहती है। नतीजा यह होता है कि सारा वातावरण बदबूसे भरा होना है और वह मच्छर व मक्खियो तथा अन्य कोटागुओकी वृद्धिका कारण बन जाता है। इस प्रकारके रहन-सहनका गाववालो पर दूषित प्रभाव होता है।

यदि ग्रामवासीके मन और शरीर पर उसके रहन-सहनका अच्छा प्रभाव उत्पन्न करना हो और उसके मकानको एक वास्तविक विकासका साधन बनाना हो, तो यह आवश्यक है कि उसे इस स्थितिसे तुरन्त हटाया जाय; तभी वह गावकी मौजूदा अव्यवस्थाकी जगह सुव्यवस्था उत्पन्न कर सकता है। अधिकांश गावोंका तो पूराका पूरा ढाचा ही बदल देना पड़ेगा। समस्या इतनी उलझ गई है कि थोड़े-बहुत फेरफारसे काम नहीं चलेगा। ऐसे आमूल परिवर्तनके लिए ग्रामवासीका मानस तैयार करनेके लिए हमें प्रभावशाली उपायोकी खोज करनी चाहिये। एक उपाय यह हो सकता है कि उनके सामने नये गावका आदर्श चित्र पेश किया जाय। सारे गावके सामने ऐसा चित्र रखना चाहिये और प्रत्येक परिवारको बताना चाहिये कि उसको अगीकार करनेसे उनके रहन-सहनमें कितना सुधार हो जायगा। यदि थोड़े परिवारोमे भी अपने हितकी भावना जाग्रत होती है, तो प्रारम्भ अच्छा ही समझना चाहिये। यदि गावमें सौभाग्यसे कल्पनाशील और उदार नेतृत्व मौजूद है, तो गावका पुनर्निर्माण बहुत शीघ्र हो सकता है। कमेलपुरमें इन आधारो पर गावकी पुनर्रचना आरम्भ हो गई है। अपने पुराने मकानोके मोहके कारण स्थलोके पारस्परिक आदान-प्रदानमें बड़ी कठिनाई पडी और बहुत गरीब आदिमियोको नया मकान बनानेके लिए सहायता भी देनी पडी। नये नकशेके मुताबिक प्रत्येक परिवारको उसके मकानके लिए काफी विस्तृत जमीन दी गयी है। इससे सारे गावका रूप ही बदल जायगा। दो-तीन मालने अल्पकालमें ही कमेलपुरका नव-निर्माण हो जायगा तो आमपागके गावोंको भी पर्याप्त प्रोत्साहन और अनुकरणकी प्रेरणा मिलेगी।

दूमरे मघन क्षेत्रोंके कुछ गावोंमें भी मकान और स्वयंका आदान-प्रदान करके गावोंकी पुनर्रचनाका कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। सौराष्ट्रमें वाडला और डेडकडी गावोंमें भी इस दिशामें मतोपजनक प्रगति हुई है। गुजरातमें सागटात्र क्षेत्रके दभवा ग्राममें पिछले दो सालमें करीब ५० मकानोंका पुनर्निर्माण हुआ है और अगले दो सालोंमें पूरे १०० मकान इसी प्रकार बन जायेंगे। परन्तु दभवा गावकी समस्या बिलकुल ही दूमरी थी। जगलमें स्थित एक आदिवासी गाव होनेके कारण वहाँ पर स्थानके सकोचका कोई प्रश्न ही नहीं था। अपने अपने खेतोंमें मकान बने हुए थे। परिवारोंका सम्पर्क अपनी भूमि तथा पशुओंसे ही था। सामाजिक सम्पर्क बहुत थोड़ा था। गावके हितमें मिल-जुलकर काम करनेकी बात तो कैसे हो सकती थी? इसलिए संस्कृतिका विकास नहीं हो रहा था। इसलिए दभवा गावने समुदायमें मकान बनानेका निश्चय किया और उसमें यह सफल हुआ। कुछ सहायता स्थानीय बँचसे मिली। परन्तु मुख्यत अपने ही साधन व अभिश्रमसे परिवारोंने अपने नये मकान बनाये। निवासियोंमें आत्म-गौरवकी एक नई भावना पैदा हुई है और वे अपने नये मकानोंकी शोभाके अनुकूल ही व्यवहार करना चाहते हैं। नये मकानोंका उनके निवासियों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

ग्रामकी पुनर्रचनामें कुछ बुनियादी सुविधाएँ देना आवश्यक है। उमका नरना ऐसा होना चाहिये जिनमें काफी बड़े माइजके प्लॉट हों, ताकि मामने अहानेमें फूलवाडी लगाई जा सके और पीछे ढाव-भाजीकी बाडी। इस शाव-भाजीकी बाडीने कई उद्देश्य पूरे होंगे। स्नानघर और रसोई-घरका नव पानी उममें स्वयं जायेगा और पेशाब-घर और पाखाना भी बहा बन जायेगा जिनमें स्वच्छता रहेगी। इसके सिवा इस खाद और पानीकी सहायतासे बहु परिवारकी काफी गाव-भरजी और फल भी देगी। इस प्रकार परिवारके भाजनमें पौरक तत्वोंकी वृद्धि होगी। हमने भी बडा प्रयोजन यह पूरा हास कि यह छोटासा उद्यान बच्चोंकी वनस्पति-शास्त्रका ज्ञान बनानेके काम आवेगा। पिछवाडे गाव-भरजीकी बाडी और मामने अहानेमें फूलवाडीके परिवारकी बन्धनक दृष्टिका विश्राम होगा।

नये गावमें पशुशाला गावके बाहर होनी चाहिये। गावके अन्दर, विशेषकर मरानोंके अन्दर, पशुओंका रखनेमें गन्दगी बढ़ती है। स्वच्छताके प्रश्नके अतिरिक्त यदि मनुष्य और पशु चौबीस घंटे एकसाथ रहे, तो गुरुचिका विक्रम नहीं होता। आवाम-स्थलसे पशुओंका दूर होना गाव और ग्रामवासी दोनोंके हितमें आवश्यक है। महाराष्ट्रके मुम्बई सधन क्षेत्रके करकटा गावमें पशुशाला गावके बाहर रखनेकी प्रथा है, जिसके लिए गावके बाहर पृथक् स्थान नियत है, जहाँ परिवार अपने पशुओंको बांधते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। इसमें उनको कोई अनुविधा नहीं होती। गावके सारे पशु बाहर रहनेसे गाव महज ही स्वच्छ रहता है। करकटाके उदाहरणसे लाभ उठाकर कानपुरके निकट पुतराया सधन क्षेत्रके एक गाव गौरमें भी यही व्यवस्था की गई है और गावके बाहर सम्मिलित पशुशाला बनाई गई है। सीराष्ट्रमें बाइला गावने भी गावके बाहर समुक्त गोशाला बनानेका निश्चय किया है। सधन क्षेत्रोंके जिन गावोंमें सहकारी कृषि-समितियां बनी हैं, वहाँ सारे बैल इकट्ठे कर लिये गये हैं और एक ही स्थान पर रखे जाते हैं। इस प्रकार सहकारी कृषिसे सहकारी दुग्धशालाकी ओर हम बढ़ने हैं। सहकारी दुग्धशाला और समुक्त पशुशालाके द्वारा गोबर गैसप्लाट लगानेमें आसानी होती है, जिससे ईंधन मिलता है और गावको उत्तम खाद भी मिलती है। इस गैसप्लाटमें गावका कूड़ा-कचरा सब काम आ जाता है और उसकी खाद-सम्पत्ति बढ़ जाती है। गैसप्लाटके बिना खादका ईंधनके रूपमें होनेवाला उपयोग रोक नहीं जा सकता। इस प्रकार सम्मिलित दुग्धशाला और समुक्त पशुशाला गावोंको दुहरा लाभ पहुंचाती हैं। उनसे पशुओंकी नस्लमें जो उन्नति होती है, उस पर हम विस्तारपूर्वक आगे विचार करेंगे।

गावोंकी नवरचनामें एक काम धुएँ और धूलके सवालकों हल करनेका भी है। धुएँको रोकनेके लिए हरएक घरमें निर्धूम चूल्हा दाखिल करना चाहिये। सीराष्ट्रके शाहपुर सधन क्षेत्रमें इस चूल्हेका काफी अच्छा प्रचार हुआ है। यह चूल्हा गावका कुम्हार आसानीसे बना लेता है। धूलका सवाल ज्यादा टेढ़ा है, लेकिन गलियों और

उसलोकों पकना करके तथा नालियोंकी समुचित व्यवस्था करके उसे भी हल किया जा सकता है। जिन गावोंमें पानीकी बहुतायत हो, वहाँ पानी मीचनेकी टाकीमें पुनः बँलगाडीकी व्यवस्था करके सड़कों पर पानीका छिड़काव किया जा सकता है और धूलका उपद्रव टाला जा सकता है। इस नये गावमें आदर्श योजनाके अनुसार बनाया गया एक गेलरा मैदान भी होना चाहिये जहाँ गावके बालक और बयस्क स्वाम्भ्यके लिए पाँचक स्वच्छ वातावरणमें खेल सकें।

ग्राम-संस्कृतिके इस अगले चरणमें पारिवारिक जीवन और उममें सम्बद्ध प्रवृत्तियोंका पुनर्पटन करना भी आवश्यक होगा। परिवारोंका और गावकर मित्रियोंका दैनिक कार्यक्रम ऐसा होना चाहिये कि उममें गम्य जीवनकी सभी आवश्यकताओंके लिए समय मिलता रहे। इस दृष्टिके कुछ कार्य ग्रामस्तर पर करना वाछनीय होगा। इन प्रवृत्तियोंको पटानेके लिए गावमें एक सांस्कृतिक परिश्रमालय स्थापना होगा। इस परिश्रमालयका उपयोग ऐसे स्थानके रूपमें भी किया जा सकता है, जहाँ स्त्रियाँ हरदिन घटे-दो घटेके लिए अमुक दस्तकारियोंका अभ्यास करने या दूसरी सामूहिक प्रवृत्तियोंमें हिस्सा लेनेके लिए इकट्ठी हुआ करे।

गावोंकी यह नदरचना तब तब पूरी नहीं जा सकती जब तक गावके बाहर उन्मुख जल स्रोतों पर स्वच्छ पानीके न बनाये जायें। इसके निहाय गावके कुआँ पर सफाईका पुराण और स्त्रियोंके लिए स्नान-घर और बाहरे पाँचके लिए धारीपाट भी बनवाना चाहिये और जहाँ वे जायें जायें वहाँ गड़े पानीके निहायके लिए नालियोंकी समुचित व्यवस्था का हानी हो चाहिये।

सामाजिक वातावरण

१. अग्रपोषण

सामूहिक सामाजिक शक्ति है। अतः उम पर सामाजिक परि-
स्थितियोंका भी उल्ला हो प्रभाव पड़ता है जिसका उल्लेख करने कायोंका।
दोस्तोंकी उम पर प्रभाव नहीं परिश्रितका हानी है। विशेषकर गाव

सरीखी छोटी सामाजिक इकाईमें शांति, सुख और समृद्धि खड्डि अवस्थामें टिक नहीं सकती। पं० नेहने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि यह नहीं हो सकता कि आधा सप्ताह समृद्ध रहे और आधा दरिद्र, आधा स्वतंत्र रहे और आधा गुलाम। गाव सराखी छोटी इकाईमें यह बात और भी अधिक लागू होती है। गावके वे लोग, जिनको सामाजिक और आर्थिक रूपमें उपेक्षा होती है, सम्पूर्ण गावके लिए भार और खतरा सिद्ध होते हैं।

उनमें से कुछ अपराधी मनोवृत्तिके हो जाने हैं और गावकी शान्ति और नैतिकताको भग कर देते हैं। उनसे ग्रामीण जीवनकी स्थिरता भग हो जाती है और वे गावमें पार्टीबन्दी और दलबन्दी पैदा कर देते हैं। इस तरह गावके जीवन पर वे बुरा प्रभाव डालते हैं। इस स्थितिमें ग्रामवासीके लिए विकासका अनुकूल वातावरण नहीं होता। इसलिए अपने हितमें उसे इस स्थिति पर विचार करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट आइज़नहोवरने कहा है कि इस अगले उत्थानके लिए जो कुछ किया जाय वह दान नहीं पूजीका हितकर विनियोग-मात्र है। इसलिए गावके उन लोगोंका उत्थान, जिनकी हमने उपेक्षा की है या जिन्हे दबाया है, हमारे ही हितकी बात है। क्योंकि उससे गावका सामान्य स्तर ऊंचा होगा।

इस तरहसे गावके विकासके अनुकूल सामाजिक वातावरण पैदा करनेके लिए अत्योदय बहुत आवश्यक है। अत्योदयका लाभ पूजीके विनियोगसे भी कुछ बढ़कर है। गावके सम्पन्न लोगोंकी उससे अपनी निष्क्रियता छोड़कर अपना जीवन-स्तर और ज्यादा अच्छा बनानेकी प्रेरणा मिलेगी। सधन क्षेत्रोंके कुछ गावोंमें, जहां अत्योदयका प्रयास किया गया है, यही अनुभव आया है। उदाहरणके लिए, कभेरपुरमें एक हरिजन परिवारके लिए गावके मध्यमें पक्का मकान बनानेके लिए पूरे गावने योग दिया। गावके अधिकांश मकान कच्चे हैं जिनमें मिट्टीकी दीवालें और फून्के छप्पर हैं। हरिजनके पक्के मकानसे दूररे परिवारोंको प्रेरणा मिली और आज दो वर्षके भीतर सभी ग्रामवासीयोंने सारे गावमें पक्के मकान बनाना तय

कर लिया है। लगातार चार साल तक फसल खराब होती रही। केवल दस वर्ष फसल अच्छी हुई और गावने अपने ही साधनोंसे इस पक्के मजान बनानेका निर्णय किया है। अगर फसल अच्छी रहे तो अगले कुछ सालोंमें सारा गाव पक्का हो जायेगा और हरएक घरका अच्छा नकरा होगा। गावके उपेक्षित अंगके उन्धानके लिए ग्राम-नेताओंके दस प्रयत्नमें उन्हें एक दूगरा पुरस्कार यह मिला। उमसे उनके दिल और दिमागमें गुणोत्त विक्रम हुआ है। साहस और आत्म-विश्वास भी उनमें पैदा हो गया है, जिससे द्वारा उन्होंने सम्मिलित सहकारी सेती भी आरम्भ कर दी है, जिसमें मनुष्य-श्रम, पशु, धन, साधन-सामग्री और भूमि सब एकत्र कर दिये गये हैं।

२. सामाजिक सुरक्षा

मनुष्यका विरासत तभी मजबूत है जब वह मजबूत हो। यदि सुरक्षा न हो और निश्चिन्ता न हो तो उगका मन हमेशा अशांत रहता है और अपने विरासतके लिए आवश्यक एवापना नहीं रखती। वह चिन्ता और भयमें डूबा रहता है। उसकी शक्तिया छिन्न-भिन्न हो जाती है और वह चिन्ता रहता है। इसी स्थितिमें उसमें मजबूती बृत्ति और अन्य असामाजिक बृत्तिया पैदा हो जाती हैं। अरशा और आगका-जतिभय मनुष्यके विरासतमें बाधक होता है। इसलिए स्वयं विकासके लिए मनुष्यका पूर्ण सुरक्षा मिलनी चाहिये। तभी उगमें आत्म-विश्वास, स्वाभिमान और सामाजिक जिम्मेदार भावना पैदा हो सकती है। यह समाजका धर्म है कि यह धर्मकारको सुरक्षा दे। प्रत्येक मनुष्यका अपने समुदायमें पैदा ही सुरक्षाका अनुभव होना चाहिये जैसी कि मार्स मोरमें दर्शाया जाता है। व्यक्तिपक्षी की-निष्ठा वास्तव रूपमें ही उसे ऐसी सुरक्षा देना समाजका कर्तव्य है। समुदायका नाटकमें वास्तविकता भरती प्रकृति प्रकृति का कर्तव्य माना है

पैत पैत विपुल्यो प्रजा मिनर्षेन दण्डता ।

म म वासादुःखे ताता दुष्कृत इति सुवन्ताम् ॥

प्रजा दुष्कृतने पर पोषता की की कि उगकी प्रकृतिमें विपदा त्रिप बन्धुओंके विपदा ही प्रायः उनके स्वयंकी पररहित प्रति प्रजा

करेगा। दुप्यन्तकी यह घोषणा प्रत्येक ग्राम-समाजकी घोषणा होनी चाहिये।

सुरक्षासे मनुष्यकी नैतिकता बढ़ती है। समाजके साथ उसका सम्बन्ध सुधरता है। यदि प्रत्येक व्यक्तिको उसकी न्यूनतम आवश्यकताओ और विकासके लिए समान अवसरका आश्वासन हो, तो सघर्ष और हिंसाकी भावना कम हो जाती है। सुरक्षासे मनकी वृत्ति विधायक बनती है और सहकारिता तथा बन्धुत्वकी भावना पैदा होती है। सहकारिताके आधार पर ही ग्राम-समाज अपनी सुविधाओको बढ़ानेके लिए अपने साधनोंका समुच्चय कर सकता है।

सघन क्षेत्रोंमें चिन्तामुक्तिके नामसे सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ग्राम-आयोजन द्वारा सतोपजनक रीतिसे पूरा किया जा रहा है। इस उद्देश्यसे ग्राम-आयोजनमें नीचे दिया जा रहा चतुर्मुखी कार्यक्रम शामिल किया गया है: (१) स्वास्थ्य, (२) शिक्षा, (३) रोजगारीकी गारंटी और (४) सामाजिक व्ययका बटवारा।

३. स्वास्थ्यकी योजना

ग्राम-समाजके प्रत्येक सदस्यको डाक्टरकी सहायता पहुंचानेकी दृष्टिसे स्वास्थ्यकी एक ऐसी योजना स्वीकार की जाती है, जिसमें सब थोड़ा थोड़ा योग दें। हर परिवारको वस्तु या नकद पैसे या श्रमके रूपमें एक स्वल्प फीस देने पर सदस्य बना लिया जाता है और साधारण रोगोंके लिए उन्हें निशुल्क डाक्टरकी सहायता दी जाती है। विशेष इलाजके लिए थोड़ी अतिरिक्त फीस ले ली जाती है। जो सदस्यता-शुल्क देनेमें असमर्थ हैं उन्हें भी इस योजनाका लाभ दिया जाता है। हा, स्वास्थ्य-योजनाके निमित्त श्रमदानकी अपेक्षा उनसे की जाती है।

४. शिक्षाकी व्यवस्था

निर्धन बालकोंको शिक्षा प्राप्त करनेके लिए पुस्तको, कागज, पैमिल आदि और स्कूल फीसके रूपमें कुछ दर्जों तक सहायता दी जाती है। अर्ध-व्यवस्थाके और अधिक विस्तृत होने पर ग्राम-समाज ऐसे

विद्यार्थियोंको ऊंची शिक्षा प्राप्त करनेमें भी सहायता देनेकी व्यवस्था करेगा।

५. निश्चिन रोजगारी

ग्राम-आयोजनका मंत्र है, " गावमें कोई बेकार न होगा "। जो भी पुरान, स्त्री या बालक बेकार हो, उन्हें गावके परिश्रमाद्यमे काम दिया जायगा और उगकी मजदूरी दी जायगी। वह मजदूरी कभी कभी काम या उगने जो यन्तु उत्पन्न हो उगने अधिक होती है। इन लोगोंको अरसर बनाईया काम दिया जाता है।

६. सामाजिक ध्यय

सामाजिक सुरक्षाके लिए आयोजनका यह अंग बहुत महत्व रखता है। ग्रन्थेय परिवारमें शादी और रोज-रिवाजों पर गबंध होता ही है। गैरीकी अज्ञानता व्यवस्था और बढ़ती हुई अंध-बेकारीकी स्थितिमें बहुत काम परिवार ऐसे होंगे, जिनके ग्राम अपनी सामाजिक स्थितिमें अनुकूल गबंध करनेके लक्ष्य बचन छेप रखती हो। परिणाम यह होता है कि वे बंध लेते हैं और बंधने समाजमें आर्थिक विरमता बढ़ती है। होता यह बाहिये कि सामाजिक गबंधोंके लिए या रोजगारीके गबंधोंके लिए सामान्य विमोचो बंध न लेना पड़े। परिवारोंका जो सामाजिक गबंध करने पड़ते हैं उनका बखट गाग गाव मैदान करे और गबंधोंके हितगत बढावे। इस प्रकार गावके अधिकांश परिवारों पर व्यक्तिगत आर्थिक भार भी कम हो जायगा और इन बंधोंका सामूहिक गबंध भी कम हो जायगा। बंधोंके अर्थ सामूहिक निश्चय रणता या गबंधोंका एक गबंध-सामान्य स्वर रणता जायगा और व्यक्तिगत विचारोंकी सुरक्षा कम होगी।

यदि ग्राम-आयोजन इस प्रकार करे कि बीर-धीरे स्वयंसात्थ अर्थ-व्यवस्थाका निर्माण हो जाय या दुगरे प्रकारकी सुरक्षाका प्रबन्ध भी हो गयेगा। उदाहरणके लिए खेत-बीमे तथा पशु और पशुबाहे बीदेका काम भी बिना हो गयेगा है। इनके देनामें अर्थगत, अधिकांश, कल्याणी आदि दुर्घटनाये कम होती रहती है। यह यह होता है कि

ग्राम-समाज उठने नहीं पाता, दवा-सा रहता है। साधन एकत्र करके इस प्रकारकी आवर्तक कठिनाइयोका मुकाबला किया जा सकता है। साधन क्षेत्रोंमें यह कार्यक्रम अभी आरम्भ नहीं हुआ है।

मनुष्यके समग्र विकासका उद्देश्य

गांधीजीने कहा है कि “मनुष्यके खान-पान, पहिनावे और उसके रहन-सहनकी पद्धतिमें उसका व्यक्तित्व, उसका चारित्र्य प्रगट होता है।”

मनुष्यका विकास अपने कार्यके आन्तरिक मूल्योंके द्वारा होता ही है, उसके चारित्र्य पर उसके भोगोंका भी परिणाम होता है। कार्य और भोग दोनों ही साधन हैं; साध्य तो समग्र विकास है। यदि कर्म बाह्य फलके हेतुसे किया जाता है, तो आन्तरिक विकासमें बाधा उत्पन्न करता है। इसी प्रकार बाह्य सुखके लिए किया हुआ भोग भी विकासके लिए बाधक होता है। लेकिन भोगके द्वारा मनुष्य आत्म-विकासकी अनुकूलता भी उत्पन्न कर सकता है। हमारे जीवन-यापनका स्तर क्या हो और कैसा हो, इसकी यही कसीटी होनी चाहिये। यह स्तर विज्ञान-सम्मत होना चाहिये — न तो अधिक ऊंचा और न नीचा।

युक्ताहार-विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।

युक्त-स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥

गीता ६-१७

गीताके इस श्लोकका भी यही अभिप्राय है। यदि जीवन-स्तर बहुत नीचा हुआ तो मनुष्यके विकास पर उसका कुप्रभाव पड़ता है और जिगे ऊंचा जीवन-स्तर कहा जाता है उसका परिणाम भी बुरा होता है। स्तर नीचा होनेसे व्यक्तित्व उठना नहीं है। ऊंचा होनेसे मनुष्य भोगवे आन्तरिक मूल्यमें ध्वस्त रह जाता है। वह भोगरत बन जाता है। उपभोग साधनके बजाय साध्य बन जाता है। साधनको साध्य मान लेना ही व्यक्ति और समाजकी गिरावटका मंत्रण वधा कारण हुआ है। कामागभोग—निस्सीम वासना-भोग मनुष्यके जीवनका

ध्येय बन गया है। उसको कभी तृप्ति नहीं मिलती। समाज पर और खुद पर उसका क्या परिणाम होगा, इसकी चिंता किये बिना उसके पीछे वह दौड़ता रहता है। गीतामें कहा है 'बुद्धिः कर्मानुसारिणी'—कर्मके अनुसार बुद्धि बनती है। मनुष्य अपने भोगोन्मुख कर्मके प्रतिपादनके लिए सिद्धान्त गढ़ने लगता है। वह 'जीवन-सघर्षमें शक्तिशालियोंकी विजय'के सिद्धान्तकी दुहाई देने लगता है। लेकिन यह सिद्धान्त तो जगलके कानूनका ही दूसरा नाम है। सहयोग और सह-अस्तित्वके स्थानमें वह सघर्ष और प्रतिस्पर्धा दाखिल करने लगता है। व्यापारका उद्देश्य अतिरिक्त उत्पादनका विनिमय नहीं रह जाता, बल्कि मूल उत्पादका शोषण हो जाता है। विज्ञान और यंत्रविद्याका उपयोग बेगार और परिश्रमके अतिरेकको घटानेके लिए नहीं होता, किन्तु सम्पत्ति और सत्ताके केन्द्रीकरणके लिए होता है। समाजमें जो भी हिमा और शोषण है उस सबका मूल साधनको साध्य मान लेनेकी—निस्सीम कामोपभोगको अपना ध्येय मान लेनेकी बुराईमें है। उससे जीवनके मूल्योंमें ही विपरीतता आ गई है। भोजन स्वास्थ्यके लिए नहीं किया जाता है, परन्तु स्वादके लिए किया जाता है, जो स्वास्थ्यको नष्ट करता है। जीवनमें बाहरी शान-शौकत और प्रतिस्पर्धाका प्रवेश इसलिए होता है कि दूसरोकी अपेक्षा हम बड़े माने जाय। अमरीकी अर्थशास्त्री पीगु'ने ठीक कहा है "लोग धनी नहीं, अपने पड़ोसियोंकी अपेक्षा अधिक धनी बनना चाहते हैं।" सच्चे अर्थमें 'धनी' शब्दमें 'अधिक धनी' शब्दकी अपेक्षा अधिक सार है। उसका अर्थ सम्पन्न और सोद्देश्य जीवन है, जब कि 'अधिक धनी' निरर्थक और प्रदर्शनमय जीवनका चोत्क है। दूसरेकी अपेक्षा अधिक धनी होनेकी वृत्तिमें अहंकार भरा हुआ है, जो हिंसाका उतना ही बड़ा खोन है जितना भिन्न भिन्न हितों और स्वार्थोंका सघर्ष।

मनुष्यके असमग्र, अमनुलित विकासका पतरा पहले उतना स्पष्ट नहीं था जितना स्पष्ट आज दिखाई दे रहा है। निस्सीम भोग-वामनाने मनुष्यको स्वार्थ-प्रधान बना दिया है। उसके मस्तिष्कका तो विकास हुआ है, परन्तु हृदयका हानि हुआ है। दिमाग जितना बड़ा है,

दिल उनना ही छोटा हो गया है। हम उस मजिल पर पहुच गये हैं जहा विज्ञानकी उन्नति मनुष्यके कष्टो और दुःखोको दूर कर सकती है, बशर्ते कि मनुष्य मनुष्यके विरुद्ध उसका प्रयोग न करे। दूसरे शब्दोंमें, मनुष्यका हृदय भी उन्नत हो और मनुष्य-मात्रके साथ सहकार और सह-अस्तित्वकी भावनामें वह विज्ञानका उपयोग करे। अपने बन्धुओंके साथ भांगा हुआ कष्ट सहनीय हो जाता है और सुखभोग तो और भी अधिक आनन्दप्रद बन जाता है। अपने साथियोंके सुख-दुःखमें भाग लेना ही सुखका नियम है। एकाकीपनमें मनुष्य स्वार्थी बनता है। साथियोंके साथ समभागी बननेसे उसका सर्वांगीण विकास होता है।

स्निग्धजनसविभक्त्वा दुःखसह्यवेदनं भवति ।

स्निग्धजनसविभक्त्वा सुखं उन्नतिकरं भवति ॥

विज्ञानकी उन्नतिने मनुष्यके सम्मुख एक दुविधाकी स्थिति उपस्थित कर दी है। यदि उसका दुरुपयोग न किया जाय तो विज्ञानसे मानवका महान हिन हो सकता है। आज विश्वके नेता और मनुष्य-मात्र हम दुरुपयोगको रोकनेका उपाय खोज रहे हैं। उनकी हार्दिक इच्छा है कि विज्ञानका उपयोग मनुष्यकी सेवामें हो, उसके विनाशमें नहीं। हम मन्वन्धमें हमें याद रखना चाहिये कि रोग होने पर इलाज करनेकी अपेक्षा रोगको रोकना ही श्रेष्ठ उपाय है।

प्रशालनाद्वि परम्य दूग्दम्पदानं वरम् ।

निम्नीम भोग-बिलासता मार्गं रोगकी वृद्धिका मार्गं है। भोगता नियन्त्रण और मतिभाजन रोगको रोकनेका उपाय है। यह जीवनकी बह बला है जो मनुष्यके आत्म-नियम पर आधारी है। जीवनकी यह बला मानवता गुणात्मक बननेवाली है, उसे महान गपटने बचानेवाली है और उमर द्वारा विज्ञानता पूर्ण लाभ भी मिल सकता है। यदि हम जीवन-कालमें उन्नति नहीं की जाती, तो और मर प्रत्याकी उन्नति अनिश्चर सिद्ध हो सकती है।

गव नःपि त्रय भर भर गत्या ।

गायत विग विध गारी ।

जीवनके इस खारेपनका कारण उस कलाका अभाव है, जो सुखोपभोगको समयमें रखकर मनुष्यका समग्र विकास करती है।

हमारी सामान्य जनताका जीवन-स्तर आज इतना नीचा है कि सुखोपभोगको समयमें रखनेकी यह वान अप्रासंगिक जान पड़ेगी। फिर भी हमारी प्रगतिकी दिशा तो निश्चित ही होनी चाहिये। क्योंकि गलत उद्देश्यमें खतरा निहित रहता है और मनुष्यमें मिथ्या महत्वाकाक्षायें पैदा होती हैं। सौभाग्यसे हम एक पुरानी संस्कृतिके उत्तराधिकारी हैं, जिसके परम्परागत मूल्य वही आन्तरिक मूल्य हैं, जिनसे मनुष्यका समग्र विकास होता है। इन मूल्योंकी अस्थायी विस्मृतिके कारण ही हमें भौतिक दारिद्र्यका शिकार बनना पडा है। अतएव इन मूल्योंकी पुनः प्रतिष्ठा ही उसके निवारणका एकमात्र उपाय है। हममें से निर्धनमें निर्धन व्यक्तिमें भी इन मूल्योंकी भूख है। अतएव इन मूल्योंके आधार पर हम सत्त्व ही अपनी प्रगतिका निर्माण कर सकते हैं, और भौतिक समृद्धि उसका स्वाभाविक परिणाम होगी।

मघन क्षेत्रोंमें जन-साधारणको भोगोको सीमित करने व आत्म-समयकी शिक्षा देनेका प्रयत्न चिया जा रहा है। इस दिशामें जनमनका निर्माण करनेके लिए कुछ मुद्दे लिये जाते हैं, जिनमें झूठे प्रदर्शनकी प्रवृत्तियों रोका जाना है। यदि अतिथि या आगन्तुक प्रात काल या सायंकाठ जलपानके समय आये, तो ही उसे चाय या अन्य पेय देनेकी प्रथा डाली जा रही है। दूसरे समयो पर ऐमा कोई मन्कार नहीं किया जाता। आहारके सम्बन्धमें अस्वाम्य्यवर खर्चील व्यक्तियोंके स्थान पर पोषक मत्त्वोकी ओर ध्यान दिलाया जाता है। शादी वेगभूपा पसन्द की जाती है। शादी-विवाहके अवमरो पर होनेवाला नर्च कम हो रहा है, वगैरि शर्म-समाज या विरादरी उमवा नियन्त्रण करनी है और परिवारके माथ उगमें हिस्सा बटानी है। मुरुटमें बटानी मघन क्षेत्र सम्पाने गट प्रथा डाली है कि निम्न-भिन्न विरादरियोंके शादी-विवाह मस्याके प्रधान केन्द्र-स्थलमें हो। अन्धन्त अन्य विराया केवर, एक-दो घटेकी ही सूचना पर वह शादीके लिए मारी मुविपाए व मामान प्रम्नुत कर देना है। विवाहकी हम प्रयाने ध्यम्निगत परिवारोको बढी राहत

मिल गई है। संस्थागत अनुशासन उनको व्यर्थके प्रदर्शनके भारसे बचा लेता है। उत्सवमें सादगी और शोभा आ जाती है। जो सुविधाएँ सस्थाकी ओरसे दी जाती हैं वे चाहे अत्यंत धनी परिवारोके स्तर तक न पहुँचें, परन्तु अधिकांश परिवारोके स्तरसे अधिक होती हैं। उन परिवारोके लिए यह प्रबन्ध बहुत लाभदायी सिद्ध होता है। विवाहकी यह पद्धति समाजमें बहुत कुछ समानता लाती है।

सघन क्षेत्रके कार्यक्रममें सर्वत्र सविभागके तत्त्व पर जोर दिया जाता है। आरंभ तो इसीसे होता है कि ग्रामनेता सम्पूर्ण समुदायके कल्याणके लिए काम करते हैं। सारे समाजके लिए अपनी बुद्धि, समय, और आवश्यकता पडने पर शारीरिक शक्तिका योग देते हैं। अत्योदयके कार्यक्रममें यह सविभाग ज्यादा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। सामाजिक सुरक्षाके कार्यक्रमका तो आधार ही सविभाग है। सदस्योकी अपनी-अपनी क्षमताके अनुसार साधन जुटाये जाते हैं और आवश्यकताके अनुसार व्यय किया जाता है। ग्रामोद्योगोंमें तो सविभाग आता ही है। और सघन क्षेत्रोंमें सहकारी खेतीकी जो प्रथा है, उसमें तो सबसे अधिक सविभाग है। इस प्रकार सघन क्षेत्रोके कार्यक्रम सविभाग और आत्म-सयमकी दृष्टिसे सच्ची दिशामें चल रहे हैं।

उच्चतर संगठन

ग्राम-संस्कृति ऐसी होनी चाहिये जिसमें ग्रामवासियोके सर्वोच्च बौद्धिक और आर्थिक तथा राजनीतिक विकासकी गुंजाइश हो। यह तभी हो सकता है जब उन्हें इन सब शक्तियोके उपयोगका अवसर मिले। तीक्ष्ण बुद्धिवाला कोई विद्यार्थी यदि १० वर्ष तक चौथे दर्जेमें ही पडा रहे तो कुन्दजहन हो जायगा। पढनेमें उसका मन नहीं लगेगा; वह केवल खानापूरी करता रहेगा। परन्तु यदि वह दर्जा-ब-दर्जा चढता जाय और आगे बढ़ता जाय, तो उसे अपनी शक्तियोके विकासका अविनाशिक अवसर मिलेगा। सीमित अवसरोंके कारण वृद्धि और विकास भी सीमित रह जाते हैं। ग्रामवासीका भी यही हुआ है। शताब्दियोसे वह दर्जा चारमें ही पडा है। बल्कि अभी हालके जमानेमें

तो वह और नीचे उतर गया है। क्योंकि उसमें अपने गांवका प्रबन्ध करनेका भी अधिकार छीन लिया गया है। अब उसे केवल अपने परिवारका प्रबन्ध करनेका ही अवसर रह गया है। इसलिए उसका विकास भी अपने कार्यक्षेत्रके मुताबिक ही सकुचित रह गया है। उसका अधिक विकास तभी संभव है जब उसका कार्यक्षेत्र विस्तृत हो। ग्रामवासियोंकी मूल समस्या यही है। दूसरी सब समस्यायें इसकी शाखा-प्रशाखामात्र हैं।

हमारे देशमें दो प्रकारके संगठनोंका सफल प्रयोग हुआ है। एक तो परिवारका संगठन जो रक्तकी अथवा वंशकी एकताके आधार पर टिका है। और दूसरा, आश्रमका संगठन जिसके मूलमें विचारोंकी एकता है। परिवारकी इकाई समाजकी बुनियादी इकाई है और सदा बनी रहेगी। परन्तु उसे बृहत्तर सस्थागत इकाईका सहारा देना पड़ेगा। समाजमें आश्रमका भी स्थान है। परन्तु वह कुछ विशिष्ट व्यक्तियों तक सीमित रहता है। वह पिता और पुत्रको जोड़नेवाली कड़ीका काम नहीं कर सकता। इसलिए विकासके अगले चरणके लिए ग्रामवासियोंको सस्थाकी आवश्यकता है। ग्राम-पंचायतके सिवा ऐसी दूसरी सस्था ग्राम सहकारी समिति हो सकती है। वह क्षेत्रीय सहकारी संगठनका अंग होगी और ग्राम-समाजको उद्देश्यकी एकताके सूत्रमें बांधेगी। उद्देश्यकी एकता पर आधारित संगठन ही वर्तमान युगकी अपनी सस्था है। जार्ज रसेलने ठीक ही कहा है कि "मानव-समाजका अपने वर्तमान स्तरसे आगेका विकास इसी पर निर्भर है कि उसमें एकताके सूत्रमें बंधने और सच्चे सामाजिक संगठन बनानेकी क्षमता हो।"

मानव प्रकृतिको ऊंचा उठानेके दो मार्ग हैं एक तो है धर्मका भावना-मूलक मार्ग और दूसरा है मस्था और संगठनका मार्ग। अपने देशमें आज दोनों मार्गोंका आश्रय हम ले रहे हैं। पहलेकी प्रेरणा हमें विनोबाजीमें मिल रही है और दूसरेकी प० जवाहरलाल नेहरूमें। कोई अपने-आपमें पूर्ण नहीं है। दोनों एक-दूसरेके पूरक हैं और अभीष्ट परिणामके लिए दोनोंका समन्वय आवश्यक है।

मानवीय सस्थायें और सगठन चाहे जितने उत्तम हो वे अपूर्ण ही रहेंगे। गांधीजीने कहा है, "मैं ऐसे सुव्यवस्थित समाजकी कल्पना नहीं कर सकता, जिसमें मनुष्यको अच्छा होनेकी जरूरत न रह जाये।" धर्म-भावना-प्रधान मार्गमें सगठनका उतना महत्त्व नहीं माना जाता जितना व्यक्तिकी साधनाका। परन्तु नीतिभ्रष्ट समाजमें नीतिमान व्यक्तिकी स्थिति स्वयं स्थायी नहीं होती। वह टिकती नहीं। इस कारण केवल व्यक्तिकी सद्भावना अथवा केवल अच्छी सस्थाओंसे काम नहीं चल सकता। हमें दोनोंकी आवश्यकता है—अच्छे मनुष्यकी भी और अच्छे समाजकी भी। तभी व्यक्तिके व्यक्तित्वका उच्चतम विकास हो सकता है और व्यक्ति तथा समाजके बीच सामंजस्य स्थापित हो सकता है। इस कारण व्यक्तिके विकासके लिए भी और सामाजिक सामंजस्यके लिए भी सस्थागत सुधारका अत्यंत महत्त्व है।

उच्च वर्गों और जनतामें सामंजस्य

ग्राम-विकासकी समस्या हल करनेके लिए समाजके सगठनमें सुधारकी आवश्यकता है। उदाहरणके लिए, डेरी उद्योगको लीजिए। भूमि पर जनसंख्याका भार बढ़ जानेकी वजहसे अधिकांश गावोंमें पशुओंके चरनेके लिए बहुत कम जमीन रह गई है। किसान अपनी अलग अलग जमीनके लिए—वह कितनी ही छोटी हो—अलग-अलग बैल-जोड़िया रखते हैं। इस कारण भूमि पर पशुओंका भार इतना बढ़ गया है कि धरतीमें भोजन प्राप्त करनेके लिए मनुष्य और पशुमें प्रतिस्पर्धा है। अलग-अलग विमान अपनी छोटी छोटी जोंकोंमें न तो गायके लिए निरन्तर हरे चारवा प्रवन्ध कर सकते हैं और न अच्छे साड़ोका। ग्रामकी कुल जमीन पर मर्मित कृषिक द्वांग फसलोंका ठीक-ठीक आयोजन करके ही पशु-पाठनकी उचित व्यवस्था की जा सकती है और तभी डेरीका विकास हो सकता है। सरकारी डेरीमें पूरे समय काम करनेवाला विशेषज्ञ रखा जा सकता है जो कि व्यक्तिगत गोपालनमें सम्भव नहीं है। यही बात मयन कृषि-कार्यमें लागू होनी है, क्योंकि उसमें अधिक पूजीकी और उच्च कोटिकी सगठन-शक्तिकी आवश्यकता है। गेती और डेरीकी उपस्था प्रचलन लिए एक ऊंच सगठनकी आवश्यकता है। विक्रीकी

सहकारी योजनाके बिना किसानके लिए यह सभव नहीं है कि वह अपने मालका उतना ही मूल्य पा सके जितना औद्योगिक उत्पादनको मिलता है। किसानको वैज्ञानिक तरीकोंका उपयोग करके अपने कच्चे मालका पक्का माल बनानेमें भी सहकारिताकी आवश्यकता है। इस प्रकार उत्पादन बढ़ानेमें सहकारिताकी आवश्यकता है। महा उत्पादनका अर्थ केवल कृषिकी उपज नहीं, किन्तु डेरीकी, उद्योगकी और पक्के मालकी यानी गावकी सम्पूर्ण उपज है।

गाव और क्षेत्रके स्तर पर अच्छा संगठन बनानेका एक बड़ा लाभ यह होगा कि वर्ग-विशेष और जन-साधारणके बीचका सघर्ष बहुत-कुछ दूर हो जायगा। उच्चस्तरीय संगठन बनानेसे गावके योग्य युवकोंको उपयुक्त कामोंमें लगाया जा सकता है। व्यक्तिगत गंगालनके स्थान पर यदि सहकारी डेरी बने, तो डेरी विशेषज्ञको काम करनेका अवसर मिलना है। इसी प्रकार सहकारी कृषिमें कृषिकी तालीम पाये हुए युवकोंको लगाया जा सकता है। सहकारी वित्री व्यवस्था, सहकारी गृह-निर्माण, सहकारी स्वास्थ्य-योजना, सहकारी उद्योग आदि अनेकानेक सहकारी प्रयासोंमें बहुतसे प्रतिभावान युवकोंको गावमें ही काम मिल सकता है। इस प्रकार उत्पादन और सेवाके संगठन शिक्षित युवकोंके लिए आवश्यक होने हैं, उन्हें गावमें ही रहनेका अवसर प्रदान करते हैं और व्यवस्थित जीवनकी सब सुविधायें भी उन्हें देते हैं। गावकी अर्थ-व्यवस्थाका विकास हो तो बहुतसे प्रतिभावान युवकोंकी सेवाओंका उपयोग हो सकता है। और विशिष्ट वर्ग तथा जन-साधारणका भेद मिट सकता है।

गावमें उच्चतर संगठनके विरुद्ध कुछ लोगोंकी दलील यह है कि उससे गावमें एक व्यवस्थापकोंका संगठन खड़ा हो जायगा। परन्तु प्रश्न यह है कि व्यवस्थापकोंका वर्ग अच्छा है या उच्चतर संगठनके अभावमें गभीरता विकास रोक देना अच्छा है। गावमें नेतृत्वके विकासकी गुंजाइश होनी चाहिये। उमीके द्वारा गावके विकासकी प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। यदि ग्राम-विकासका मारा कार्यक्रम नई तालीमके अनुसार चलाया जाता है, तो ग्रामवासियोंमें जागी जागृति पैदा हो जायगी और नेतृत्व अपनी शक्तियोंका दुरुपयोग नहीं कर मवेगा। इस

मार्गमें यदि खतरा हो तो भी ग्राम-समाजको ऐसे खतरोंको उठाना चाहिये। विघ्नके भयसे कामको आरम्भ न करना उचित नहीं है।

उच्चतर सगठनका रास्ता ही निर्माणका रास्ता है। उसीसे ग्रामकी अविकसित अर्थ-व्यवस्था विकसित होगी। उससे विकासमें गति आवेगी और महत्त्वाकांक्षी लोगोंको गावमें ही अपनी शक्ति और योग्यताका उपयोग करनेके अवसर मिलेंगे। जो मनुष्य-शक्ति अथवा साधन-शक्ति बेकार पड़ी है वही हमारी बड़ी पूजी है; सगठनके द्वारा उसका उपयोग विकासके लिए किया जा सकता है। मनुष्य-शक्तिके उपयोगका मतलब है साधन-विहीन लोगोंको साधन-सम्पन्न बनाना; उन्हें काम करनेके साधन और अवसर मुहैया करना। इसमें दानकी बात नहीं है। यह तो लाभका सौदा है। क्योंकि लोग बेकार रहें और उनकी शक्तियोंका उपयोग न हो, तो अर्थ-व्यवस्था अविकसित रहती है। कोई यह न समझे कि इस तरह हम मौजूदा सीमित सम्पत्तिका बटवारा करते हैं। इससे सम्पत्तिका उत्पादन बढ़ेगा। जिनके पास साधन हैं वे पूजीकी तरह उसका उपयोग करनेके लिए तैयार ही रहते हैं। उन्हें इस बातकी प्रतीति करा देनेकी जरूरत है कि बेकार साधनोंको सक्रिय बनाकर काममें लगा देना पूजीका उत्तम उपयोग है। एक बार यह प्रगति आरम्भ हो जाय, तो गावको ऐसा स्थानीय नेतृत्व प्राप्त हो जायगा कि संपूर्ण ग्राम-समाज सक्रिय हो उठेगा और साधन-सम्पन्न लोग अनुभव करने लगेंगे कि वे अपने हितका कार्य कर रहे हैं। स्थानीय साधनोंका सम्पूर्ण उपयोग करनेमें उन्हें अधिक सेवा और सुविधाकी सम्भावनाये भी दिखाई पड़ेंगी। उन्हें यह भी दिखाई पड़ेगा कि साधनविहीन लोगोंके और उनके हित समान हैं। हितोन्नी इस समानताके आधार पर ग्राम-समाजका निर्माण होगा।

नया संतुलन

गावमें उच्चस्तरीय सगठनका एक और बड़ा लाभ यह है कि अर्थ-व्यवस्थामें नये संतुलन स्थापित होंगे। सहकारी सगठन द्वारा घर, गाव और क्षेत्रने स्तर पर आर्थिक कार्योंमें सामंजस्य स्थापित होता है। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था विशुद्ध होनेसे बचनी है और विकेंद्रित सहकारी

व्यवस्थावा निर्माण होता है। पूरे क्षेत्रमें ऐमें पारस्परिक संबंध कायम होने हैं, जिनमें व्यक्तिवा अस्मिन्व्य सगठनमें तो नहीं जाता। सगठनके मुधारमें केन्द्रीकरण और विशृङ्खलता दोनोंके बीचमें सन्तुलन कायम होगा। जिन क्षेत्रीय सगठनमें परिवार-इकाई, ग्राम-इकाई और क्षेत्र-इकाईके बीचमें सामंजस्य स्थापित हो, उसमें पूरी रोजगारीके साथ तरनीकी साधनोंका प्रतिक मुधार सभ्य होगा, क्योंकि वह उपलब्ध मानव-शक्ति और उपांगके बढ़ते हुए पैमानेके बीच सन्तुलन कायम रखेगा। आर्थिक और तरनीकी साधनोंके बीच उपरोक्त सन्तुलन कायम करनेकी प्रक्रियामें क्षेत्रीय सगठन द्वारा सांस्कृतिक मूल्यां और वैज्ञानिक प्रगतिमें भी समन्वय सम्भव हो सकेगा।

सामाजिक प्रभाव

गावमें हमारे समुन्नत सगठनका एक अच्छा प्रभाव यह पड़नेकी संभावना है कि ग्राम-समाजके विभिन्न अंगोंमें आपसी व्यवहारमें मुधार हो और सामाजिक एकता स्थापित हो। जब विमानका कारीगरने सीधा व्यवहार होता है, तो जानि-बचन कायम रहता है। जिन आयाजनमें विमान और कारीगरका व्यवहार अलग-थलग होता है, वहा जानि-बचन डीला पट जाता है। विमान गावकी सहायरी समितिमें मार्गें बच्चा माल दगा और सहायरी समितिमें ही मार्गें तैयार माल करीदेगा। कारीगर भी सहायरी समितिमें मार्गें बच्चा माल करीदेगा या उधार दगा और तैयार माल भी उगीके मार्गें बेचेगा। अर्थात् विमान और कारीगर दाना हैं। सहायरी समितिमें मार्गें व्यवहार करेंगे। यह सम्पादन समर्थ साहित्यकारों समर्थों करेगा। गावका समुन्नत सगठन विमेशरीके स्थाना पर साहित्य समाल विचे विना योग्य आदमी नियुक्त करने साहित्यी अस्था सांगदाका आदर करनेकी कृतिसे बहुरा दे सकेगा है।

सांस्कृतिक विभाग

सांस्कृतिक विभागके लिए भी गावके स्तर पर समुन्नत सगठनकी आवश्यकता है। समुन्नत परिवार-इकाई सामंजी हो रही है। जगते

कार्यका बटवारा होता था और स्त्रियोको सांस्कृतिक अवकाश मिलता था। ऐसी हालतमें यह आवश्यक हो गया है कि परिवारोको उसी प्रकारकी सुविधाएँ देनेके लिए ग्रामस्तरीय सेवाओका आयोजन किया जाय। गावमें एक धुलाई-घर बन सकता है, जहा गावमें बना हुआ नया कपड़ा और सब परिवारोके रोजके कपडे धोये जाये। इससे न केवल स्त्रियोका भार हलका होगा, बल्कि लोगोकी कलात्मक रुचि भी बढेगी। सम्मिलित डेरी फार्मसे भी स्त्रियोका भार हलका होगा। उनका आटा पीसनेका और दाल आदि बनानेका काम गावकी सहकारी समितिके द्वारा होने लगे, तो उनका कठिन परिश्रम और भी कम हो जायगा। पारिवारिक जीवन इससे क्षुब्ध नहीं होगा, बल्कि सांस्कृतिक जीवनका विकास होगा। यदि इस प्रकार स्त्रियोकी समय-सारिणीमें कामके घटोको सख्या प्रतिदिन ६ घटे रह जाय, तो वे करीब-करीब २ घटे सामूहिक केन्द्रमें दूसरी वहनोके साथ बिता सकती हैं, जहा वे कला-कौशल, बाल-कल्याण, संगीत और आहार-विज्ञान आदिका अध्ययन कर सकती हैं। ऐसी सम्मिलित सुविधाओका संगठन करनेसे महिलाओकी वर्तमान परेशानी कम होगी और उन्हें घरकी अपेक्षा अधिक उच्च स्तर पर कार्य करनेका अवसर मिलेगा। महिलाओके व्यक्तित्वका विकास करनेके लिए और उनका दृष्टिकोण विवसित करनेके लिए यह आवश्यक है। इस प्रकार ग्रामीण स्त्रियोको ससारके निरन्तर बढते हुए ज्ञानसे परिचित होनेकी सुविधा दी जाय, तो एक नयी ग्रामीण सभ्यताकी बुनियाद पड सकेगी।

उच्चतर संगठन

नये संतुलनके साथ विस्तार

ग्राम-संस्कृतिके अगले चरणमें हमें ग्राम-समाजकी जीवन-रक्षाके लिए नयी कार्य-पद्धतियोंका अवलम्बन करना होगा। केन्द्रीकरणकी प्रवृत्तिके कारण उसका जो विघटन हो रहा है उसे रोकना है। उसके गतिशून्य जीवन, सीमित साधन और सीमित अवसरकी समस्याएँ हल करना है और ग्राम-निवासीके लिए नये अवसर उपलब्ध करना है। उसका जीवन-मान भी ऊँचा करना है। अर्थ-व्यवस्थाकी रूपा करनेके प्रयत्नमें नये संतुलन कायम करने होंगे। अर्थात् स्वाभाविक जीवन और मर्यादित जीवन, बेकारीका निवारण और प्रगतिशील अर्थ-योजना, कामके आन्तरिक मूल्य और बाह्य मूल्य, मानवीय गुणोंका विकास और वैज्ञानिक प्रगति, तकनीकी प्रगति और न्यायपूर्ण वितरण — इन सबके बीच संतुलन कायम करना होगा। ग्राम-निवासीको पुराने सामनवादी धानाकरण और जतिवादकी कठोरतामें मुक्त करना है। साथ ही आवश्यक सामाजिक सुरक्षाओंका आश्वासन भी देना है। इस प्रकार ग्राम-जीवनके ऐसे संतुलित विकासके लिए उपयुक्त कार्यक्रम बनाने हुए हमें निम्नलिखित सवालों पर विचार करना होगा :

१. गांधीजीकी सागरवृत्तवाली समाज-रचना ।
२. कार्य-पद्धतियोंका त्रिक मुधार ।
३. अर्थव्यवस्थाके ग्राम-अर्थव्यवस्थाका विकास ।
४. विभिन्न सेवाओंका प्रबन्ध ।
५. मुद्रिशाओ और सेवाओंका प्रबन्ध ।
६. परिवारोंकी अनैक-विध प्रवृत्तियाँ ।
७. सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्ध ।
८. व्यवसाय-विभाजन ।

९. पञ्चशता आयोजन ।
१०. बाजार ।
११. ज्ञान का विस्तार ।
१२. सांस्कृतिक अलगाव को उठार ।
१३. परस्पर श्राद्ध-भाव ।

समाजवादी कल्याण-राज्य के बड़े सहकारी पंचायती राज्य

ये सब मुझे ग्राम-जीवन के उच्चतर संगठन की आवश्यकता सूचित करते हैं। उस समाज-व्यवस्था में मनुष्य के लाभ के लिए जो भी कार्य किये जायेंगे, वे किसी बाहरी सस्था द्वारा नहीं किये जायेंगे। वरन् वह अपने विकास के लिए उन्हें स्वयं सम्पन्न करेगा। अवश्य ही अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए उसे अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। वह अपने साथियों के संगठित सहयोग के द्वारा अपनी समस्या हल करेगा। ऐसे संगठन में व्यक्ति न तो निष्क्रिय द्रष्टा रहेगा और न ही एक लाचार यत्र, वरन् वह अनुभव करेगा कि उस संगठन के संचालन में उसका सक्रिय योग है। वह संगठन उसके परिवार और गावसे बड़ा होगा, ताकि उसे उससे संगठित जीवन के लाभ प्राप्त हो सकें। लेकिन वह संगठन इतना बड़ा भी नहीं होगा कि मनुष्य का अपने साथियों से सजीव संपर्क न रह सके। वह ऐसा संगठन होगा जिसमें मनुष्य बाहरी शक्ति को बशीभूत नहीं होगा, वरन् अपने ही अनुशासन से नियंत्रित होगा। जहाँ कहीं किसी व्यक्ति के आत्म-अनुशासन में कमी होगी वहाँ उसकी पूर्ति सदस्यों के पारस्परिक नियंत्रण से कर दी जायगी। स्पष्ट है कि इस प्रकारका संगठन सहकारी होगा, समाजवादी नहीं। श्री जयप्रकाश नारायण ने ठीक ही कहा है कि समाज के पुनर्निर्माण के भारतीय आदर्श की दृष्टि से समाजवादी कल्याणकारी राज्य की अपेक्षा सहकारी पंचायती राज्य का रूप अधिक उपयुक्त है।

स्वास्थ्य और सहकारी क्षेत्र

इस प्रकारका संगठन मनुष्य के विकास के उपाय खोज निकालेगा। इस प्रयत्न में वह मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के

वीचका 'स्वर्ण मार्ग' खोज निकालेगा। वह सामाजिक सुरक्षाकी योजनाओके रूपमें ऐसी कार्य-प्रणालिया अपनायेगा, जिनमें व्यक्ति समाजमें सम्पूर्ण सुरक्षाका अनुभव करेगा। संगठनमें ऐसे प्रतिबन्ध भी कायम किये जायगे जिनके द्वारा व्यक्तिकी समाज-विरोधी वृत्तियो और कार्यों पर नियन्त्रण रहेगा। इस उद्देश्यसे वह अर्थ-व्यवस्थाका ऐसा विभाजन करेगा कि व्यक्तिकी आर्थिक प्रवृत्तिया नियमबद्ध रहें। स्वास्थ्यी क्षेत्रका उसमें सबसे अधिक स्थान होगा, जिसमें मनुष्य अपने श्रमके फलका स्वयं उपभोग करता रहे। जहाँ बहुत व्यक्तियोंका श्रम इकट्ठा होगा या जिसमें यत्नशक्तिका उपयोग किया जायगा, वहाँ सहकारी पद्धति दाखिल की जायगी। उसमें व्यापार और व्यवसाय भी सहकारी रूपमें होगा, ताकि उसका संचालन सम्पूर्ण समुदायके हितमें हो। व्यापार और व्यवसायकी ऐसी सहकारी व्यवस्थामें धास्तविक आवश्यकतासे अधिक पदार्थोंका ही विनिमय होगा। कच्चे मालके उत्पादकोका शोषण नहीं होगा। इसी प्रकार विविध सेवाओका नियोजन भी सहकारी क्षेत्रके अन्तर्गत ही किया जायगा, ताकि उनका लाभ समाजके निर्धनसे निर्धन व्यक्तियोंको मिले और उनका शोषण नहै।

सुश्रुतलित व्यवस्था

ग्राम-अर्थव्यवस्थाकी रचना और विकासके लिए संगठनके प्रकारका बहुत महत्त्व है। इस संगठनको गावोंकी छिन्न-भिन्न अर्थ-व्यवस्थाको सुश्रुतलित करनेका काम करना है। दूसरे शब्दोंमें उसे ग्रामकी अर्थ-व्यवस्थाके आंतरिक सघर्षोंको हल करना पड़ेगा, ताकि भिन्न-भिन्न वर्गोंके हितोंमें सामंजस्य स्थापित हो और गावमें शान्ति और सम्पन्नता बढ़े। उसे गावकी अर्थ-व्यवस्थाके बाहरी सघर्षोंको भी हल करना होगा और इसके लिए गावकी इकाईका ग्राम-समूह या क्षेत्रकी अर्थ-व्यवस्थाके साथ मेल बैठाना होगा। यदि एक वर्गका स्वार्थ दूसरेके विरुद्ध हो, तो यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। वह तभी पूरा होगा जब वे एक-दूसरे रचनाके परस्पर पूरक अंग हों और सबके हितोंमें सामंजस्य हो। उसी दशामें गावके और क्षेत्रके सम्पूर्ण साधनोंका उपयोग हो करना है और स्थानीय नेतृत्व मिल करना है। "व्यापक महत्कारी

संगठन सहयोगका एक उत्कृष्ट और बहुत शक्तिदायी रूप है; परन्तु यदि हम केवल किसी सीमित कामके लिए जैसे खरीद-विक्री या बर्तनके लिए सहकारी संगठन बनाते हैं, तो उस सीमा तक लाभ भले ही मिल जाय, परन्तु पारस्परिक सहयोगका सच्चा आनन्द नहीं मिलता। उपभोक्ताओंकी सहकारी समितियोंमें सहयोगका तत्त्व बहुत थोड़ा है। उनकी अपेक्षा उत्पादकोंकी सहकारी समितियोंमें सर्जकताके लिए ज्यादा अवकाश होता है, परन्तु सहकारिताका सबसे अधिक सनोपप्रद और लाभप्रद रूप तो समग्र सहकारितामें ही प्राप्त होता है। कोपाटकिनके शब्दोंमें यह गावके ऐसे क्षेत्रमें ही सम्भव है, जहाँ सामुदायिक जीवन उत्पादन और उपभोगके सयुक्त आधार पर बनता है। यहाँ उत्पादनका तात्पर्य केवल खेती नहीं है; उसमें उद्योग, दस्तकारिया और खेती सब शामिल हैं।” *

गांवोंमें उत्पादक ही उपभोक्ता हैं

प्रायः यह समझा जाता है कि व्यक्ति अपने सामान्य हितोंके लिए सहयोग कर सकते हैं; और यह कि एक वर्गके रूपमें उत्पादकोंके हित समान होते हैं और इसी तरह उपभोक्ताओंके हित भी समान होते हैं। किसी एक गावमें कच्चे मालसे पक्का माल बनानेके उद्योगमें लगे हुए कारीगरोंको उत्पादक वर्ग माना जाता है और किसानोंको उपभोक्ता वर्ग। इस आधार पर कारीगरोंका पृथक् संगठन बनानेकी सिफारिश की जाती है। परन्तु यह मान्यता ही गलत है। किसान केवल उपभोक्ता नहीं हैं, बल्कि वे कच्चे मालके उत्पादक भी हैं। अर्थात् उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हैं। दस्तकारों द्वारा कच्चे मालका पक्का माल प्रायः वे अपने उपभोगके लिए ही बनवाते हैं। तेली, कुम्हार, बढई, धोबी, दर्जी आदिसे वे ऐसा ही करवाते हैं। यहाँ उत्पादकोंका हित उपभोक्ताके हितसे पृथक् नहीं होता। दस्तकार स्वतन्त्र उत्पादक नहीं हैं, बल्कि वे उत्पादक उपभोक्ताओंकी अमुक्त सेवा करते हैं और उस सेवाके बदलेमें उन्हें पुरस्कार मिलता है। उत्पादक उपभोक्ताको

* असोक मेहता : स्टडीज़ इन एशियन सोशलिज़्म, पृ० ७७।

कारीगरोंकी सेवाकी जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता उन कारीगरोंको वह सेवा देनेकी है। उत्पादक उपभोक्ताओंको यह सतोष रहता है कि अपने कच्चे मालका, अपने ही उपभोगके लिए, अपनी निगरानीमें बना हुआ पक्का और मजबूत माल उन्हें मिलना रहेगा। उन्हें यह भरोसा भी रहता है कि वह टिकाऊ और गुढ़ होगा तथा नियमित रूपसे मिलता रहेगा। दूसरे, उनके कच्चे मालका पक्का माल स्थानीय दस्तकारों द्वारा बही बनाया जाय, तो ही वे वैसा पक्का माल बनानेवाले कारखानोंके साथ होडमें उतर सकते हैं, यानी अपनी वस्तुका उतना ही मूल्य रख सकते हैं। जब गावकी अर्थ-रचनामें विविधता होगी तभी वहा चलनेवाले काम-धन्धोंमें सतुलन आयागा व मनुष्य-शक्तिका विहित उपयोग हो सकेगा, तभी गावकी अर्थ-व्यवस्था प्रगतिशील बनेगी और ग्रामवासियोंको अभीष्ट सुविधाएँ और सेवाएँ उपलब्ध हो सकेंगी।

संयुक्त संगठन द्वारा न्याययुक्त व्यवहार

दस्तकारोंका हम पृथक् वर्ग मानें और खेतिहर किसानका पृथक् और ऐसा समझें कि किसानोंके खिलाफ हमें दस्तकारोंके हितोंकी रक्षा करनी है, तो बहुतसी कठिन समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। किसान अपनेको कारीगरोंके बने हुए मालका केवल उपभोक्ता मानेगा, तो उसकी नजर कीमतोंकी कमी-बेशी पर रहेगी और कारखानोंकी तुलनामें दस्तकार घाटेमें रहेगा। यदि कीमतोंके बारेमें प्रतिस्पर्धाकी दृष्टि रहे तो एक ही पैसेमें एक दस्तकार दूसरे दस्तकारसे प्रतिस्पर्धा करेगा और दाम घटाकर या मिलावट करके कम दामोंमें माल बेचनेकी कोशिश करेगा, जिसमें दोनोंको ही नुकसान रहेगा। उदाहरणके लिए, ऐसी हालतमें किसी गावके दो तेलियोंमें एक-दूसरेके ग्राहकोंके लिए छीना-झपटी होगी। मच पूछिए तो तेलीके हितकी समानता दूसरे तेलीके साथ उतनी नहीं है जितनी तिलहन पैदा करनेवाले उपभोक्ताके साथ है। यदि बहुसंख्यक किसान-वर्ग अल्पसंख्यक कारीगर-वर्गको उसकी मेहनतके लिए कम मजदूरी देना तय करे, तो खरीदके वक्त वह उसे उसके पक्के मालका कम दाम भी दे सकता है। प्रत्येक दशामें अल्पसंख्यक वर्गके लिए

बहुसंख्यक वर्गकी सद्भावना आवश्यक है। अल्पसंख्यक वर्गको अपनी सेवाओं और कामका उचित मुआवजा मिलनेके लिए वर्गोंके पृथक् संगठनके बजाय संयुक्त संगठन ज्यादा उपयोगी है। इस उदाहरणसे संयुक्त संगठनकी विशेष उपयोगिता सिद्ध होती है। यदि संयुक्त संगठन क्षेत्रीय स्तर पर खड़ा किया जाय, तो विभिन्न वर्गोंके हितोंमें मेल साधा जा सकता है।

सघकी स्थापना होने पर भी उसके वर्गोंमें स्वार्थोंका सघर्ष प्रारंभिक स्तर पर ही हल कर लेना चाहिये, ताकि वह सघके स्तर तक न पहुंचे। समय पर किया हुआ काम आगेकी कठिनाइयोंको बचा लेता है। यदि बहुसंख्यक वर्ग स्थानीय कारीगरोंकी सेवाओंकी उपेक्षा करने लगे, तो कारीगरोंको कच्चा माल मिलनेकी समस्या कठिन हो जायगी। क्योंकि वे साधनहीन हैं और उनके पास पैसा नहीं है। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्थाके भिन्न भिन्न अंग सहयोगी न बनें और एक-दूसरेकी उपेक्षा करे, तो सारे गावके लिए पूर्ण रोजगारी मिलना असंभव हो जाय। वर्गोंके ऐसे पृथक् संगठन खड़े करनेसे एक ऐसे कुचक्रका निर्माण होता है, जिसमें से निकलना कठिन हो जाता है। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्थामें पूरा ग्राम-समुदाय सहयोगपूर्वक काम करे तभी उसके भिन्न भिन्न वर्गोंके हित भी सघ सकते हैं।

ग्रामीण समाजको एक ही केन्द्रबिन्दुसे खींचे गये वृत्तोंकी श्रृंखलाकी भांति देखना चाहिये, जहां क्षेत्रीय संगठन ग्राम और परिवार-स्तरके संगठनोंके आधार पर बनने हैं और उनको बल देते हैं। लघुतम इकाईकी सेवा करनेका विचार तभी प्रभावकारी हो सकता है जब संगठनोंका ढांचा नीचेसे बनता है, ऊपरसे लादा नहीं जाता।

ढांचा

यहां त्रिम ढांचेकी कल्पना की गई है जगमें ग्रामके सभी परिवार गावकी अर्थ-व्यवस्थाके विकासके लिए ग्राम सहकारी समितिका निर्माण करेंगे। बीस हजारकी आबादीकी सभी सहकारी समितिया अपना एक समूह-सघ (Group union) बनायेंगी। तालुकेकी सभी

सहकारी समितिया तालुका विकास सघना निर्माण करेंगी। और ये सब सघ मिलकर जिला विकास सघ बनायेंगे।

समूह-सघ अपने सदस्योंके हितमें कार्य करेगा। कुछ विशेष उद्योगोंके बढानेके लिए वह सहायक समितियां भी खडी करेगा। सहायक समितियोंके सदस्य ग्रामीण सहकारी समितिके सदस्य होनेके कारण अपने ग्रामके प्रति उत्तरदायी रहेंगे। सहायक समितियोंकी प्रबन्धकारिणीमें समूह-सघका प्रतिनिधित्व रहेगा। समूह-सघ सहायक समितियोंको सामुदायिक हितके लिए सदैव प्रेरित तथा प्रभावित करता रहेगा। समूह-सघ सहायक समितियोंको उनके सदस्योंकी सयुक्त तथा वैयक्तिक जिम्मेदारी पर वित्तीय सहायना दिया करेगा।

तालुका स्तर पर विकास-सघ (Development union) अपने सदस्योंके कार्योंकी और उनके हिसाब-किताबकी जाच व देखभाल करेगा तथा उनके हितमें ध्यापार करेगा। यदि आवश्यकता पडी तो वह विशेष उद्योगोंके लिए ऐसी साझेदारी समितिया (Copartnership Societies) भी खडी करेगा, जिनमें श्रमिकोंके साथ साथ कच्चे मालके उत्पादक या तैयार मालके उपभोक्ताके रूपमें दिलचस्पी रखनेवाले व्यक्ति भी सदस्य होंगे। ऐसी समितियोंमें लाभका वितरण करनेमें काम करनेवालोंके हितका विशेष ध्यान रखा जायगा।

तालुका स्तरकी सहकारी समितिया जिलास्तर पर सघबद्ध होंगी। सघ नवीन सहकारी सम्याओंका निर्माण करेगा और अपनी सदस्य समितियोंके कार्योंकी देखभाल तथा उनके कार्योंमें सामंजस्य स्थापित करेगा। सहकारी समितियोंके संचालनके लिए सघ कार्यकर्ताओंके प्रशिक्षणका कार्य करेगा। आवश्यकता होने पर वह जिलास्तर पर साझेदारीकी समितियोंका निर्माण करेगा। ग्रामस्तर पर आर्थिक योजनाओंको कार्यान्वित करनेकी जिम्मेदारी तो ग्राम-समितियोंकी ही होंगी, पर उनका काम आसानीसे चढे इसके लिए अनुबूल परिस्थितिया उत्पन्न करनेमें जिला सघ मदद करेगा। इसके निवा, वह जिलास्तर पर उनकी योजनाओंका मकलन भी करेगा।

वित्त-व्यवस्था

जिला सहकारी बैंक तालुका सघको, तालुका सहकारी बैंकको और जिला तथा तालुका स्तर पर साझेदारी समितियोंको रूपया देगा। तालुका सघ और साझेदारी समितियोंको तालुका बैंकके माफत रूपया मिलेगा। वहीं समूह-सघ और उसकी ग्राम-समितियोंको रूपया देगा। समूह-सघ ग्राम-समितियोंके बजट और ऋणकी मागोकी जाच करावेगा। जिन गावोंमें ग्राम-समितिया मनुष्य-शक्ति और दूसरे साधनोंके बजट बनाती हैं वहा तालुका बैंक उनकी बचत इकट्ठी करनेका काम भी करेगा। सहकारी समितियों और बैंकको स्थापनासे गावोंमें बचतका उपयोग करनेके अवसरके अभावकी कठिनाई दूर हो जायगी।

राज्य सहकारी मडल

सहकारी आन्दोलनको प्रोत्साहित करनेके लिए और अनुकूल मानसिक वातावरण उत्पन्न करनेके लिए जिला बैंक और सघ तथा साझेदारी समितिया एक राज्य सहकारी मडलकी स्थापना करेगी। यह मडल साधारण नीतियोंका निर्धारण करेगा, व्यापक स्वरूपकी योजनाएं तैयार करेगा तथा जिलेमें उनका प्रचार करेगा। यह स्वस्थ सहकारिताके विकासको प्रोत्साहित करेगा। किन्तु इसका कार्य तथा प्रभाव शासनात्मक नहीं, नैतिक होगा। यह विभिन्न सहकारी समितियोंके झगड़ोंका भी फैसला करेगा।

यह मारा तब ग्राम-समाजकी नींव पर खडा होगा। ग्राम-समाज उसकी मूढ़ इनाई होगी। उसमें विशेष जानकी अपेक्षा रखनेवाले कार्योंके लिए विशेषज्ञकी व्यवस्था होगी और उसकी योजनायें पूरे क्षेत्रके समग्र विकासका उद्देश्य रखकर बनायी जायेंगी। इसलिए वह सहकारिताको जन आन्दोलनका रूप दे सकेगा और मना तथा जिम्मेदारी उनके सच्चे अधिकारियोंके श्रममें मौखिक विकासकी प्रक्रियाको तीव्र बनायगा। बड़ी उकाटना छोटा उकाटयोंके द्वारा बलवान बनेगी और बदलेमें उनको बचतान बनावगी। ताबकी ग्राम मडलकी समिति गावके साधनोंको एकत्र करेगा और क्षेत्रक स्तरम उनका एक शिक्का बडी इकाइयोंको देगी। क्षेत्रीय

सम्पाये विशिष्ट सेवाओंके द्वारा विज्ञानकी जानकारी और उसका उपयोग ग्राम तक पहुंचायेंगी। और यदि वे पिछड़े हुए हैं तो क्षेत्रीय विकासकी गतिके साथ साथ चलनेमें उन्हें मदद करेगी।

गावको क्षेत्रके साथ जोड़नेवाला ऐसा तंत्र नगर और गाव दोनोंकी अच्छी बातोंका समन्वय कर सकेगा। अभी गाव और शहरमें जो कृत्रिम अन्तर है वह मिट जायगा। क्षेत्रीय संगठनका एक बुनियादी उद्देश्य परम्परागत ग्रामीण समाज और नवीन नागरिक सभ्यतामें सामंजस्य स्थापित करना है। ग्रामीण जीवन मनुष्यको स्थायित्वका अनुभव देता है और समाज तथा प्रकृतिके साथ एकता अथवा तादात्म्य साधनेमें मदद करता है। औद्योगिक इकाइयोंके विकेन्द्रीकरणके द्वारा क्षेत्रीय संगठनमें गावका आर्थिक और सांस्कृतिक एकाकीपन और पिछड़ापन दूर होता है और शहरोका दमघोंटू वातावरण और बेगानापन मिटता है। क्षेत्रीय संगठनके द्वारा एक ऐसा बड़ा समुदाय बनता है, जिसके अन्दर प्रत्येक इकाईका समुचित स्थान होता है और जो उसे समुदायकी समृद्धिमें अपना योगदान करनेकी योग्यता प्रदान करता है। "वह विकेन्द्रीकरणका भी माध्यम है।... वह अधिकार और साधनोंके केन्द्रीकरणको रोकता है और परिमाण-प्रधान दुनियामें गुण पर आधारित सम्रताकी रक्षा करता है।"* क्षेत्रवाद गांधीजीकी सागरवृत्तवाली कल्पनाका सीधा स्वरूप है।

१. गांधीजीकी सागरवृत्तवाली समाज-रचना

यह नया संगठन वस्तुतः गांधीजीकी सागरवृत्तवाली कल्पना पर आधारित विकेन्द्रित सहकारी अर्थ-व्यवस्थाकी स्थापना करेगा। "ऐसा समाज अनगिनत गांधोंका बना होगा। उसका फैलाव एकके ऊपर एकके ढगका नहीं, बल्कि लहरोकी तरह एकके बाद एककी शकलका होगा। जिन्दगी मीनारकी शकलमें नहीं होगी, जहा ऊपरकी तग चोटीकी नीचेके चौड़े पाये पर खड़ा होना पडता है। वहा तो समुद्रकी लहरोकी तरह जिन्दगी एकके बाद एक घेरेकी शकलमें होगी

* एच० डब्ल्यू० ओडम : इन सच ऑफ रीजनल वेल्लेस, पृ० ११।

और व्यक्ति उसका मध्यबिन्दु होगा। यह व्यक्ति हमेशा अपने गावके खातिर मिटनेको तैयार रहेगा। गाव अपने इर्दगिर्दके गावोंके लिए मिटनेको तैयार रहेगा। इस तरह सारा समाज ऐसे लोगोका बन जायगा, जो उद्धत बनकर कभी किसी पर हमला नहीं करते, बल्कि हमेशा नम्र रहते हैं और अपनेमें समुद्रकी उस शानको महसूस करते हैं जिमके वे अविभाज्य अंग हैं। इसलिए सबसे बाहरका घेरा अपनी ताकतका उपयोग भीतरवालोको कुचलनेमें नहीं करेगा, बल्कि उन सबको ताकत देगा और उनसे ताकत पायेगा। . . . उसमें न तो कोई पहला होगा, न आखिरी।” *

सागरवृत्तकी एक भावना नीचेके श्लोकमें व्यक्त होती है। वह बताता है कि यह कल्पना हमारी परंपराके अनुकूल है।

त्यजेदेक कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ।

ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवी त्यजेत् ॥

इस रचनामें प्रतिस्पर्धाके स्थान पर विकेंद्रित सहकारी अर्थ-व्यवस्था कायम होती है। परिवार और ग्राम क्षेत्रकी इकाइयोंमें औद्योगिक क्रियाओ और अन्य कार्योंका समुचित वितरण होता है और कार्यक्षेत्रके विभाजन तथा भावोंकी समानताके द्वारा विभिन्न इकाइयोंके हितोंका सामंजस्य किया जाता है। चूंकि यह क्षेत्रीय संगठन काफी बड़ा होगा, भीतरसे सुसंगठित होगा और आवश्यकतानुसार यत्रशक्तिका भी उपयोग करेगा, इसलिए वह बाहरी प्रतिस्पर्धाका मुकाबला कर सकेगा। भीतरी प्रतिस्पर्धा तो सागरवृत्तकी कल्पनाके आधार पर रचे गये इस संगठनमें होगी ही नहीं। इसलिए कार्य-पद्धतियोंमें योजनाबद्ध मुधार आसानीमें किये जा सकेंगे और रोजगार तथा अवसरकी समानताके सामाजिक उद्देश्योंकी पूर्तिमें भी कोई रुकावट न पड़ेगी। यह सहकारी अर्थ-व्यवस्था अच्छे आदमी और अच्छी सस्थाओंके दुहरे आधार पर कायम होगी।

सागरवृत्तवाली यह रचना गावोंकी वर्तमान गतिधून्य अर्थ-व्यवस्थाको प्रगतिशील और उन्नत बनानेका प्रबल साधन है। उसमें

उत्पादन और उपभोग दोनों ही बढ़ते हैं। यह पद्धति एक ओर तो उपभोगके मौजूदा स्तर और उमके अधिकतम आदर्श स्तरका विचार करती है और दूसरी ओर जो मनुष्य-शक्ति और साधन बेकार पड़े हैं उनका, और फिर वह समुचित उत्पादन-वायंशमोंकी योजना करके इन दोनोंका मेल बैठाती है। वह ग्राम-समाजकी जिन चीजोंकी अभी जरूरत है उन्हें तो पूरा करती ही है, इसके सिवा वह उमकी मांगोंका विस्तार करने नई आवश्यकताएँ भी उत्पन्न करती है। वह युवकोंके लिए शिक्षाके नये अवसर सोलती है और गहरमे रहनेवालों तथा गावमे रहनेवालोंके बीच समान स्तर कायम करती है। दस्तवागों और उपभोक्ताओंके आपसी व्यवहारकी सहकारिताके माध्यमसे सम्पादित करके वह अमुक पैसेके साथ जुड़े हुए जातिगत पूर्वग्रहोंको मिटा सकती है। और इस प्रकार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करती है, जिनमे मजदूर अपनी रक्षिके अनुगार बोर्ड भी घधा चुन सकते हैं। फलतः गावकी अयं-व्यवस्थामे घघोंका ढाचा (Occupational pattern) ज्यादा अच्छा बनता है। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे छोटे प्रजातंत्रोंकी तथा गावसंस्कृतवाली समाज-रचनामे ही हो सकती है। वही बन्दोबस्तकी आजादी विप्लव समस्याका सही दलाव है। यह बन्दोबस्त और विप्लवके बीच समुदन कायम करनी है। उसमे छोटे समुदायों और बरी आपसी-पाले बन्दो — दानाएँ लाभ मिलते हैं। जैसा थी किन्ट्रेड बन्दोबस्तने कहा है, "क्षेत्रीय समुदनके द्वारा ही मनुष्यको पूरी आजादी मिल सकती है। सधमुच क्षेत्रीय समुदन आजादी जमानेकी आवश्यकता है। व्यक्तिगत आजादीका गाव समाज-व्यवस्था उगाँव द्वारा कायम हो सकती है।"

२. कार्य-पद्धतियोंका शक्ति सुधार

उन्नत आजादी और कार्य-पद्धतियोंका प्रचार एक निश्चित सध मातृम होता है। लेकिन वह भी स्पष्ट है कि पद्धतियोंकी ही जीव होती है (Survival of the fittest)क नियमके पालने करनेका कार्य यह सध बरताने की जिम्मेदारी है। इस नियमको ही नेटवर्क के अंतर्गत पर स्पष्ट किया है। इतिवत पेशवाग और काममें एक इच्छापूर्वक

१९५६ के बीसवें वार्षिकोत्सवके अवसर पर बोलते हुए उन्होंने नई दिल्लीमें कहा था कि "उत्पादनके पुराने परम्परागत तरीकोंमें सुधार होना चाहिये, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि मौजूदा जमानेमें पुराने मानससे भी हमारा काम नहीं चल सकता। हमें इस मानसको भी सुधारना होगा।" अगर पुराने औजारोंको बदलनेकी आवश्यकता है तो इसमें भी अधिक आवश्यकता इस बातकी है कि पुराना मानस अपनी परिग्रहकी वृत्ति और सुधरे हुए औजारों तथा कार्य-पद्धतियोंका सारा लाभ खुद हथियानेकी वृत्तिका त्याग कर दे।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी १९५९ की हैदराबादकी बैठकमें श्री नेहरूने उसकी आर्थिक योजनाकी सिफारिश करते हुए कहा था, "मनुष्य उच्च कोटिका प्राणी है। बलवानकी रक्षा और दुर्बलके नाशका प्राकृतिक नियम उसके व्यवहारका नियामक नहीं रहने दिया जा सकता। उद्योग तथा व्यवसायकी स्वतन्त्रताका नियंत्रण पूँजीवादी देशोंमें भी होता है, ताकि साधनहीन दुर्बल व्यक्ति सम्पत्तिवान व्यक्तिके पजोंमें फस कर उसका शिकार न बन सके। तीक्ष्ण बुद्धिवाले व्यक्तियोंको अपनी बुद्धि तथा संपत्ति-शक्तिका अपने स्वार्थके लिए उपयोग करनेसे हम पूरी तरह नहीं रोक सकते हैं। आखिरमें ताकत ताकत ही है, चाहे दिमागी ताकत हो या शारीरिक। कुछके पास दूसरोंसे अधिक ताकत होती है। लेकिन हम दुर्बल व्यक्तिको समान अवसर देकर सबल बना सकते हैं। यदि दुर्बलके नियमों पर सब कुछ छोड़ दिया जाये, तो अधिक शक्तिवान और अधिक होशियार व्यक्ति ऊपर होंगे और दुर्बल व्यक्तियों पर बाध बनकर अपने स्वार्थके लिए उनका शोषण करेंगे। इस प्रकारकी नीति शक्तिवानको अधिक शक्तिवान, धनीको अधिक धनी, तथा गरीबका अधिक गरीब कर देगी। हमें इस जगली जानवरोंवाली आदतमें अग्निाश्रित छुटकारा पाना है, क्योंकि उसके द्वारा स्वार्थ तथा निजी लाभ और संप्रहकी वृत्तिको ही बढ़ावा मिलता है।"

इसमें सिद्ध होना है कि व्यक्तिगत और सहकारी आर्थिक क्षेत्रोंकी स्थापना विलंबुल उचित है। यह व्यवस्था न्यायोचित वितरणके आधार पर उत्पादन-पद्धतियोंके सुधारको सुनिश्चित कर देती है।

अधिकसित देशोंकी अर्थ-व्यवस्थाके विस्तारके लिए उत्पादन-पद्धतियोंका क्रमिक सुधार एक बुनियादी आवश्यकता है। उनका कुल उत्पादन तभी बढ़ाया जा सकता है जब कि कुशलताके विभिन्न स्तरों पर काम कर रही तमाम कार्य-पद्धतियोंका पूरा उपयोग किया जाय। इस शक्तिका आंशिक उपयोग उत्पादनको घटा देता है। बिखरी हुई असख्य इकाइयोंकी आजकी सभी पद्धतियां केवल एक रातमें ही नहीं बदली जा सकती। अवश्य, प्रारंभ तो हमें कुछ इकाइयोंकी कार्य-पद्धतिमें सुधार करके ही करना पड़ेगा। औरोंकी अपेक्षा ये ज्यादा लाभ-दायक सिद्ध होंगी, तब कुछ दूसरी इकाइयां इनका अनुसरण करेंगी। लेकिन फिर भी अधिकांश पिछड़ी ही रहेंगी। जो थोड़ी-सी इकाइयां नई सुधरी हुई कार्य-पद्धतियां अपनायें, उन्हें यदि नई पद्धतियोंको न अपना सकनेवाली इकाइयोंको नुकसान पहुंचाने दिया जाय यानी इन दूसरी इकाइयोंका उत्पादन खतम हो जाये या कम हो जाय, तो कुल उत्पादन अवश्य ही कम हो जायगा। ऐसे भी मनुष्य होंगे जो शारीरिक शक्ति अथवा कौशलको कमीके कारण किसी विशेष स्तरके ही औजारों या कार्य-पद्धतिका उपयोग कर सकते हैं। यदि उच्चस्तरीय कार्य-पद्धतियों और साधनोंका प्रयोग करनेवाली इकाइयां उन्हें बेकार बना दें, तो राष्ट्रकी अर्थ-व्यवस्थाको हानि पहुंचेगी। उनका योगदान, वह कितना ही स्वल्प हो, समाजको नहीं मिलेगा। इससे उन मनुष्योंमें जड़ता आयेगी, जिसका असर दूसरे क्षेत्रों पर पड़ेगा और उन क्षेत्रोंका भी उत्पादन गिर जायेगा। इसलिए देशका कुल उत्पादन बढ़ानेकी दृष्टिसे परिस्थिति ऐसी होनी चाहिये कि राष्ट्रकी समृद्धिमें हरएक अपनी शक्तिका योग दे सके। यह तभी संभव है जब उच्चतरके साधन और कार्य-पद्धतियां अपनानेवाली इकाइयोंको दूसरी इकाइयोंसे स्पर्धाका मौका न दिया जाये। समान मूल्योंकी नीतिके द्वारा साधनों और पद्धतियोंमें क्रमिक सुधार और अधिकतम उत्पादन एक साथ ही प्राप्त किये जा सकते हैं। रासायनिक खाद, सीमेन्ट, लोहा और इस्पातके सबधमें इस युक्तिसे काम लिया गया है। इनमें मूल्योंका निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि कार्यक्षमताके फर्कके बावजूद सभी इकाइयां पूर्ण रूपसे चालू रहें।

इसने पूर्तिकी बढ़ानेका कार्य किया है। इसी प्रकार इस युक्तिको अधिकतम उत्पादनके लिए उपभोगकी वस्तुओके उद्योगके क्षेत्रमें भी लागू किया जा सकता है। इस प्रकारका उत्पादन अर्थकी दृष्टिसे लाभदायक न हो तो भी व्यक्तियोंके अपने विकास और सम्मानकी सुरक्षाके लिए उनको काममें तो लगाये रखता है। इस आन्तरिक मूल्यका किसी बाह्य मूल्यके लिए बलिदान नहीं किया जा सकता। इस सबधमें हमारी अर्थ-व्यवस्थाका आधार व्यापक हो, यह विचार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकारका उत्पादन श्रमशक्तिका व्यापक विभाजन करता है और उममें देशमें उद्योगीकरणकी गति बढ़ती है। मालकी पूर्तिकी मौजूदा कठिनाईको तोड़े बिना उन्नत साधनों और पद्धतियोंके विस्तारके लिए एक ऐसा मगठन आवश्यक है, जो सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्थाको दृष्टिमें रख सके और विभागीय शक्तिशाली स्वार्थोंके प्रभावमें न पड़कर एक सपोजित विकास-कार्यक्रमको अपना सके। सागरवृत्तवाली रचना इस प्रयाजनको गिढ़ करती है।

३. अर्धविकसित ग्राम-अर्थव्यवस्थाका विकास

जा रही साधन-शक्तिका उपयोग हो सके। इस दृष्टिसे देखें तो यह संगठन बाहरसे लायी हुई सम्पत्तिको खर्च करनेवाली अच्छी सस्या नहीं, बल्कि एक सर्जनात्मक सस्या होनी चाहिये। इसे स्थानीय साधनोकी तलाश करनी होगी और फिर विकासकी सारी शक्तियोका अभ्यास करना होगा। इन दोनोका भेल साधनेसे साधन-सम्पन्न और साधनहीन दोनोंको हेतुपूर्ण सहकारकी प्रेरणा मिलेगी और सारी साधन-संपत्ति इकट्ठी हो सकनेका वातावरण बन जायगा। साधनोका यह समुच्चय तीन प्रकारसे हो सकता है :

(१) साधन-सपन्न लोगोको गावके साधनोकी स्थितिका समग्र दर्शन मिल जाय, तो उन्हे अपने साधनोका उपयोग साधनहीनोके लिए करनेमें ही अपना हित दिखाई देने लगेगा।

(२) ग्राम-बैंककी स्थापना हो, जिसमे नकदी रुपया भी जमा हो और वस्तु तथा श्रम भी। और उन्हे विकासके काममें लगाया जाय।

(३) कृषि, पशु-पालन, डेरी, कच्चे मालसे पक्का माल बनाना और विन्नीका काम, सब सहकारी पद्धतिसे किया जाय।

पहली पद्धतिमें साधन-सपन्न लोगोके हृदय-परिवर्तनकी आशा है और यह उसकी एक विशेषता है, परन्तु उसमें उतनी स्थिरता नहीं आवेगी जितनी दूसरी पद्धतिमें। परन्तु सबसे कारगर तो तीसरी पद्धति है। उसमें ग्राम-समाजके समग्र साधनोका संग्रह होकर एककी बचतसे दूसरेकी कमीकी पूर्ति हो जाती है। साधनोका व्यवस्थित उपयोग होता है और अर्थ-व्यवस्था जल्दी विकसित होती है। सहकारिताकी इस पद्धतिका प्रयोग करते हुए भी ग्रामीण बैंककी आवश्यकता इसलिए है कि उसके द्वारा कई गावोके साधनोका एकीकरण किया जा सकता है और उन्हे काममें लगाया जा सकता है। अन्यथा वे बिखरे रहते हैं और धंकार जाते हैं।

“नागपुर कांग्रेसके प्रस्ताव पर विचार होते समय कहा गया था कि गावकी प्रारम्भिक सहकारी समितियोके द्वारा स्थानीय बचतका उपयोग होना चाहिये। यदि ऐसा होना हो तो बैंकोकी शाखायें ऐसे

स्थानों पर होनी चाहिये, जो गाववालोकी पहुँचके लिए सुगम हो। यदि जमा करनेवालोंको यह भरोसा हो कि अल्पकालीन सूचना देकर वे रुपया उठा सकेंगे, तो दूसरे देशोकी तरह हमारे यहा भी सुप्रतिष्ठित ग्राम सहकारी समितिया गावोंकी सामयिक या स्थायी वचतको आकर्षित कर सकती हैं। बैंककी शाखाओके द्वारा विक्रय-समितियोंको भी सहायता मिलेगी, जो प्रत्येक मण्डीमें कायम होनी चाहिये। ये समितिया केवल कर्जकी ही भरपाई न करा दे, बल्कि किसानको उसके मालकी उचित कीमत भी दिलायें।” *

हर गावके विकास-कार्यक्रमका विश्लेषण करके स्थानीय बेकार पड़े हुए अथवा अतिरिक्त साधनोंके उपयोगकी सभावना मालूम कर लेना चाहिये। परिशिष्ट-४ में ऐसा विश्लेषण दिखाया गया है।

विकास-कार्यक्रमकी दृष्टिसे गावोंमें बाहरसे लोहा, खेतीके औजार, सीमेन्ट, रासायनिक खाद, कोयला और रगका आयात करनेकी जरूरत होती है। सपूर्ण विकास-कार्यक्रमका यह इतना छोटा हिस्सा होगा कि उसके लिए जरूरी पैसा आसानीसे इकट्ठा हो सकेगा। जहा असामान्य परिस्थिति हो, जैसे कि भूमिका क्षरण बड़े पैमाने पर होना हो और वध धाधनेकी जरूरत हो, पानी भरकर रह जाना हो या जहाकी जमीनमें जमीनके भीतर रहनेवाले पानीका अभाव हो, वहा इनमें सबधित विकास-कार्यक्रमोंके लिए गावको बाहरसे सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन साधारणतया ग्रामीण समाज अपने साधनोंके द्वारा ही विकास-कार्यको पूरा कर सकता है।

गावोंकी परम्परागत अर्थ-व्यवस्थामें मानव-शक्तिका समुच्चय करनेकी पद्धति आज भी देखी जा सकती है। गावके सारे दस्तकार बड़ई-कुहार-मुनार-मोची-बमार-कुम्हार-नेली-दर्जी-नाई-भगी-घोषी-बोधीदार मामूहिक रूपसे गावके सिमान परिवारोंकी सेवा करते हैं और फगलके समय प्रायः अनाजके रूपमें पुरस्कार पाते हैं। उपरोक्त १२ प्रकारके

* श्री वेंकटभाई ल० मेहताके 'दुवईम बोधोपरेशन' नामक लेखमें।

कारोंको इस प्रकार पुरस्कृत करनेकी पद्धतिको महाराष्ट्रमें 'वार वल्लूत' प्रथा कहते हैं। इसमें मजदूरी तुरत नहीं, किन्तु फसलके समय दी जाती है। अतएव किसानोंको पूजीकी आवश्यकता नहीं पडती। ठहर कर पुरस्कार देनेके इस सिद्धान्त पर गावके बेकार साधनोंके उपयोगके द्वारा अर्थ-व्यवस्थाको विकसित करनेका तरीका निकल सकता है। गाव और क्षेत्रीय संगठनके नये ढांचेका इस पद्धति पर निर्माण करना चाहिये। परिवर्तित परिस्थितियों और नये सामाजिक उद्देश्योंके अनुकूल कुछ फेरफार उसमें किये जा सकते हैं। पुरस्कार तुरत न देकर नियत समय पर देनेके इस सिद्धांतका विकास-कार्यमें जितना उपयोग किया जा सके करना चाहिये। इस सिद्धान्तको व्यापक बनानेमें ग्राम-बैंकके साधनोंका बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है।

४. विशिष्ट सेवाओंका प्रबंध

गावोंमें साधन-समुच्चयका बानावरण कैसे पैदा किया जाय ? उसके लिए प्रेरणा क्या हो ? ऐसे आंदोलनोंमें हमेशाकी तरह प्रायः अपना उन्नत स्वार्थ समझनेवाले अल्पसंख्यक कर्मनिष्ठ लोग ही पहल करते हैं। गावके शिक्षित नवयुवकोंको इस प्रक्रियाका आरंभ करना होगा। उनको अपने व्यक्तित्वके विकासकी विशेष रुचि होनी है। और अपनी शक्तियोंका विकास करनेके लिए वे बड़े अवसर चाहते हैं। इसकी तलाशमें ही वे शहरोंमें जाते हैं, लेकिन वहा उनके खप सकनेकी एक सीमा है। इसलिए गावोंके अधिकांस शिक्षित नवयुवक अवसरोंके अभावमें गावमें पड़े-पड़े मडते हैं। उनके जीवनमें नैराश्य आ जाता है। शिक्षित लोगोंकी रोजगारमें लगाना एक शरणार्थियोंकी-सी समस्या बन गई है, क्योंकि उन्हें केवल शहरों और कस्बोंमें ही काम देनेकी कोशिश की जानी है। उनमें समस्याका आंशिक समाधान भी नहीं होता। समस्याका वास्तविक हल तो यही है कि विकास-कार्योंके द्वारा उन्हें गावोंमें ही काम दिया जाय। शिक्षित युवकोंको आत्म-निर्भर बनना होगा। गावोंकी अविकसित अर्थ-व्यवस्थाको विकसित करनेमें वे अपने लिए नये धंधे खुद बना सकते हैं। आत्म-निर्भर होनेके इस

प्रयत्नमें वे समाजके निर्माणके निपुण इंजीनियर बन जायेंगे। उन्हें विशेषज्ञोंकी सहायतासे और ग्रामवासियोंका सक्रिय सहयोग और सहकार लेकर गावोंकी अर्ध-व्यवस्थाके प्रत्येक विभागके विकासका अध्ययन करना होगा।

इस प्रकार ग्राम-जीवनके सुधरनेकी सभावनायें प्रगट होंगी और निष्क्रियताका कुचक्र टूटेगा। इसमें नयी समस्यायें भी उत्पन्न होंगी। परन्तु उन पर विजय पानेका एकमात्र मार्ग यह है कि ग्राम-समाज अपने साधनोंका समुच्चय करें। यह स्थिति मजबूरन साधन-संग्रहका वातावरण पैदा कर देगी। यह सब धीरे धीरे होगा। इजराइलके शिक्षित नवयुवकोंकी भांति, जिन्होंने अपने घोर परिश्रमके द्वारा फिलिस्तानके रेगिस्तानको सुरम्य-स्वलीमें परिणत कर दिया है, यदि हमारे नवयुवक भी काममें जुट जाय और उत्पादन व कामकी पद्धतिमें सुधार करते जायें, तो वे आज जिन्हें बेगार माना जाता है ऐसे कामोंको भी शिक्षाप्रद और प्रतिष्ठाप्रद बना देगे। उनका यह कार्य उनके लिए और गावके लिए धरदारूप सिद्ध होगा। ग्रामवासियों पर उसकी अच्छी प्रतिक्रिया होगी। क्योंकि आखिर गावका युवक उनके ही घर-परिवारका है और यदि वह गावमें ही जन्म जाता है तो उन्हें प्रसन्नता ही होगी। अगर एक क्षेत्रके सभी शिक्षित युवक मिलकर उस क्षेत्रके विकासकी योजना बनावे, तो वह एक प्रकारका क्षेत्रीय आयोजन ही होगा।

५. सुविधाओं और सेवाओंका प्रबंध

ग्रामीणोंको ऐसी योजनामें विश्वास और आकर्षण होना स्वाभाविक है, जिनके द्वारा उनके जीवनका मौजूदा नीचा स्तर ऊंचा उठे। जीवन-स्तरके नीचा होनेका एक मुख्य कारण गावमें सुविधाओं और सेवाओंका अभाव है। उदाहरणके लिए, स्वास्थ्यके सवालको लीजिये। अच्छे योग्य चिकित्सक और डाक्टर गावमें रहना ही नहीं चाहते। यह सुविधा केवल शहरोंमें मिलती है। ग्राम-निवासी इलाजके लिए शहरमें तब जाते हैं जब बीमारकी हालत खराब हो जाती है। बीमारी

समय पर चिकित्साके अभावमें प्रायः घातक बन जाती है। इलाजके लिए शहर जानेमें खर्च और परेशानी भी बहुत उठानी पड़ती है। कभी-कभी रोगके सही निदानके लिए कई बार जाना पड़ता है। यदि कई गावोंके ग्रामीण परिवार मिलकर स्वास्थ्य-योजनाका प्रबन्ध करें, तो स्वल्प व्ययमें ही उन्हें घर बैठे इलाजकी सुविधा प्राप्त हो सकती है। कुछ साधन क्षेत्रोंमें प्रयोग और अनुभवसे यह सिद्ध हुआ है। साधन-समुच्चयसे होनेवाले लाभोंके ऐसे और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं।

पड़े-लिखे सेवकोंमें तो गावोंमें आज केवल पटवारीको माना जा सकता है। यदि वे अपनी अर्थ-व्यवस्थाका विकास करना चाहते हैं, तो ऐसी सेवाओंकी सख्या और गुणवत्ता दोनोंको ऊंचा उठाना होगा। गावोंमें भौतिक साधनोंका, बेकार मनुष्य-शक्तिका और उपभोगके उपयुक्त स्तरमें रही हुई कमियों आदिका सही सर्वेक्षण करनेके लिए कमसे कम एक प्रशिक्षित व्यक्ति गावकी चाहिये। यदि भूमि-संरक्षण, सिंचाईकी व्यवस्था, उत्तम बीजकी उपज, पशु-पालन, कच्चे मालका पक्का माल बनानेवाले उद्योग, यातायात और विश्वीकी व्यवस्था आदिके विकासके लिए बाणेश्रम प्रस्तुत करना हो, तो गावमें कई प्रशिक्षित व्यक्तियोंकी आवश्यकता पड़ेगी। यदि ग्राम-निवासी अपने साधन-समुच्चयके द्वारा इस प्रकारकी सेवाओंकी व्यवस्था करें, तो इससे उन्हें लाभ ही होगा। उनका धाँद नहीं बढ़ेगा, बल्कि सम्पत्ति और सुविधायें बढ़ेंगी।

६. परिवारोंकी अनेकविध प्रवृत्तियाँ

गावके अलग अलग परिवारोंके लिए यह बहुत जरूरी हो गया है कि वे उच्चतर संगठनके लिए साधन-समुच्चय करें। उन पर इतने विविध कारणोंका भार होना है कि वे उनमें से किसीकी भी अच्छी तरह पूरा नहीं कर सकते। उन्हें अनेक कामोंकी जानकारी हासिल करनी पड़ती है, जिनमें वे किसी एकमें पूरी तरह दक्ष नहीं हो पाते। परिस्थितियाँ तो बदलती रही हैं, परन्तु गावोंमें संगठनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अनएव में सज्ज-कालकी स्थितिमें गुजर रहे हैं।

एक समय था जब कि ग्राम-जीवन स्वयंपूर्ण था; तब वहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुव्यवस्था थी। जाति-बिरादरीनं अन्दर बड़े-बड़े संपुक्त परिवार थे। उनमें कामका समुचित बटवारा रहता था और बेरोजगारीकी समस्या नहीं थी। अंग्रेजोंके जमानेमें पश्चिमी संस्कृतिके और केन्द्रीकरणके प्रभावसे अब गावोंमें केवल छोटे-छोटे झकहरे परिवार रह गये हैं। यदि उनको कुछ आजादी है तो ऐसी कठिनाइया और खतरे भी हैं, जिन्हें टालनेके लिए उन्हें कुछ नयी व्यवस्था करनी पड़ेगी। स्वयंपूर्ण अर्थ-व्यवस्थाके रहते हुए गावमें जानी-पहचानी प्रणालियोंसे चलनेवाले पारस्परिक आदान-प्रदान पर आधारित स्वावलम्बन था। जबसे प्रतिस्पर्धा-मूलक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारका द्वार खुल गया है, तबसे गावके किसानकी दशा समुद्रकी जलराशिमें डूबते और उतराते उस मनुष्यके जैसी हो गयी है, जिसे कहीं किनारा नजर नहीं आता। वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारकी कीमतों और भावोंके उतार-चढ़ावके गोरख-धधेको नहीं समझता और उन शक्तियोंसे, जो उसका शोषण कर रही हैं, अकेले ही जूझ रहा है। अंग्रेजोंके जमानेमें ग्रामराज्यकी व्यवस्था मिट जानेके कारण उसकी राजनीतिक चेतना भी जाती रही है।

ग्रामीण जीवनका सफल समर्थन करनेके लिए कई प्रकारके विज्ञानोक्त प्रयोग करना पड़ेगा। कृषि-विज्ञानकी ही अनेक शाखायें हैं। किसानको सफलता प्राप्त करना हो तो उसे भूमि-रसायनशास्त्र, वनस्पति-विज्ञान, पशु-पालन, खेतीका हिसाब और बाजारमें भावोंके उतार-चढ़ाव आदिको समझना आवश्यक है। यदि उसे मकान बनाना है तो व्यवसाय और इंजीनियरीका ज्ञान होना चाहिये। गावके उद्योगके लिए तकनीकी जानकारी होनी चाहिये। उत्तम डॉक्टरी सेवा प्राप्त करनी हो तो उसके लिए भी मार्गदर्शन चाहिये। इसी प्रकार गावके बच्चोंको ऊपरकी पढ़ाईमें उपयुक्त विषय चुननेके लिए योग्य मार्गदर्शन मिलना चाहिये। नई-नई जानकारीके लिए बाहरी दुनियासे सम्पर्ककी आवश्यकता है और वह समुचित सहायता और मार्गदर्शनके विना स्थापित नहीं हो सकता। ये ग्राम-जीवनके कुछ पहलू हैं, जिनमें से प्रत्येकमें विशिष्ट

मार्गदर्शनकी आवश्यकता है। एक परिवार किसी एक बातमें विशेषता प्राप्त कर सकता है, सबमें नहीं। लेकिन आज जरूरी सहायता और मार्गदर्शनके अभावमें प्रत्येक परिवारको जीवनकी तमाम प्रवृत्तियां खुद समालनी पड़ती हैं। जाहिर है कि इसमें उसकी शक्तिवा अपव्यय होता है। इसलिए इन सब बातोंकी सामुदायिक व्यवस्था होनी चाहिये। यह काम उच्चतर सघटन ही कर सकता है, क्योंकि उसमें विशेषज्ञोंकी सेवाये प्राप्त करनेकी शक्ति होती है। इस तरह परिवारका परिश्रम कम किया जा सकता है और काम और आरामके लिए समुचित समयकी व्यवस्था हो सकती है।

७. सामाजिक सुरक्षाका प्रबंध

आज ग्राम-जीवनमें कोई सुरक्षा नहीं है। इसके कई कारण हैं : प्रकृतिकी अनिश्चितता यानी अनिवृष्टि, अनावृष्टि आदि, केन्द्रित और प्रतिस्पर्धा-मूलक अर्थ-व्यवस्था, बेकारी और लाभप्रद कामोंमें लगनेके अवसरका अभाव, आत्मरक्षा, शिक्षा और चिकित्साका समुचित प्रबंध न होना और विवाह आदि अवसरों पर अनाप-शनाप सामाजिक खर्च करनेका अनिवार्य रिवाज। यदि मिचर्चाका समुचित प्रबंध हो जाय और सभामक रोगोंसे पशुओंकी मृत्यु और दुर्दरती विपत्तियोंमें फसलकी हानिका बीमा हो जाय, तो गावोंमें बहुत कुछ सुरक्षाकी स्थिति पैदा हो सकती है। आर्थिक सुरक्षाके इन आयोजनोंके साथ वे आयोजन भी होने चाहिये, जिनमें सबको सामाजिक सुरक्षा मिल सके। यह तब ही संभव है जब ग्राम-पंचायतें और सहकारी समितियां इस दिशामें प्रयत्नशील हों। प्रारम्भमें उन्हें निम्नलिखित चतुर्मुली कार्यक्रम घड़ना होगा :

१. शिक्षा और बाल-व्यायाम;
२. स्वास्थ्य और सफाई;
३. रोजगारीकी निश्चित व्यवस्था;
४. सामाजिक खर्च।

अब उनके पास पर्याप्त पूंजी हो जाये तो वे उपरोक्त बीमा योजना भी आरम्भ कर सकते हैं। समाजमें गणतन्त्र और व्यक्तिपरक

आराम-विश्वास लानेके लिए उपरोक्त कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण है। वह व्यक्ति-योके प्रति समाजकी जिम्मेदारीके रूपमें समाजवादके एक विधायक पहलूको कार्यान्वित करता है। दरिद्रताके निवारणको वह समाजकी सयुक्त जिम्मेदारी बना देता है। सामाजिक सुरक्षाके इस कार्यक्रमसे ग्राम-समाजका उत्थान होगा और उसका सच्चा बल बढ़ेगा। अब हम उनमें से एक-एक पर विचार करेंगे।

शिक्षा और बाल-कल्याण

निर्धन बालकोको शिक्षाका अवसर देनेके लिए पुस्तको और फीसके रूपमें उनको सहायता दी जा सकती है। छोटे बच्चोके लिए बालवाडिया शुरू की जायें और खेल-कूद तथा मनोरजनके लिए बाल-क्रीडा केन्द्र और पार्क बनवाये जाय।

स्वास्थ्य और सफाई

सार्वजनिक स्वास्थ्यरक्षाके लिए ग्रामीण क्षेत्रोंमें सहकारी स्वास्थ्य-योजना बनानी होगी। नकदी या गल्लेके रूपमें स्वल्प फीस देकर परिवार उसके सदस्य बन सकेंगे। उनकी चिकित्सा और स्वास्थ्य-सवधी देखरेख मुफ्त की जायगी। बीमारी और रोगोकी रोक-थामके लिए गावको स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए गावकी ओरसे सफाई और कूडा-करकटको हटानेका प्रबन्ध होना चाहिये। गड्ढे और नीची जगहें, जहा पानी रुककर सड़ता है, धर्म-दानके द्वारा भरे जा सकते हैं। भगियोको अच्छी साधन-सुविधाये देकर और खाद बनानेकी जिम्मेदारी सौंपकर उनके कामकी प्रतिष्ठा बढ़ाई जा सकती है।

रोजगारीको निश्चित व्यवस्था

ग्राम सहकारी समितिको गावकी आर्थिक प्रवृत्तियोकी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि गावमें कोई बेकार न रहे। जो भी बेकार हो और काममें लगना चाहे उसे स्थानीय परिश्रमालयमें काम और उपयुक्त पारिश्रमिक देना चाहिये, चाहे उसमें कुछ हानि भी क्यों न हो।

सामाजिक लक्ष

रीति-रिवाजों और सामाजिक प्रसंगों पर होनेवाला व्यय सभी ग्रामीण परिवारोंके बजटका आवश्यक अंग है। विवाह और मृत्युमें जितना अपव्यय होता है उसके लायक वचत बहुत कम परिवारोंके पास होती है। इसलिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। ग्राम-समाजको भिन्न भिन्न रस्मोंमें खर्चकी मर्यादा बाध देनी चाहिये और ग्राम-पचायत उसे उस मर्यादाके अन्दर रखे, साथ ही, गावके लोग उस खर्चमें कुछ हिस्सा बटायें। इस प्रकार परिवार अपव्ययके कुपरिणामोंसे बच जायेंगे। सामाजिक सुरक्षाके इस कार्यक्रमका आधार इस बात पर होगा कि गावके आंतरिक साधनोंको किस हद तक गतिशील बनाया गया है। इसके लिए एक ग्रामनिधिवा निर्माण करना होगा, जिसमें प्रत्येक परिवार अपनी आमदनीके अनुसार चढ़ा देगा। जिनकी आय अधिक है वे अधिक देगे। गावमें कुछ सामूहिक भूमि भी इस कामके लिए अलग रखी जा सकती है।

इस कार्यक्रमके दो परिणाम होंगे। सबको रोजगारी मिलेगी और असमानता दूर होगी। इसके सिवा, उसे कार्यान्वित करनेके मिल-मिलेमें सामाजिक जिम्मेदारीकी भावना बढ़ेगी, जिसमें ग्रामका संगठन मुदृढ़ होगा।

८. व्यवसाय-विभाजन

दुर्गोंमें भारतवर्षकी मन्कृति कृषि-मस्त्रुति ही रही है और स्व-शासित गाव उमकी बुनियादी इकाई। देशका राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इन गावोंकी नींव पर खड़ा किया गया था और इसके लिए उन्हें मनुचिन बड़ी इकाइयामें संगठित किया गया था। लेकिन पिछली कुछ सदियोंमें, खासकर अंग्रेजोंके शासन-कालमें, ग्राम-जीवन और उमकी समुच्च परिवारकी प्रथा टटनी रही। और आज तो गावोंकी स्थिति औद्योगिक शहरोंको बच्चा माल मुहैया करनेवाले उत्पादक केन्द्रार्थी हो गयी है। इन गावोंकी समाज-रचना, जो यहा आर्थिक समुच्चन कायम रखनी थी, जानिप्रथा पर जाधारित थी। यह जानिप्रथा बृहतर समाजके

हितमें समाजके भिन्न भिन्न वर्गोंको भिन्न भिन्न और निश्चित काम सौंपती थी। यह प्रथा, जिसे महाराष्ट्रमें बालुतेदारी कहा जाता है, स्थिर अर्थतन्त्रके लिए आवश्यक उद्योग-धंधोका अनुकूल ढांचा पेश करती थी। किसानों, कारीगरों और ग्राम-समाजकी अन्य सेवायें करनेवाले दूसरे लोगोंमें आर्थिक परस्परावलम्बन पर आधारित सुमेल था। गावोंका वह पुराना अर्थतन्त्र टूटने और आबादीके लगातार बढ़ते रहनेसे जमीन पर इतना ज्यादा बोझ हो गया है कि अपनी जीविका जमीनसे कमाने-वाले अधिकांश लोगोंके लिए पूरी रोजगारी मिलना असंभव हो गया है। और विवेकहीन उद्योगीकरणके कारण कारीगर-वर्गका तो लगभग नाश ही हो गया है।

स्वस्थ ग्राम-जीवनके विकासके लिए गावोंमें उद्योग-धंधोका सतुलन फिर कायम करना होगा और यह सतुलन ऐसा होगा जो आधुनिक सोधोका पूरा उपयोग करेगा और जो सेवायें और सुविधायें शहरोंमें उपलब्ध हैं उन्हें गावोंमें भी दाखिल करेगा। यदि गावोंके अर्थतन्त्रको गतिशील बनाना ही तो न केवल खेतीका उत्पादन बढ़ाना होगा, बल्कि वहां उन सारी सेवाओंकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी जिनकी उन्हें जरूरत है।

उद्योग-धंधोकी सुनियोजित रचनाके आर्थिक और सामाजिक दोनों हेतु हैं। उद्योग-धंधोकी बुद्धिपूर्वक संगठित व्यवस्थामें धंधोका विभाजन इस तरह किया जाता है, जिससे गावोंकी स्थानिक साधन-सम्पत्तिका ज्यादासे ज्यादा उपयोग हो और सब लोगोंको समुचित जीवन-स्तर उपलब्ध हो सके। गावोंके लिए जिन विभिन्न व्यवसायोंका आयोजन किया गया हो उन्हें गावोंके किसानों, कारीगरों और अन्य व्यक्तियोंको पूरी और सर्वांग-सम्पूर्ण रोजगारी दे सकना चाहिये। शिक्षित युवकोंको योनीकी उपजाऊ रूपान्तर करने तथा माल तैयार करनेवाले उद्योग तथा विशिष्ट सेवाकार्य भौंपे जाने चाहिये। यह आयोजन घेसारी और अंग वेसारी दूर करनेका अस्थायी और कामचलाऊ राहत-कार्य नहीं बल्कि मजदूरी और विवेचन अर्थ-व्यवस्थाका निर्माण करनेकी दृष्टिसे किया गया दीर्घकालीन आयोजन होगा। धंधोकी यह रचना ऐसी होनी

चाहिये जिससे हर एक धर्म में स्वस्य परम्पराओंका निर्माण हो और कार्यकर्ताओंकी कार्य-क्षमता तथा उनकी गौरवकी भावनामें वृद्धि हो। उममें विभिन्न धर्मोंके बीच आयकी समानता भी आनी चाहिये।

इस सतुलित उद्योग-रचनामें मनुष्य-शक्तिका उपयोग बुद्धिपूर्वक किया जाना चाहिये। खेतीकी जमीनकी तुलनामें आज खेतोंके काममें लगे हुए लोगोंकी संख्या ज्यादा है; उमें कम किया जाना चाहिये। गावकी खेतीके लिए जितने लोगोंकी जरूरत है उतने ही लोगोंको उसमें रखा जाय, तो सहकारी खेती और सघन खेतीके द्वारा उन्हें पूरी रोजगारी दी जा सकती है। इसी तरह सहकारी व्यापारके द्वारा व्यापारमें लगे हुए अनिश्चित आदमियोंको कम किया जा सकता है। महारिजारी पद्धतिके एक परिचयी विशेषज्ञका कहना है कि हमारे देशमें दलालों और धर-नौकरोंकी संख्या बहुत ज्यादा है। धरमें और खासकर रसोई-काममें वैज्ञानिक साधन शामिल करने धर-नौकरोंकी संख्या काफी कम हो जा सकती है।

ऐसी रचनामें पूरी रोजगारी मिलनेके निवा कामका समय भी कम होता है जिसमें सामूहिक विभागके लिए अवकाश प्राप्त होता है। रसायनों वैज्ञानिक साधन दायित्व करनेसे मित्रोंकी आज जिन अस्वच्छतापूर्ण परिस्थितियोंमें काम करना पड़ता है उनमें सुधार होगा और उनका परिश्रम भी कम हो जायगा। तब स्त्रियां अपने गृहकार्यमें और उच्चाते स्नायन-मालनमें गौरवका अनुभव करेंगी और समाजमें रचनात्मक कार्य करनेमें समय दे सकेंगी। तब व पुरुषोंका काममें मदद दे सकेंगी और पचायता, महकारी गतिविधियां तथा शाखाओंमें अपना प्रायः स्थान पटन कर सकेंगी।

घान और क्षेत्रीय आन्दोलनके द्वारा जिन्हें अपनी छिपी हुई क्षमताका भाव हो गया है उमें सामूहिक गावके अर्थतन्त्रमें गतिशीलताका संचार करने और एक गतिशील अर्थतन्त्रमें अन्तमें उद्योग-धर्मोंकी गतिशील रचनाका निर्माण होगा। ऐसी रचना नहीं हो सकती है जब कि कार्यकर्ता बुद्धिपूर्वक पूरा उपयोग किया जाय, और उनका ऐसा उपयोग हो सके। इसी प्रकार की सभी गुरु-सहकार-सूत्र रचनामें ही सफल

है। खेती, कच्चे मालका पक्के मालमें रूपान्तर करनेवाले उद्योग और सेवाओंमें आवश्यकताके अनुसार मनुष्य-शक्तिके विवेकपूर्ण उपयोगका मार्ग ग्राम-आयोजन और क्षेत्रीय आयोजनसे ही खुलेगा।

९. फसलोंका आयोजन

कौनसी फसलें ली जाय और कितनी ली जायं, इस बातका निर्णय आज तो बाजार करता है; यानी बाजारमें जिन फसलोंका दाम ज्यादा मिलता है वे फसलें ली जाती हैं। परिणाम यह होता है कि नकद पैसा ज्यादा दिलानेवाली फसलोंको पसंदगी मिलती है। जमीनकी किस्म और पानीके प्रमाणके अनुसार फसलें लेना चाहिये, किन्तु इस बात पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। गाव तथा क्षेत्रके लोगो और पशुओंके लिए पौष्टिक खुराककी जरूरतका तो विचार ही नहीं किया जाता। जहां जमीन अच्छी हो और सिंचाईकी निश्चिन सुविधा हो, वहां औद्योगिक फसलें ही उगायी जाती हैं और उन्हें बेचकर अनाज खरीदा जाता है। ऐसे विवेकहीन विनिमयसे स्थानिक साधनोंका दुर्-पयोग तो होता ही है, उसके सिवा वाहन-व्यवहार पर भी नाहक खर्च होता है।

१०. बाजार

जबसे गावोंकी अर्थ-व्यवस्थाका मुहू शहरोंकी ओर मुड़ा है तबसे निम्नान मानो शहरी व्यापारियोंकी दया पर निर्भर हो गया है। उसमें कठोरताके बाद अपने खेतके उत्पादनका संप्रहृ कर रखनेकी शक्ति नहीं होती, इसलिए उसे अपना माल शहरके व्यापारीको अथवा गावमें रहने-वाले उसके दलालको — जिन्होंने प्रायः अपनी मुश्किलके समयमें वह बर्ज लेना है — बम भाव पर बंध देना पड़ता है। उसमें अपने मालकी कीमत खुद निश्चित करनेकी शक्ति नहीं रह गयी है। उसके मालका भाव औद्योगिक शहरोंकी मांग और मट्टा-बाजारकी गति-विधिमें निश्चित होता है। व्यापारीको उत्पादनकी वृद्धिमें कोई रस नहीं होता, क्योंकि उसमें शहरमें भावोंके घटने और फलन उसका मुनाफा घटनेकी संभावना रहती है। इस अन्यायको रोकनेका यही एक उपाय है कि बेचने और खरीदनेके कामके लिए सब शिमान मिलकर अपना मट्टवारी मण बनाये। ग्राम और क्षेत्रका संगठन मट्टवारी पद्धतिमें किया जाय, तो उनकी शक्ति और साधनामें वृद्धि होगी और उसमें गावोंमें अपने मालकी समुचित भावों पर बेचनेकी ताकत आयगी।

यह बात जिन तरह खेतीके उत्पादनके लिए मण है उसी तरह ग्रामोद्योगोंके उत्पादनके लिए भी मण है। गावोंकी मौजूदा अर्थ-रचनामें विभिन्न वर्ग अपने-अपने शिमांकी निश्चिने शिमा बोलिया करने हैं और सम्पूर्ण समाजके शिमाको नृवृत्तान पढ़वता है। जेमी शास्त्रमें कारीगर-वर्गके शिमाके आपनमें और उनके तथा शिमानोंके शिमाके मणमें होता रहता है। हमारे सिद्धा गावोंमें शहरोंके कारखानाएँ स्थाप भी आता है और उनकी प्रतिस्पर्धा हम मणमें और भी बढ़ जाती है। हम मणमें शिमान और कारीगर दाना औद्योगिक अर्थ-रचनाके शिमाएँ होने हैं। जब तक ये दोनों वर्ग एक नहीं समाजके शिमा दानाएँ शिमा शिमानिक मालका ही उत्पादन करनेमें और बेचने तथा खरीदनेका काम मट्टवारी पद्धतिमें करतेमें है मण तक हम दानका रूप नहीं पाया जा सकता।

बेचना-खरीदना मात्र वस्तुओंके विनिमयका जड़ साधन नहीं होना चाहिये; उसे सामाजिक परिवर्तनका शक्तिशाली साधन भी होना चाहिये। अभी तो उसका उपयोग व्यक्ति अपनी अर्थ-संधयकी वृत्तिकी प्रेरणासे करते हैं; इसके बजाय, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, यह काम सहकारी संघ द्वारा होना चाहिये, ताकि वह शोषणके बजाय सेवाका साधन बने। ऐसा होगा तो विनिमय विवेक-युक्त होगा और असमानताको बढ़ानेके बजाय समानताका सहायक होगा। बेचना-खरीदना अर्थ-समृद्धिके विकासका महत्त्वपूर्ण साधन हो सकता है, और होना चाहिये। समुचित जीवन-स्तरकी दृष्टिसे आजकी और भविष्यकी आवश्यकताओंका व्यवस्थित अभ्यास होना चाहिये और उत्पादन तथा उपभोग दोनोंमें एकसाथ वृद्धि हो ऐसा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। शोषणके साधनके रूपमें आज वह खरीद-शक्तिको केन्द्रित करके उपभोगको कम करता है। सेवाके साधनके रूपमें वह खरीद-शक्तिका विस्तार करके उत्पादन और उपभोग दोनोंको बढ़ायेगा। यदि उसका उपयोग सेवाके साधनके रूपमें किया जाय, तो वह क्षेत्रीय आयोजनका एक सक्रिय सहायक सिद्ध होगा। ग्राम-समाजकी सभी आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिए वह सब प्रकारकी संपत्ति और उत्पादक शक्तिको गतिशील बना सकता है और इस तरह समूचे क्षेत्रकी मांग और पूर्तिमें सतुलन स्थापित कर सकता है। यह परिणाम लानेके लिए मौजूदा आवश्यकतासे अधिक दलालोंकी जगह मारा व्यापार सहकारी तंत्रके द्वारा चलानेकी प्रयास डालनी चाहिये।

११. ज्ञानका विस्तार

फील्डिंग हॉल कहता है कि जिन लोगोंमें दर्शनकी शक्ति (vision) नहीं होती उनका नाश हो जाता है। गांधीजी लोकोको यह दर्शनकी शक्ति देनेके लिए ही गांधीजी चाहते थे कि "वे अपनेमें उस समुद्रकी भव्यताको महसूस करे जिसके कि वे अभिन्न अंग हैं।" इस समाजस्पी समुद्रकी भव्यता अवमरोकी विविधता, परिचय और सम्पर्कके विस्तार और उन जटिल परिस्थितियोंमें है, जो मनुष्योंकी शक्तियोंको चालना देकर

उनका विकास करती है और उसे विशाल दृष्टि देती है। ये सब वस्तुयें उसे जीवनकी ऊँची भूमिका पर प्रतिष्ठापित करती हैं और उसे 'बृहत्तर ध्येयके लिए महत्तर जीवन' जीनेका अवसर प्रदान करती हैं। ग्रामजनोको बृहत्तर ध्येयके लिए जीवन जीनेका यह अवसर शायद ही मिलता है। उनके मौजूदा जीवनकी सीमित परिस्थितियोंमें यह उन्हें आसानीसे नहीं मिलता। अभी तो उनकी आसक्तिका दायरा उनकी जमीन, उनके पशुधन और उनकी जाति-पाति तक ही पहुँचता है। जैसा किसीने विनोदमें कहा है, उनकी दृष्टिका घेरा बस पाच मिनटका है। अपने गावके एक छोरसे दूसरे तक जानेमें उन्हें पाच ही मिनट लगने हैं। मर्यादित सपकोंके कारण उनकी दृष्टि और उनकी दिलचस्पी मर्यादित बनती है। वे अपने दैनिक जीवनमें ही व्यस्त रहते हैं। उनकी भक्ति अपने कुटुम्बके प्रति या बहुत हुआ तो अपनी जातिके प्रति होती है; राष्ट्रके साथ अपनी आत्मीयताका विचार उनके मनमें नहीं आता। हमारा इतिहास अपने छोटेसे दायरेसे बंधे रहनेकी वृत्तिसे उत्पन्न दुर्बलताओंका इतिहास है। शंकराचार्य जैसे धार्मिक नेताओंने अखिल भारतीय यात्राओंकी प्रथा इसीलिए गुरु की थी कि लोग अपने सन्तुचित दायरोसे निकलें और राष्ट्रीयताका विनास करें। अंग्रेजी शासनका दावा था कि हम लोगोंमें राष्ट्रीय भावनाका विकास उसके समयमें हुआ है। गार्धीजीकी सभी प्रवृत्तियाँ और उनने द्वारा स्थापित नारी सम्थाये अखिल भारतीय स्वरूपकी थी। हमारी राष्ट्रीय एकाका विकास करनेमें इन प्रवृत्तियों और सस्थाओंका महत्त्वपूर्ण योग रहा है। लेकिन हम एकताको कायम रखने और दृढ़ बनानेके लिए प्रान्तीयता और सन्तुचितनामें ऊपर उठनेकी जरूरत आज भी है। हमारे लोगोंकी दृष्टी विभिन्नताको ध्यानमें रखकर गाधीजीने सागरवृत्तकी कल्पना हमारे सामने रखी है। इस सागरवृत्तका मध्यदिन्दु व्यक्ति है, व्यक्ति गावके हितमें अपना दृष्टिदान करनेको तैयार रहेगा, गाव आसपासके क्षेत्रके लिए अपना दृष्टिदान करनेको तैयार रहेगा, और इस तरह बढ़ने बढ़ने नारी मानव-जानिका एक मानव-कुटुम्ब बन जायगा। इसलिए ग्राम-जीवनके व्यक्तित्वकी रक्षा तो होनी चाहिये, लेकिन विनालनर आदर्शों और हितोंके लिए हमें

उसका विस्तार तो करना ही होगा। गावोंको अपनी यह स्थानिक सकुचिन्ता उच्चतर समठन द्वारा छोड़नी है।

१२. सांस्कृतिक अलगावसे उद्धार

ग्रामजनोका अज्ञान और उनमें मुषडताका अभाव तो कहावतरूप हो गया है। गावमें रहने और काम करनेवाले लोगोंमें प्राणशक्ति खूब होती है, किन्तु उनमें वेद-भूषा, बातचीत आदिकी सफाईकी, ज्ञानकी और परिष्कृतिकी कमी होती है। इसका कारण यह है कि उनका सांस्कृतिक विकास रुक गया है। अपने बौद्धिक और सांस्कृतिक विकासके लिए उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती। उदाहरणके लिए, उन्हें संगीत या चित्रकलाकी तालीम नहीं मिल सकती। इने-गिने माध्यमशाली ग्रामवासी ही उच्च शिक्षण पा सकते हैं। शहरोंमें आसानीसे मिलनेवाला मनोरंजन भी उनके लिए दुर्लभ है। वे ज्यादातर कच्चे मालके उत्पादनमें ही लगे रहते हैं। कच्चे मालका पक्के मालमें रूपान्तर करनेकी उच्चतर प्रक्रियाके लिए उनके पास कोई साधन-सुविधा नहीं है। उनकी सारी शक्ति शारीरिक कामोंमें ही खर्च हो जाती है, सांस्कृतिक विकासके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहती। उन्हें अपने कामकी वैज्ञानिक जानकारी भी नहीं होती। सीमित अवसरों और शारीरिक थकाने ही सारी शक्ति खर्च हो जानेके कारण वे कामको उसके आन्तरिक मूल्योंके लिए या ज्ञानप्राप्तिके माधनके रूपमें करनेकी बात सोच ही नहीं सकते। ऐसी हालतमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी बुद्धि प्रायः अक्रिय रह जाती है। ग्राम-जीवनरी इस जडताको दूर करने और उसकी जगह हेतु और बुद्धिमें युक्त जीवनका संचार करनेके लिए गांधीजीने नयी तालीमकी सूचना की थी। नयी तालीम हाथ और बुद्धिका योग स्थापित करती है। जडता और मुषडताके इस अभावकी जगह बुद्धिके प्रकाश और गुमस्कारका प्रवेश तभी होगा, जब ग्राम-जीवन और उनकी प्रवृत्तिका समठन नयी तालीमरी पद्धतिसे किया जायगा। इसके लिए गृह और ग्राम इकाइयाको क्षेत्रीय इकाइयोंके साथ इस तरह जोड़ना

होगा कि ये तीनों इकाइया एक-दूसरेके सहकारमें काम करे और कुटुम्बोंको व्यवस्थित जीवनके अवसर और लाभ मिलें।

१३. परस्पर आदर-भाव

ग्राम-जीवनमें लोगोमें पारस्परिक परिचय इतना ज्यादा होता है कि वह दोषरूप हो जाता है। ऐसा अति-परिचय अवज्ञाका कारण बनता है। सविनय अवज्ञा आन्दोलनके दिनोंमें जेलोमें सत्याग्रही कैदी एकसाथ रहते थे, गांवके लोगोके जीवनमें पायी जानेवाली यह निकटता कुछ वैसी ही है। ये सारे सत्याग्रही समाजके ऊचे स्तरोंसे आवे थे और एक उच्च ध्येयके लिए काम कर रहे थे। फिर भी ऐसा मालूम होता था कि जेल-जीवनके निकट सहवासने उनका सहज सहानुभूतिक गुण नष्ट कर दिया है। उन्हें अपनी आवश्यक वस्तुयें कम मात्रामें मिलती थी, अवसर मर्यादित थे, कोई रचनात्मक प्रवृत्ति नहीं थी, बस, एक ही प्रकारका नीरस जीवन जीना पड़ता था। ऐसी हालतमें इन सद्गुण-संपन्न व्यक्तियोंका व्यवहार भी एक-दूसरेके प्रति कभी कभी अनादरका हो जाता था। हमारे गांवोंकी आज ऐसी ही दशा है। किसी भी सजंतात्मक विचारके अभावमें उनका जीवन नीरस और यात्रिक हो गया है। हर-एक आदमी दूसरेकी कमजोरिया और दुर्गुण जानता है। पारस्परिक आदर-भाव लगभग नष्ट हो गया है और प्रेरणाके स्रोत सूख गये हैं। हमें गांवके जीवनका उसकी इस हीनावस्थासे उद्धार करना है और विधायक उपायों द्वारा उसे सुधारकी दिशामें मोड़ना है। इस सिलसिलेमें एक जरूरी कदम इस अति-निकटताकी स्थितिको समाप्त करके ऐसी स्थिति उत्पन्न करना है, जिसमें लोगोके बीचमें आदर-भाव प्रेरित करनेवाला अन्तर रहे। इसीलिए सघन क्षेत्र-योजनामें २०,००० की आमादीवाली बड़ी इकाई निश्चिन की गयी है। देखा गया है कि ऐसे बड़ी आवादीवाले सघन क्षेत्रोंमें लोग ज्यादा समय और सम्यताका व्यवहार करते हैं।

सहकारी खेती

गांवोंमें उच्चतर संगठनको ठोस रूप देनेके लिए यह जरूरी है कि व्यक्तिगत खेतीका सहकारी खेतीमें रूपान्तर करके खेतीकी

पुनर्व्यवस्था की जाय। सहकारी खेतीकी दृष्ट नीव पर ही दूसरी अनेक सहकारी प्रवृत्तियाँ, जैसे कि सहकारी डेरी, कच्चे मालका पक्के मालमें रूपान्तर करनेवाले सहकारी उद्योग, सहकारी पद्धतिमें बेचना और खरीदना आदि मंडी की जा सकती हैं। सहकारी खेतीके मजबूत आधार पर सहकारी सेवाओंकी योजना भी की जा सकती है। भावी ग्राम-संस्कृतिका निर्माण सहकारी खेतीकी नीव पर ही किया जा सकता है। इसी कारण सघन क्षेत्र अपने गावोंमें सहकारी खेतीका प्रचार जोर निर्माण करना चाहते हैं। यहाँ सहकारी खेतीकी चर्चा गावोंके उच्चतर सगठनके अगके रूपमें की जा रही है।

सघन क्षेत्रोंके लिए सहकारी खेती एक नयी वस्तु जतर है, किन्तु वह ग्राम-अर्थव्यवस्थाकी सर्वांगी दृष्टिसे सोची हुई पुनर्रचनाकी ही एक कड़ी है। और जब तक ग्राम-पुनर्रचनाकी बात सर्वांगी दृष्टिमें नहीं सोची जाती तब तक फुटकर प्रयत्नोंमें विरोध कुछ होनेवाला नहीं है। इसलिए सहकारी खेती गावोंके सर्वांगी विकासके लिए आवश्यक उच्चतर सगठनके ही एक हिस्सेके रूपमें अपनायी जाती है।

सहकारी खेती सघन क्षेत्रोंमें अपनाये गये ग्राम-आयोजनका ही स्वाभाविक विकास है। ग्राम-योजनायें ग्रामजनोंके समग्र अत्योद्य, सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य और शिक्षणकी सेवाओं, न्यूनतम आय और समयके बुद्धियुक्त उपयोगके लक्ष्य रखती हैं। इन लक्ष्योंको ग्राम-अर्थरचनाका विस्तार करके और समय तथा सम्पत्तिका बुद्धिपूर्वक सदुपयोग करके सिद्ध करना है। इसके लिए आवश्यक आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन करने पडेगे। इस दिगामें ग्राम-योजनाओंके द्वारा थोड़ी प्रगति अवश्य हुई है तथा आवश्यक परिवर्तनोंके लिए अनुकूल वातावरण पैदा करनेमें कुछ सफलता मिली है; किन्तु सारी सम्पत्ति पर नियंत्रण न होनेके कारण ग्राम-अर्थरचनाका उतना विकास नहीं हो सका है, जितना इन लक्ष्योंको पूरा करनेके लिए होना चाहिये। ग्राम-योजनायें बनाते समय ही इस कड़ीकी कमी महसूस होती थी। यह कम पडनेवाली कड़ी पूरी करनेके लिए ही मानो सहकारी खेती आयी। इस तरह सहकारी खेती ग्राम-योजनाओंका एक भाग बन गयी

और जिन गावोंने ग्राम-योजनाये तैयार की थी उन्होंने तुरन्त ही सहकारी खेतीका कार्यक्रम स्वीकार कर लिया।

सहकारी खेतीकी प्रेरणा

१. अर्थ-व्यवस्थाके विकासके लिए मनुष्यका विकास करो

किमान सहकारी खेतीकी पद्धति स्वीकार करे, इसके लिए उन्हें इतना ही नहीं कहा गया था कि सहकारी खेतीसे आर्थिक लाभ होता है, बल्कि उन्हें यह भी समझाया गया था कि उससे उनके व्यक्तित्वका विकास होता है। और इसका उन पर अच्छा असर हुआ था। यदि किसानोको अपने सर्वांगीण विकासकी लगन लग जाये, तो वे ग्राम-अर्थ-रचनाका सकलन करनेके काममे जुट जायेंगे। यह एक तालीमकी प्रक्रिया है, जिसमें किसानोको तैयार कार्यक्रम नहीं दिये जाते। मुख्य हेतुको ध्यानमें रखकर वे अपने कार्यक्रम खुद तैयार करते हैं। और इस काममें उन्हें मदद दी जाती है। ऐसे कार्यक्रम तैयार करते समय किसानोको सहकारी खेतीकी अनिवार्यताका खयाल आ जाता है। उदाहरणके लिए, उनकी समझमें यह आ जाना है कि वे अपने समयका युद्धपूर्वक बटवारा करके अपने सांस्कृतिक विकासके लिए आवश्यक अवकाश सहकारी खेतीमे ही पा सकते हैं। सहकारी खेतीसे ही उनकी आर्थिक स्थिति विकसनीय बनेगी और उन्हें ज्यादा मुविधायें और सेवाये मिलेगी। विकामके ज्यादा अवसर उपलब्ध हो, इसके लिए भी उन्हें सहकारी खेतीकी ओर झुकना पड़ता है।

२. रोगके उपचारके बजाय रोगीका उपचार करो

विकासशील अर्थ-रचनाके एक भागकी तरह सहकारी खेती गावके हर एक वर्गको अपील करती है। बड़े किसानोंको और शिक्षित युवकोको, छोटे किसानोको, भूमिहीनोको और कारीगरोको और खासकर स्त्रियोको तो वह बहुत अपील करती है। क्षेत्रोंमें प्रयोगके रूपमें सहकारी खेती समितिना शुरू करते समय इस अपीलका विशेष उपयोग किया गया था। इस पद्धतिमें रोगके बजाय रोगीके इलाज पर ज्यादा

जाँर दिया जाता है। सहकारी खेतीकी चर्चा सामान्य तौर पर की जाय, तो लोग उसके लिए विरोध उठाह नहीं दिखाते। इसलिए ऐसा निश्चय किया गया कि पसन्द किये हुए गावोंमें उपर्युक्त सभी वर्गोंके भाय परामर्श करके यह मालूम किया जाय कि वे किन कारणोंसे सहकारी खेती समितियोंमें शामिल होनेके लिए प्रेरित होंगे। ऐसा करनेसे लोगोको अपने उन्नत स्वार्थका खयाल आया। सच तो यह है कि इस पद्धतिसे उनकी दृष्टिमें ज्ञानपूर्वक परिवर्तन हुआ।

(अ) सांस्कृतिक अपील : यह खयाल कि सहकारी खेतीसे उन्हें लाभ होनेवाला है, सबसे पहले बड़े किसानो और शिक्षित युवकोको आया। वे समझ गये कि इससे उन्हें विकासके ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। यह वर्ग ऐसे अवसरोंका भूखा है; और यदि उसे ऐसे अवसर गावोंमें नहीं मिलते, तो वह शहरोंमें जानेकी कोशिश करता है। उसने देखा कि सहकारी खेतीसे जीवन व्यवस्थित बनता है और इससे सांस्कृतिक विकासके लिए या अपनी पसन्दगीका काम करनेके लिए अवकाश मिलता है। उन्होंने यह भी देखा कि सहकारी खेतीमें उनके जमीनके मालिकी हकके लिए पूरा सुरक्षण है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि सहकारी खेतीसे सिर्फ छोटे किसानोको ही लाभ है, क्योंकि सहकारी खेतीके द्वारा वे अपनी सम्पत्ति और साधन इकट्ठे करके अपनी व्यक्तिगत कमियोंकी पूर्ति कर सकते हैं। सहकारी खेती एकागी कार्यक्रमके रूपमें की जाय तो ऐसा ही होगा। किन्तु यदि सहकारी खेतीका विचार समग्र कार्यक्रमके एक अंगके रूपमें किया जाय, तो वह उच्च विकासके अवसर देता है और यह बात साधन-सम्पन्न लोगोके ध्यानमें सबसे पहले आती है और वे ही उसे सबसे पहले स्वीकार करते हैं। स्त्रिया भी उसके इसी लाभसे प्रभावित होकर उसकी समर्थक बनती हैं। उन्हें यह बात समझमें आ गयी कि सहकारी ग्राम-अध्यक्षनाकी प्रतिनिधि-जैसी इस सहकारी खेतीसे ही उन्हें अपनी रोजकी बेगारसे छुट्टी मिल सकती है। सयुक्त कुटुम्बकी प्रथा बेगसे नष्ट हो रही है, जिसे स्त्रियोका काम बढ गया है। उन्हें लगा कि सहकारी खेतीसे और दूसरी सहकारी प्रवृत्तियोंसे उनका समय बहुत

वच मकना है। वारण, ग्राम-जीवनके सहकारी सगठनमें उनके कई कामोंकी ग्रामस्तर पर व्यवस्था हो जाती है। और इसी तरह ग्राम-स्तर पर कई सेवाओंकी व्यवस्था भी हो जाती है। हमारी नजरमें ऐसे उदाहरण भी आये जहाँ पुरुष सकुचाते मालूम होते थे, पर उन्हें स्त्रियोंने सहकारी समितियोंमें शामिल होनेके लिए प्रोत्साहित किया।

(आ) साधनहीनोंको अपील : भूमिहीन मजदूरोंको तो सहकारी खेतों समितियोंमें शामिल होनेमें केवल लाभ ही दीखता है। उसमें उन्हें मालूमर आगकी अपेक्षा कही ज्यादा अच्छी मजदूरी पर न्यूनतम आयको आगा दिखाई देती है। समितिका सम्य बननेसे उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। सामूहिक चिंतन और कार्योंमें भाग लेनेसे उनकी शक्तिका विकास होगा है। सामाजिक सुरक्षाके हेतुसे कार्यान्विन किये जा रहे कार्यक्रमोंके शुभ प्रभावसे उनमें सामाजिक उत्तरदायित्वकी भावना पैदा होती है। छोटे किसानोंको तो उससे स्पष्ट लाभ ही है। सबके लाभके लिए साधनोंके इकट्ठे होनेके सिवा उन्हें एक अति-रिक्त लाभ यह भी होता है कि वे दूसरे उपयोगी काम कर सकते हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे सहकारी सगठनोंके व्यवस्थापक भी हो सकते हैं। जब ऐसा होता है तब अभी तक जो महत्व सम्पत्तिको मिलता था वह योग्यताको मिलने लगता है। सहकारी खेतीके द्वारा भूमिहीनो और छोटे किसानोंको ऐसी सुविधायें और सेवायें मिलने लगती हैं, जिनका उन्होंने स्वप्नमें भी विचार नहीं किया था।

(इ) कारीगरोंको अपील : सहकारी खेतीका लक्ष्य पूर्ण रोज-गारी पैदा करना, स्थानिक सम्पत्तिके सपूर्ण उपयोगकी शक्य बनाना तथा औद्योगिक मालके भावो और खेतीकी उपजके भावोमें समानता लाकर ग्राम-अर्थव्यवस्थामें विविधताका सचार करना है। इससे कारीगर वर्गके लिए सहकारी खेतीमें से औद्योगिक कार्यक्रमकी शक्यता खड़ी होती है।

इस तरह सहकारी खेती सर्वांगीण अर्थ-रचनाके विकासके लिए और ग्राम-जीवनके विकासके अवसरोंका विस्तार करनेके लिए ठोस भूमिका तैयार करती है।

३. आदर्श केन्द्रका निर्माण

दूसरा लक्ष्य ऊपर बतायी गयी कार्य-मद्धतिके अनुसार सर्वांगीण ग्राम-अर्थरचनाका आदर्श नमूना तैयार करनेका था। इस प्रयोगके लिए उत्तर प्रदेशके कमेलपुर नामक गावको चुना गया। चौधरी नरेन्द्र-सिंह और मुशी रामजसके प्रेरणाप्रद नेतृत्वमें गावने उन्नत स्वार्थकी दृष्टि अपनायी है। हम उसे अपने ग्राम-निर्माण कार्यक्रमकी प्रयागजाला बनाना चाहते थे और वहा इसके लिए सचमुच अनुकूल वातावरण पैदा हो गया है। पिछले चार वर्षोंमें उसने जो भी कार्यक्रम हाथमें लिये हैं, उनमें उसने प्रयोगकी सच्ची दृष्टि अपनायी है। महकरी खेती भी उसने प्रयोगकी दृष्टिसे ही अपनायी है। यह गाव अपनी खेतीका संगठन सर्वोदयके आदर्शोंके अनुसार खडा करनेका आग्रह रखता है। इसलिए वह अत्योदयकी दिशामें सच्ची सहकारी भावनामें प्रगति-शील नीति अपना सका है। कमेलपुर एक आदर्श ग्राम बने इसके लिए विवेक प्रयत्न किया जा रहा है। कमेलपुर अपने रचनात्मक और महकरी प्रयत्नोंसे मधन क्षेत्रके दूसरे गावोंमें भी सहकारी खेतीकी हवा फैला रहा है। कमेलपुर आसपासके दूसरे गावोंके किसानोंके लिए मात्र चर्चाका विषय नहीं बल्कि यात्राधाम बन गया है। कमेलपुरका यह माह्रम उन्ह भी महकरी खेती अपनानेकी प्रेरणा देता है और जब बड़े गाव मधन क्षेत्रके सचालकोंसे सहकारी खेती समितियां बनानेके सम्बन्धमें मार्गदर्शन माग रहे हैं। सचालक ऐसी समितियोंकी संख्या बढ़ानेका आग्रह नहीं रखते। वे तो सख्यामें कम सिन्धु आदर्श खेती समितियां बनानेका आग्रह रखते हैं, जिसमें कि खेती समितियां बनानेकी इच्छा रखनेवाले दूरके गावोंको सचमुच मार्गदर्शन दिया जा सके।

४. पूरक संगठन

मधन इलाक़ा किसान गाव महकरी खेती समितियोंमें जिन इच्छाओं का निर्माण हो रहा है उसका मुख्य कारण यह है कि मधन क्षेत्र महकरी खेती करनेवाले जनताका एक निरक्षर और आर्थात्मिकता सम्बन्ध

बनाया है। सहकारी खेतीसे होनेवाले लाभोके विषयमें चाहें जितना मनचाहा जाय, जिनु सामान्यतः किसान ऐसे नये साहसियोंमें शामिल होनेके लिए जन्दी तैयार नहीं होते। सहकारी खेतीके परिणामोंमें अनजान होनेके कारण वे उसे स्वीकार करनेमें हिचकिचाते हैं। जमीनके मालिकों हकके नये मुधारोसे उनके मनमें मन्देह पैदा हो गया है। सहकारी खेती समितियोंके व्यवस्थापकोकी प्रामाणिकतामें विश्वास करते हुए भी उन्हें सिद्धक होती है। इसलिए पहला प्रश्न तो इस कठिनाईको पार करनेका है। यानी किसानोंमें उनकी भावी स्थितिके और खेतीकी नयी सयुक्त व्यवस्थाकी पद्धतिके विषयमें विश्वास पैदा करनेका है। जिन्होंने अपनी सचाई और ईमानदारी आदिके द्वारा लोगोंका सम्पूर्ण विश्वास जीता हो, ऐसे स्थानिक नेता ही यह मुश्किल काम कर सकते हैं। इसलिए गावोंमें ऐसा नेतृत्व पैदा करना हमारी पहली आवश्यकता है। सघन क्षेत्र संगठन अपने ग्राम-आयोजनके कार्यक्रमों द्वारा और उसमें खासकर अत्योद्योग पर जोर देकर ऐसे नेतृत्वकी तार्किकके लिए उपयुक्त परिस्थितिया पैदा कर सका है। सहकारी खेतीकी ऊपरी इमारत इस नींव पर ही खड़ी की जा सकती है।

सहकारी खेती समिति खड़ी करनेके बाद उसकी रजिस्टरी करानेका काम किसानोंके लिए बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए काफी मेहनत करनी पडती है और महीनो तक राह देवना पडती है। सरकारी अधिकारियोंकी मददसे जरूरी कागज तैयार करना पडने है और दूसरी अनेक विधिया पूरी करनी पडती हैं। फलतः किसानोंका धीरज कम हो जाता है। सम्बन्धित अधिकारियोंके व्यवहारमें ऐसा जान पडता है कि उनका काम सहकारी खेतीकी प्रोत्साहन देना नहीं, मात्र कागजोंकी जांच करना है। इस सारी विधियों जल्दी निरटारनेके लिए सघन क्षेत्र संगठनोंका बड़ा प्रयत्न करना पडा था।

इन्के बाद योजनाके अमलकी बारी आती है। इसमें पहला काम सारी साधन-भंगति सबके उपयोगके लिए एकत्र करनेका होता है। यह बहुत नाटुक और जटिल काम है। उसमें जमीनके गुणके

अनुसार हिस्मोका निर्णय करना पड़ता है और पशु-सम्पत्ति तथा साधनोंकी कीमतरुा हिमाव करना पड़ना है। जिन पर सब लोगोका विश्वास हो, ऐसा नेता ही इस मुश्किल कामको इस तरह पूरा कर सकता है कि जिनसे सबको मतोप हो। कमेलपुरमें तो लोगोंने मट्कारी खेतीका कार्य प्रयोगकी दृष्टिसे शुरू किया था। इनलिए साधन-सम्पत्ति एकत्र करनेके काममें मुश्किल नहीं आयी। हिस्मों (शेयरों)का निर्णय करनेमें जमीनके गुणका विचार किये बिना सब जमीनोंकी कीमत एक हो मान ली गयी थी।

बीथा काम उत्पादनके आयोजनका है। उसमें उगायी जानेवाली फसलोंका विचार करना पड़ना है, मजदूरीकी दर तय करनी पड़ती है और अतिरिक्त मानव-बलका उपयोग कैसे किया जाय, इस प्रश्नको हल करना पड़ता है। इस काममें सधन क्षेत्र सगठनको महत्त्वपूर्ण भाग अदा करना था। कमेलपुरमें लगातार तीन वर्षोंमें वार्षिक योजनायें तैयार की जा रही थीं और इसलिए लोगोको उत्पादन-योजना तैयार करनेकी काफी तालीम मिल चुकी थी। इन योजनाओको तैयार करनेमें एक अतिरिक्त लाभ यह हुआ कि कम आयवाले वर्गकी अस्वस्थ मनोदशा दूर हो गयी। ग्राम-योजना स्थानिक साधनोंका सदुपयोग करने ही बनानी पड़ती है। इसलिए उसमें लोगोकी इस अस्वस्थ मनोदशाको दूर करना जरूरी होता है। सब तो यह है कि साधनोंके अभावकी अपेक्षा लोगोकी अस्वस्थ मनोदशाकी कठिनाई ज्यादा रुकावट डालती है। इसलिए सगठनने इस कठिनाईको हल करने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया और लोगोमें ज्यादा अच्छा जीवन बितानेकी इच्छा पैदा करके और इस प्रयत्नमें उन्हें हरएक कदम पर सक्रिय सहारा देकर उसे अन्तमें सफलतापूर्वक हल किया। कमेलपुरमें अधिकांश किसानोंके घर कच्चे थे — उनकी दीवालें मिट्टीकी थी और छप्पर घास-फूसका। उन्होंने पिछड़े वर्गोंको मिलनेवाली सरकारी मदद लेकर गावमें हरिजनोके लिए पक्के मकान बना दिये। इसके सिवा गावकी जमीनमें से उन्हें शाक-भाजीकी वाडिया करनेके लिए भी जमीन दी। अन्वोदयके इस कार्यसे उन वर्गोंमें अच्छा जीवन बितानेकी इच्छा पैदा हुई और यह

विश्वास भी पैदा हुआ कि ऐसी इच्छा उचित है तथा उसकी निम्नलिखित अपेक्षा नहीं है। इस तरह मध्य क्षेत्र संगठनने ग्राम-आयोजनकी तीन मुख्य बातें पूरी की - (१) जरूरी मानसिक भूमिका तैयार करना, (२) स्थानिक माधन-मम्पत्तिका उपयोग करनेकी पद्धतिका प्रदर्शन, और (३) ग्रामोद्योगोंके द्वारा अनिश्चित मानव-बलको जीविका देना।

मनलव यह कि सहकारी खेतीको सफल बनाना हो तो उसके लिए एक ऐसे पूरक संगठनकी जरूरत होगी है, जो केवल पूरक कार्यक्रम ही नहीं देगा बल्कि सहकारी खेती गमिनियोंको हर बंदम पर मार्गदर्शन भी देना रहेगा। इसके लिए मध्य क्षेत्र संगठन, जिसका मुख्य काम-अभ्यंरचनाका सर्वांगीण विकास करना तथा विवेचित्र सहकारी अभ्यंरना ढांचा गढ़ा करना है, बहुत उपयुक्त मिड हुआ। मध्य क्षेत्र संगठन २०००० की आबादीके क्षेत्रमें काम करता है। यह संगठन स्थानिक लोगोंका ही बना हुआ होता है और उसके मुख्य कार्यकर्ताओंमें स्थानिक नेता ही होते हैं। खास ग्रामोद्योग बर्मादेशके मंत्रालयके मार्गदर्शनमें ग्राम-योजनायें तथा क्षेत्रीय योजनायें तैयार करके उन्हें कार्यान्वित करनेका मारा काम इसी संगठनको सौंपा गया है।

५. सर्वांगीण कार्यक्रम

सहकारी खेतीको सफल बनाना हो तो ग्रामोद्योगके सर्वांगीण कार्यक्रमकी योजना करना चाहिये। सहकारी खेतीमें मध्य क्षेत्रके लोग मिडना है और उनकी हर एक बड़ अनिश्चित मानव-संसाधनकी संरक्षणी व्यवस्था करना है। किन्तु साथ ही जिसे खानेवाले कार्यक्रमके अन्तर्गत मध्य क्षेत्रके द्वारा यह क्षेत्रोंमें लगी हुई मानव-संसाधनको मुक्त भी करता है। खेतीमें मुक्त हुए इन लोगोंको दूसरे उत्पादन कार्योंमें लगाया होगा। लाली-उत्पादन, दूध-उत्पादन तथा कच्चे माट्टा पक्का माट्टा बनानेवाले उद्योगोंमें लगे लोगोंको लगाने के लिए सहकारी प्रयत्न होना है। परन्तु इन उद्योगोंका कच्चा माल निर्यात करने के लिए मिडना चाहिये और बाजारकी सुरक्षा होनी चाहिये। सहकारी खेतीमें ये मारी सुरक्षा मिड करनी है। इसलिए ग्राम

तरह सहकारी खेतीकी सफलताके लिए दूसरे सहायक उद्योगोंकी आवश्यकता है, उसी प्रकार उन सहायक उद्योगोंके लिए सहकारी खेतीकी आवश्यकता है। मन्त्र यह कि सहकारी खेती और ऐसे सहायक उद्योग एक-दूसरेके पूरक हैं। ऐसे सर्वांगीण कार्यक्रमके परिणाम-स्वरूप गावका कुल उत्पादन बढ़ता है। साधन-सम्पत्ति और संगठन-शक्तियों सहित (pooling) से सघन खेती शक्य बनती है और सघन खेतीसे खेतीका उत्पादन बढ़ता है। फसलोंका समुचित आयोजन करके को जानेवाली सघन खेतीमें हरा धात-चारा लगातार मिलता रहता है और उससे डेरी-उद्योगके विकासमें बहुत सहायता मिलती है। खेती-कामसे मुक्त हुई मानव-शक्तिको दूसरे उद्योगोंमें काम दिया जाता है। इस तरह दूसरे उद्योगोंका उत्पादन भी बढ़ता है। यानी उत्पादन केवल खेतीका ही नहीं बल्कि गावका कुल उत्पादन बढ़ता है।

विवादका विषय

सहकारी खेतीकी बातने हमारे देशमें भारी विवाद खड़ा कर दिया है। इस आन्दोलनकी आलोचना करते हुए और लोगोंको उममें विरत करनेके लिए पुराने अनुभवोंका उल्लेख किया जाता है। परन्तु उस समयकी सहकारी खेती एक एकागी कार्यक्रम था। वह महज आर्थिक कार्यक्रमकी तरह नियोजित और कार्यान्वित किया गया था। सघन क्षेत्रोंमें अब जिस सहकारी खेतीका प्रयोग हो रहा है, वह भूतकालके अनुभवोंकी पुनरावृत्ति नहीं है। वह तो ग्राम-सम्यताके नव-निर्माणकी दृष्टिसे की जा रही एक नयी वस्तु है। जहाँ ग्राम-योजनाके द्वारा अनुकूल वातावरण पैदा कर लिया गया हो, ऐसे चुने हुए गावोंमें नये प्रकारका खेती-संगठन खड़ा करनेकी दृष्टिसे उसे एक प्रयोगकी तरह किया जा रहा है। यहाँ हम इस विवादके निम्नलिखित मुद्दोंकी चर्चा करेंगे

- १ वास्तविकता,
- २ वर्ग-सघर्ष,
- ३ परिवारकी स्वतंत्रता,

४. प्रेरणा,

५. सेवा-सहकारी समितिया तथा सहकारी खेतों।

१. वास्तविकता

वास्तविकता किसे कहना चाहिये? जीवनकी हकीकतको या जीवनके ध्येयको? विचार करनेमें प्रगट होगा कि उसमें दोनोंका ही समावेश होता है।

नामाजिक विकासके इतिहासमें ऐसा समय आता है कि जब नामाजिक वर्गोंको स्थिरता और प्रगतिमें नै किमी एक्का चुनाव करना पड़ता है। प्रगतिका चुनाव जीवनके ध्येय पर बल देता है और स्थिरताका चुनाव जीवनकी वास्तविकता पर बल देता है। ध्येयकी भावना माहस और प्रगतिके गुणोंका विकास करती है, जब कि वास्तविकतासे समझौता कर लेनेकी वृत्ति मनाविकृतिको पैदा करती है। इसके सिवा, जिस तरह मानव-जीवन कभी ज्योंका त्यों नहीं रहता, उसी तरह जीवनकी वास्तविकतायें भी कभी ज्योंकी त्यों नहीं रहती। जीवनकी उन्नतिके साथ साथ जीवनकी वास्तविकतायें भी बदलती जाती हैं और जो लोग इन परिस्थितियोंके लिए तैयार नहीं होते उन्हें द्रष्टी मुश्किलसे गुजरना पड़ता है। वे नयी परिस्थितियोंके अनुरूप नये मनुलन दृष्ट निवालेनेमें विफल सिद्ध होने हैं। और सतुलनके अभावमें विघटन पैदा होता है। यानी प्रगति और स्थिरताके बीचमें किरा जानेवाला चुनाव परिणामकी दृष्टिसे प्रगति और विघटनके बीचका चुनाव मिद्ध होता है। हमारे ग्राम-जीवनमें विघटनकी प्रक्रिया इनकी स्पष्ट है कि वास्तविकताके नाम पर चान्द स्थितिको ही बनाये रखनेकी हिमायन करनेवालोंकी दृष्टिमें भी वह छुपी नहीं रह सकती। यदि चान्द स्थितिको ही बनाये रखनेकी कोशिश की गयी, तो विघटनकी प्रक्रिया और तीव्र हो जायगी।

जहाँ कभी अच्छे कार्यक्रम भी प्रतिकूल परिस्थितियोंमें बेकार बन जाते हैं, उनमें जनताको कोई लाभ नहीं होता। सहकारी खेतोंके कार्यक्रमका ऐसा ही अजाम आया है। उसने अन्यन्त चिन्तनशील

लोगोंके मनमें भी मतभेद उत्पन्न किया है। इस मतभेदने उन लोगोंको देशके भावी विकासके लिए निश्चित रख अपनानेके विषयमें विचार करनेकी प्रेरणा दी है। सहकारी खेतीके लाभोंके बारेमें किसी प्रकारका मतभेद नहीं है; मतभेद इस बारेमें है कि किन परिस्थितियोंमें सहकारी खेतीकी राष्ट्रीय योजना तैयार करके उस पर अमल करना चाहिये। सहकारी खेतीके विरोधियोंकी दृष्टिमें यह कार्यक्रम तभी मूल्यवान बन सकता है, जब किसान समझ-बूझकर स्वेच्छासे तथा अधिक अच्छा सगठन रखनेकी दृष्टिसे उसे स्वीकार करें। इस प्रकारके स्वाभाविक विकाससे ऐसी परिस्थितियां खड़ी होनेका भय नहीं रहेगा, जिससे गावके लोग नये सगठनों पर अपना काबू खो दे। वस्तुतः वह गावकी प्राचीन संस्कृतिका विकास होगा। परन्तु ऐसा माना जाता है कि सरकारी अधिकारी बाहरी पैसे और सुविधाओंकी सहायतासे सहकारी खेतीके कार्यक्रमका अमल निश्चिन लक्ष्याकोवाली राष्ट्रीय योजनाके एक भागके रूपमें करेंगे। यदि ऐसा हुआ तो किसान उस कार्यक्रमकी सच्ची कोमत नहीं आक सकेगे। उस स्थितिमें वह ग्राम-समाज द्वारा स्वयं तैयार किया हुआ कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि राज्य द्वारा दिया हुआ एक तैयार कार्यक्रम होगा। इस प्रकार सहकारी खेतीसे किसीका विरोध नहीं है, परन्तु बाहरसे आनेवाले तैयार कार्यक्रमसे विरोध है।

यदि गावोंकी अर्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाको विकसित करनेके लिए सारे साधनोंको एकत्र करना अनिवार्य हो, तो व्यक्तिगत खेतीकी अपेक्षा सहकारी खेती, सहकारी डेरी, सहकारी खरीद-बिक्री तथा सहकारी पद्धतिसे कच्चे मालका पक्के मालमें रूपान्तर करनेवाले उद्योगोंके कार्यक्रम अधिक वास्तविक कार्यक्रम माने जायेंगे।

२. वर्ग-सघर्ष

क्या सहकारी खेतीके फलस्वरूप ग्राम-अर्थरचनामें वर्ग-सघर्ष खड़े होंगे? इसमें सघर्ष खड़े होनेकी कोई बात ही नहीं है। वे तो आजकी परिस्थितिमें मौजूद ही हैं। उन्हें मिटानेकी जरूरत है, न कि उनकी उपेक्षा करनेकी। आजकी छिन्न-भिन्नताकी परिस्थितिमें से ये सघर्ष अनिवार्य रूपमें जन्म लेते हैं। आज भूमिहीन मजदूरोंके हित

किमानोंके हितोंके साथ टकराते हैं। सहकारी खेतीमें खेत-मजदूरोंकी आशाएँ बढेगी। वे किमानोंके साथ समान प्रतिष्ठा भोगनेकी इच्छा रखेंगे तथा आजके वनिस्वत खेतीके उत्पादनका अधिक बड़ा हिस्सा माँगे। परन्तु किमानोंके हितोंको नुकसान पहुँचा कर उनकी ये आशाएँ पूरी नहीं की जायगी। मधन खेती, डेरी तथा ग्रामोद्योगोंके मधुक्त कार्यक्रमोंसे किमानों तथा खेत-मजदूरों दोनोंको लाभ होगा तथा उनके आपसी सम्बन्ध भी सुधरेगे।

आज जो परिस्थिति है उसे वैसी ही जारी रखनेमें वर्ग-मधर्ष दूर नहीं होंगे। इस परिस्थितिमें तो वे मधर्ष घटे ही रहेंगे। परन्तु किमानों तथा खेत-मजदूरोंके आपसी हितोंमें मुद्देल और मवादिता पैदा करनेसे वे मधर्ष जम्ह दूर होंगे। इन मधर्षोंका मूल कारण है मर्यादित सम्पत्ति तथा मर्यादित अवसर। अतः सम्पत्ति और अवसरोंको बढ़ानेमें यह आरम्भी मुद्देल मधेगा। इस प्रकार रचनात्मक दृष्टिविन्दुमें मिट्टे किसे हुए विभागमें सवादिता और मुद्देल निहित है। हमीको गांधीजी रचनात्मक कार्यक्रम कहते थे। वे गांधीके बच्चे मालमें पक्का माल बनाकर तथा धूलमें से धन पैदा करके रोजीके अन्तर्गत बढ़ानेकी बात बता करते थे। यदि आत्म-निर्भर अर्थ-रचनाके द्वारा आर्थिक प्रवृत्तियाँ बढ़ाई जाय तो गांधीकी समस्त मानव-शक्तिको काम दिया जा सकता है। गांधीके मधर्षका मिटानेका यह एवमात्र निश्चित मार्ग है। यह भी यही बताया है कि एरागी कार्यक्रमके रूपमें महत्कारण खेती सभी मरुत नहीं हो सकती। ग्राम-जीवनके मनुलिन विकासकी दृष्टिमें बनाये गये मधर्षोंके कार्यक्रमके एर भागके रूपमें ही महत्कारण खेतीकी बात सोचनी होगी। उगमें गांधीके अलग अलग हितोंके बीच निरक्षयामक और रचनात्मक दृष्टि में मुद्देल माया जा सकेगा।

रचनात्मक मध नहरागी प्रपन्न द्वारा आर्थिक प्रवृत्तियाँ विभाग करनेमें ग्राम-जीवनका मनाव काम हाना है। इन सब कार्योंकी पूर्ण धीमी रहना अनिवार्य है, ऐसा मान ले तो भी इनमें आरम्भी मनाव हटाया होगा। महत्कारण खेती मरिचितके मध्यम दृष्टिमें मीव हुए मनाव हट मरिचित कर ले, ऐसा आपत्त करनेकी जरूरत नहीं है। अन्त

सहकारी खेतोंके संपूर्ण आन्दोलनको ऐच्छिक बनाना हो, तों सदस्योंके हृदय-स्विवर्तन पर अर्थात् सदस्योंकी नये मूल्योंकी समझ पर आधार रखना होगा। समझीता स्वेच्छापूर्ण कार्यकी आत्मा है। अगर सारे बग — सम्पत्तिशाली वर्ग भी — स्वेच्छाने सहकारी प्रयत्नोंमें भाग लें, तो समय बीतने पर विकासकी प्रक्रिया सचचो दिशामें मुड़ेगी। इस प्रकारके स्पातरकी अपेक्षा रखनेवाले सामाजिक प्रयत्नमें उतावली करनेमें सफलता नहीं मिलती।

३. परिवारकी स्वतंत्रता

सहकारी खेतोंके कार्यक्रमसे किनासे अपनी स्वतंत्रता खो देंगे, ऐसा भय बनाया जाना है। वेशसे स्वतंत्रता मानवके जीवनको सार्थक बनायी है। किसी भी भौतिक लाभके लिए इस स्वतंत्रताको खोना नहीं जा सकता। परन्तु प्रत्येक परिवारको गावकी मिली हुई कुल स्वतंत्रताका एक अंश हो भागनेको मिलना है। जिसमें उत्पादन और अवसर दोनों सर्वांगीण हो ऐसी छिन्न-भिन्न ग्राम-रचना अथवा अर्थ-रचनामें इन कुल स्वतंत्रताके भाग आविष्कृत किये जायेंगे? इस छिन्न-भिन्नताके कारण हो आन्तरिक संघर्ष लगातार बना रहता है। यदि गावके सारे परिवारोंमें समानता हो तो ही प्रत्येक परिवारकी स्वतंत्रताका कोई अंश हो सकता है। आज किमानाका कारीगरों तथा खेत-मजदूरोंके सम्बन्ध में कोई सहायता नहीं जाना। गावका व्यापार गावकी आर्थिक प्रयत्नमें कोई मदद नहीं करता। बड़े व्यापार तो सहरो मनोवृत्तिवाला और गावकी आर्थिकताके बुरा बन गया है। जिनकी बजहमें थोड़ी-बहुत आन्तरिक संघर्ष बनो गयीं थी और कामका विभाजन होना था। परन्तु गावका एक ही दृष्टि में लगे हैं। इस तरह उनकी स्वतंत्रता खोनेकी शक्ति भी कम हो गई है। ऐसी स्थितिमें गावके सदस्योंका ग्राम जनताका कारण बनना या सहरोमें खले जानेकी स्वतंत्रता खोना है। और गावका ग्राम जनताका कारण, गरीबी, दुःख, गरीबी, अज्ञानता तथा अविश्वसनीयता और अक्षमताका अभाव भोगनेकी संभावना है। तो क्या स्वतंत्रता का जानका भय दिखानेवाले यह प्रयत्न ही है? कि छिन्न-भिन्नता बुरा प्रभावके नीचे ग्राम

निर्भर करते हैं। वैयक्तिक किसानोंके बजाय किसानोंके व्यवस्थित दलोंके साथ काम लेनेमें उन्हें अधिक लाभ होगा, क्योंकि नई व्यवस्थासे कामके अधिक अवसर तथा सुविधाये प्राप्त होंगी और सेवाओंके बदलेमें मेहनताना धरगंरा भी अधिक मिलनेकी संभावना है।

कच्चे मालसे पक्का माल बनानेवाले उद्योगोंमें लगे हुए पेशेवर कारीगर भी ग्राम-सहकारी समितिमें जुड़ना पसंद करेंगे, क्योंकि इससे उन्हें नियमित रूपमें कच्चा माल मिल सकेगा और अपने तैयार मालको बेचनेकी चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी। वे अपनी इच्छासे ही सहकारी समितिके सदस्य बनेंगे। अगर वे सदस्य नहीं बनेंगे तो भी समिति ग्राम-अर्थतंत्रके सर्वांगीण आयोजनके हितमें उनकी पूरी शक्तिका उपयोग करना चाहेगी। परन्तु वे यदि समितिके सदस्य बन जायेंगे तो उन्हें समितिके फडमें से दी जानेवाली शिक्षण तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी सेवाओंका भी लाभ मिलेगा।

इस तरह गावके सर्वांगीण विकासके कार्यक्रमसे ऐसा वातावरण उत्पन्न होगा जिससे अपने धन्धेके खुद ही मालिक हो ऐसे सब परिवार समुक्त सेवाओं तथा उत्पादनकी व्यवस्था करनेवाली सहकारी समितिके सदस्य बननेके लिए प्रेरित होंगे। जब पूरा गाव खरीद-बिक्री तथा कच्चे मालसे पक्का माल बनानेका काम सहकारी पद्धतिसे करता है, तब गावका व्यापारीक अकेले ही अपना वैयक्तिक धंधा कर सकनेका सवाल ही नहीं रहता।

४ प्रेरणा

जब तक गावके 'मनुष्य' का विकास न हो तब तक ग्राम 'अर्थ-रचना' का रिहाग क्या हो सकता है? मुलमीदासजी कहते हैं: 'जहां मूर्ति तह मर्ति नाता जहां कुमति तह विपति निदाना।' गावका मनुष्य क्रिम हूँ तक अपनी निवृत्त मनाइगात्रा त्याग करके गतिशील बनगा ज्मा हूँ तक बह ममद्व बन गकेगा। दूमरे शब्दोंमें कहें तो उस ममद्व बनन्क रिग जाप्रत उनता पडगा। यदि गावका मनुष्य अविश्वसित रू या गावकी ममद्विग करा लाभ होगा? जीवनका ध्येय कवक अरुणी अरुता रन्तुदारा उपभाग कभी हो ही नहीं सकता।

इस प्रकार गावका मनुष्य विकासका साधन और साध्य दोनों बनता है। व्यक्तियोंकी स्वार्थवृद्धिको अपील करे ऐसे प्रलोभनोंकी प्रेरणा नहीं कहा जा सकता। ऐसे प्रलोभनोंसे उनका पतन होता है। क्योंकि वे स्वार्थी बनते हैं और ग्राम-समुदायसे अलग पडकर वर्गका रूप धारण करते हैं। जब वर्ग प्रेरणाकी बात करते हैं तब वास्तवमें तो वे प्रलोभनोंकी आशा रखते हैं। वे ग्राम-समुदायको अपने स्तरोंसे मापते हैं। परन्तु स्वाधीन रोजी पर निभनेवाला ग्राम-समुदाय तो सुख तथा दुःखका एकसा विभाजन करके काम करनेमें सतोप मानता है। सघन क्षेत्रोंकी सहकारी समितियोंमें विलकुल ऐसा ही होता है। समितिके सदस्य परिवारकी भावनासे काम करते हैं और सामूहिक साहसमें हाथ बटानेका काम व्यक्तिकी भलमनसी पर छोड़ देते हैं। परिवारोंकी तरह समितियोंमें भी कमजोर व्यक्तिको सजा नहीं दी जाती, परन्तु उसके प्रति सहानुभूति रखी जाती है।

सबके लिए प्रेरणा

नामान्यतः जब प्रेरणाकी चर्चा की जाती है, तब भद्र लोगोंको ध्यानमें रखकर ही उसका उल्लेख किया जाता है। परन्तु इन लोगोंकी तो गावमें बहुत ही छोटी संख्या होती है। आज गावोंमें इनके स्थापित हित हो गये हैं। उन्हें प्रोत्साहन देनेका अर्थ जनताके शोषणको प्रोत्साहन देना ही होगा। आजकी भाषामें अगर ग्राम-विकासके लिए प्रोत्साहनकी किसीको भी जरूरत हो तो वह गावमें बड़ा बहुमत रखनेवाले ग्राम-समुदायको ही है। आज हमारे गाव समृद्ध नहीं हैं; इसका कारण यह है कि प्रोत्साहनके अभावमें ग्राम-जनताकी सर्जनात्मक शक्ति का विकास नहीं हो पाया है। इस शक्तिके विकासके लिए सहानुभूति और मूझ दोनोंकी जरूरत है।

आज तो तथाकथित प्रोत्साहन देनेवाली वस्तुओं पर गावके भद्र लोगोंका ही एकाधिपत्य है। गावकी जनताका तो कोई भाव ही नहीं पृच्छता। सर्जनात्मक और सहकारी साहसके नये वातावरणमें भद्र लोगो और आम जनता दोनोंकी सपूर्ण तथा समुचित प्रोत्साहन मिलेगा। गावके सभी मनुष्योंकी सर्जनात्मक शक्ति का विकास करके गावोंकी अर्थ-

रचनाको विस्तृत बनानेके लिए कार्य किया जाय, तो उसमें गावोंके भद्र लोगोंका उन्नत स्वार्थ सिद्ध होगा तथा ग्राम-जनताको अपनी शक्तिसे पूरे पूरे उपयोगके लिए आवश्यक प्रोत्साहन और अवसर प्राप्त होंगे।

५ सेवा-सहकारी समितिया तथा सहकारी रोती

कुछ लोगोंके मनमें यह शका है कि मानव-स्वभाव सहकारी पद्धतिसे उत्पादन करने जितना ऊचा उठ सकेगा या नहीं? वे लोग इतना स्वीकार करते हैं कि मानवका स्वभाव ज्यादासे ज्यादा सेवा-सहकारी समितिकी बात स्वीकार करने जितना तो सह्यसी धनेगा, परन्तु सहकारी खेतीकी बात वह कभी स्वीकार नहीं करेगा। परन्तु अन्तमें यह मानव-स्वभाव कैसा है? क्या वह मूलसे ही स्वार्थी और अमहकारी है? या उसकी दिखाई पडनेवाली सकुचितता जीवनमें विकास और उन्नतिके घटते जानेवाले अवसरोंके कारण उत्पन्न हुई है? यदि ऐसा ही हो — और हमारे गावों पर यही बात लागू होती है — तो ऊपरसे दिखाई देनेवाली सकुचितताका मूल मानव-स्वभावमें नहीं परन्तु परिस्थितियोंमें है। सामान्य मनुष्य परिस्थितियोंका प्राणी होनेसे वह परिस्थितियोंके अनुसार व्यवहार करता है। यदि परिस्थितिया अनुकूल हों तो वह भी अनुकूलतासे ही व्यवहार करता है। यदि परिस्थितियोंमें सुधार कर दिया जाय, तो मनुष्य अधिकाधिक अनुकूल बन सकता है। मनुष्यके नैतिक विकासके बारेमें शका रखना और फिर भी उसके आर्थिक विकासकी आशा रखना मनुष्यके उस व्यक्तित्वको न समझनेके बराबर है, जो अखण्ड और अविभाज्य है और जिसका अलग अलग टुकड़ोंमें विकास नहीं होता। यह विकास तो सपूर्ण और ममप्र है और उसके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक सारे पहल एकसाथ विकास करते हैं।

किस प्रकारका संगठन गावोंके लिए ठीक होगा, इसका आधार इस बात पर रहेगा कि हमें किस प्रकारके प्रश्न हल करने हैं अथवा कौनसे उद्देश्य सिद्ध करने हैं। यदि हमें गावोंके कर्ज जैसे प्रश्न हल करने हों और ग्राम-अर्थरचनाकी छिन्न-भिन्न स्थितिमें से उत्पन्न होने-

वाने प्रश्नोको वैसे ही अछूते रहने देना हो, तो सेवा-सहकारी समितियों हमारा काम चल सकता है। परन्तु यदि नई समाज-रचना खड़ी करनेका हमारा ध्येय हो, जिसमें हमारी मसूहतिके मूल्योंकी भी रक्षा हो सके और वैज्ञानिक प्रगतिके रूपमें नई नई वानें भी शामिल की जा सकें, तो उसके लिए खेतीका नये प्रकारका संगठन अनिवार्य होगा। इनका आरम्भ सेवा-सहकारी समितिमें किया जा सकता है, परन्तु ग्राम-अर्थतन्त्रके बुनियादी प्रश्नोके हलकी दृष्टिमें सेवा-सहकारी समिति बुरा कदम होगा। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें सेवा-सहकारी समिति हल नहीं कर सकती और इनमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें वह हल तो कर सकती है परन्तु स्थायी रूपमें नहीं। मानव-शक्ति और प्राणि-शक्तिका दिचारपूर्ण उपयोग करना, ग्राम-अर्थतन्त्रकी घघोंके आधार पर रचना करना, गावके भयषोंका अन्त करना, विकासके अवसर बढ़ाना, गावमें गहरो जमी मुविधाये और सेवायें खड़ी करना — ये सब ऐसे प्रश्न हैं, जो केवल सेवा-सहकारी समितिमें हल नहीं हो सकते। सेवा-सहकारी समिति या सहकारी खेतीका प्रश्न ऐसा है, जिस पर ग्राम-विकासके लक्ष्योंकी दृष्टिसे विचार करना चाहिये। नीचे सेवा-सहकारी समितिकी मर्यादाओं तथा सहकारी खेतीके स्पष्ट लाभोंकी चर्चा संक्षेपमें की जाती है।

सामाजिक सेवाओंकी व्यवस्था

कार्यक्षेत्रका विस्तार जब खास तौर पर कुछ गावों तक पहुँचा हो, तब सदस्योंकी ऐच्छिक आर्थिक सहायताके बल पर स्वास्थ्य धादिकी सेवाओंकी स्थायी व्यवस्था कर सके ऐसी सेवा-सहकारी समिति खड़ी नहीं की जा सकती।

(१) ऐसी योजनाओंके लिए सहकारी खेती-समितियोंके द्वारा सफलतापूर्वक धन प्राप्त किया जा सकता है। इजराइलके अनुभवोंसे यह पता चला है कि सहकारी खेती-समितियोंमें ऐसी सेवाओंकी व्यवस्था अच्छी तरह की जा सकती है। यह व्यवस्था सेवा-सहकारी समितियों द्वारा नहीं की जा सकती।

(२) सेवा-सहकारी समितियोंमें उनके सदस्य ही इन सेवाओंका लाभ उठा सकते हैं। सहकारी खेती-मंडलियोंमें स्वास्थ्य, शिक्षा वगैरा सामाजिक सेवाओंके लिए अलग रकम रखी जाती है, इसलिए गरीबसे गरीब आदमी भी उनका लाभ उठा सकता है। इस प्रकार सहकारी खेती-मार्मिनि सेवा-सहकारी समितिके लाभोको व्यापक बनाती है।

सहकारी खेतीके स्पष्ट लाभ

सक्षेपमें लाभ इस प्रकार है :

१. साधन-संपत्तिका संपूर्ण उपयोग

(१) अधिक पूजी लगानेकी संभावना।

(२) मानव-शक्तिके साथ दूसरी बेकार पड़ी हुई साधन-सम्पत्तिका पूर्ण उपयोग।

(३) सम्पत्ति तथा साधनोकी किफायतशारी और इस कारणसे बाहरके पैसे लानेकी अधिक शक्ति।

(४) वैयक्तिक किसानके धजाय सहकारी खेती-समितिके कर्ज बसूल करना आसान होगा। इससे पैसे उधार लेनेकी शक्ति बड़ेगी।

(५) फमलोकी योजना बनाई जा सकती है, जिससे जमीनका ज्यादा अच्छा उपयोग हो सकता है।

(६) जमीनको समतल बनाना, पाल बाधना, सिंचाईकी व्यवस्था करना — आदि जमीन-सुधारके कदम अच्छी तरह उठाये जा सकते हैं।

(७) सहकारी खेतीसे पशु-पालनका विकास सफलतापूर्वक किया जा सकता है और जमीन परसे पशुओका बोझ घटाया जा सकता है। सहकारी खेतीसे जमीनके छोटे छोटे टुकड़ोकी समस्या भी हल की जा सकती है। जमीनके टुकड़ोको एकसाथ जोड देनेसे उत्पादन भी बड़ेगा।

(८) सहकारी खेती छिपी हुई बेकारीको प्रकाशमें लाती है तथा अतिरिक्त मानव-शक्तिको मुक्त करती है, जिसे खेतीसे बाहरके क्षेत्रोंमें उत्पादक कार्योंमें लगाया जा सकता है। इस प्रकार सहकारी खेतीसे

केवल खेतीका ही उत्पादन नहीं बढ़ता, परन्तु गावका कुल उत्पादन भी बढ़ता है।

(९) इसमें थोकबद खरीद-विक्रीकी अधिक सभावना रहती है। और इन कारणसे खेतीके उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादनके भावोंके बीच समानता स्थापित की जा सकती है।

(१०) फमलके विगड जानेसे जो घाटा होता है, वह सब सदस्योंमें समान रूपमें बट जाता है। किसी एक सदस्यको अकेले ही घाटा नहीं उठाना पडता। इस तरह मानो सहकारी खेती फसलो तथा पशुओंके बीमेका प्रबन्ध करती है।

२. रोजी और उद्योग-धंधोंकी रचना

(१) केवल सहकारी खेतीमें ही ग्राम-अर्धतन्त्रको विविधतापूर्ण बनाना तथा अनेक उद्योग-धंधोंकी रचना करना सम्भव है।

(२) साधनोंके समुचित और सोच-विचार कर किये जानेवाले उपयोग द्वारा उत्पादनके अधिक कार्यक्रम हाथमें लिये जा सकते हैं। इसके फलस्वरूप रोजीके अवसर बढ़ सकते हैं और शक्तिशाली नौजवानोंके लिए विशिष्ट कार्योंकी व्यवस्था की जा सकती है।

(३) सहकारी खेतीके फलस्वरूप ही गावके लोग अपने समयका उचित उपयोग कर सकते हैं।

३. सामाजिक सुमेल

(१) सधुक्न खेतीसे कोर्ट-कचहरीके मुकदमे कम होंगे और सामाजिक सवादिना तथा सुमेल बढ़ेगा। आज गावके झगडो तथा सघर्षोंके कारण निम्नलिखित हैं

- (क) सामाजिक असमानता।
- (ख) गुणोंकी उपेक्षा।
- (ग) आर्थिक असमानता तथा सम्पत्तिकी प्रतिष्ठा।
- (घ) निश्चित रोजीके प्रबन्धका अभाव।
- (ङ) सामाजिक और आर्थिक सेवाओंका अभाव।
- (च) जमीन-सम्बन्धी झगडे।

सहकारी खेती इनमें से कुछ कारण दूर करनेमें मदद कर सकती है और गावके लोगोमें सुमेलकी हवा फैला सकती है।

(२) सेवा-सहकारी समितियोंमें व्यक्तिगत हितों पर ही भार दिया जाता है। सहकारी खेतीमें वर्गीय हितोंके अधिक अच्छे सुमेलकी संभावना है। सम्पत्ति या मिल्कियतके सम्बन्ध शायद बदले न जा सकें, परन्तु छोटे किसान और भूमिहीन किसान सहकारी समितिमें जुड़े तो उनके भीतर आत्म-विश्वास पैदा होगा, क्योंकि उन्हें भी बड़े किसानोंके जितना ही मतदानका अधिकार मिलेगा।

(३) बेजमीन किसान तथा जमीन-मालिक दोनोंकी आयमें वृद्धि होनेसे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

(४) सहकारी खेतीसे मिल्कियतके बदले गुणोंको प्रतिष्ठा मिलेगी। योग्यता हो तो छोटे किसान या खेत-भ्रजदूर भी सहकारी समितिका प्रबन्ध चला सकते हैं।

(५) सहकारी खेती-समितिमें अत्योदय तथा सामाजिक सुरक्षितताके खर्चकी व्यवस्था की जा सकती है।

(६) सहकारी खेती ग्राम-अर्थतंत्रका विकास करके दोनों वर्गोंकी शक्तिरा उपयोग कर सकती है। इसके फलस्वरूप गावकी तगदिली और मनमुटाव घटेगे।

कार्यक्षम औजार

स्निगन्मूयमयत्नलम्पमशन धानामदृक्कल्पितम् ।

व्याख्याना, पशवस्तृणाकुरमुज सृष्टा स्वलीसायिन ॥

समारार्णवलघनक्षमधिया वृत्ति कृता सा नृणाम् ।

यामन्वेपथता प्रथान्ति सतत सर्वे समाप्ति गुणा ॥

भगवानने सापके लिए ऐसा आहार निश्चित किया है, जो आसानीसे मिल सके और उस आहारके लिए उसे हिंसा न करना पड़े। पशुओंको भगवानने घास-चारा खानेवाले बना दिया है। पशु जमीन पर मोनेके आदी होने हैं। दोनोंके लिए भगवानने ऐसा सरल जीवन बना दिया है। यह जीवन उनको बुद्धिके अनुरूप है। परन्तु मनुष्यके लिए, जिसमें जीवन-सागर पार करनेकी शक्ति है भगवानने भोजन प्राप्त करना इतना कठिन बना दिया है कि उसके समस्त गुण भोजन प्राप्त करनेमें समाप्त हो जाते हैं।

मनुष्य युगोंसे अपने अस्तित्वके सवर्षको हलका बनानेका प्रयत्न करता ही आया है। अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करनेमें ही उसकी सारी शक्ति खर्च न हो जाय, इसके लिए वह यथासम्भव अधिकसे अधिक मार्गों तथा साधनोंकी शोध करता ही रहा है। उसने खेतीके विज्ञानका विकास करके अधिक अनाज उत्पन्न करनेमें कुदरतकी सहायता की है। उसी प्रकार उसने अपने हितके लिए पशु-पालनके उद्योगका भी विकास किया है। उसने सग्रहकी पद्धति खोज निकाली, जिससे अधिक उत्पादनका उपयोग अनाजकी तगीके समय किया जा सके। उसने स्थानीय तगीको दूर करनेके लिए अतिरिक्त उत्पादनकी अदला-बदलीकी व्यवस्था भी कर दी है। सरदी-गरमी-बरसानसे अपना रक्षण करनेके लिए उमने बपड़ा बनाने तथा मकान बाधनेकी कला सीख ली है। उमने स्वास्थ्यकी रक्षा तथा रोगोंसे अपनेको बचानेके लिए चिन्तना-

शास्त्रका विकास किया है। बड़ी मेहनतसे बचनेके लिए उमने तरह तरहके औजारों और साधनोंकी खोज की है। सशोपमे, मनुष्यने जीवनके सारे पहलुओंका विज्ञान विकसित करनेका तथा अपने हितके लिए उसका उपयोग करनेका प्रयास किया है। अब अपनी घुनियादी जरूरतें पूरी करनेके लिए उसे अपनी ममूची शक्ति खर्च कर डालनेकी जरूरत नहीं रह गई है। अब वह जीवनकी उच्च सिद्धियोंके लिए अपना समय और शक्ति बचा सकता है। युगोरे इतिहासका अध्ययन करनेसे पता चलता है कि औजारों तथा कार्य-पद्धतिका सुधार मानव-संस्कृतिके विकासकी एक निरन्तर प्रक्रिया बन गई है। सर्वप्रथम काष्ठयुग आया, फिर प्रस्तर-युग, फिर धातुयुग, फिर विद्युत-युग और अब अणुयुग आया है। प्रत्येक युगमें मनुष्यने अपने औजारों तथा कार्य-पद्धतियोंमें सुधार किया है, जिससे उसका बोझ हलका हुआ है। इसी तरह, वह कामके लिए काम नहीं, परन्तु शक्तिके विकासके लिए कामकी परिस्थिति उत्पन्न कर सका है। विज्ञानका विकास होनेसे आज केवल शारीरिक जरूरतें पूरी करनेके लिए ही जीवनको खपा डालनेका भय नहीं रहा है। मनुष्यकी सांस्कृतिक उन्नतिके लिए विज्ञान उसे हर प्रकारकी मदद कर सकता है।

विज्ञान दुधारी तलवार है

विज्ञानसे मानव-जातिको लाभ हुआ है, फिर भी विज्ञान दुधारी तलवार साबित हुआ है। विज्ञानका असावधानीसे उपयोग करनेके कारण मानव-जातिको नुकसान पहुंचा है। जब तक 'सबसे योग्य व्यक्तिको ही जीनेका अधिकार है' वाला सिद्धान्त अस्तित्वमें रहेगा, तब तक विज्ञानका उपयोग विनाशक साधनके रूपमें ही होगा और अधिकाधिक विनाशक साधनोंका जन्म होगा। सच पूछा जाय तो विज्ञानका विकास होनेसे तथा उसके फलस्वरूप मनुष्यका जीवन-सधर्ष हलका हो जानेसे जीवनकी प्रतिस्पर्धा घटनी चाहिये और धीरे धीरे उसका अन्त होना चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि जीवनकी जरूरतोंका स्थान धनलोभ, दम और सत्तालोभने ले लिया है। इसलिए

जो लोग बलवान हैं वे विज्ञानका उपयोग अपनी जरूरतें पूरी करनेके लिए नहीं करते, परन्तु दूसरोका शोषण करके अपने पास धनका सग्रह बढ़ानेके लिए करते हैं। इसीलिए उन्हें निर्बलोका शोषण करना पड़ता है। इस तरह विज्ञान और यंत्रोने कुदरतके खिलाफ चलनेवाले मनुष्यके सघर्षको वर्ग-सघर्षमें बदल डाला है। यह सघर्ष आर्थिक और राजनीतिक सत्ताके केन्द्रीकरणमें सहायक होता है, इसलिए समाजके सामने स्थायी रूपसे वर्ग-सघर्षकी समस्या खड़ी हो गई है।

विज्ञानकी प्रगतिके परिणाम सदा स्वागतके योग्य होने चाहिये। परन्तु अतमे ये परिणाम साध्यके लिए साधनका काम करनेवाले हैं; वे स्वयं साध्य नहीं हैं। अन्य साधनोकी तरह उनका भी भले या बुरे हेतुके लिए उपयोग हो सकता है।

विद्या विवादाय धन मदाय,
शक्ति परेपा परपीडनाय।
खलस्य साधो. विपरीतमेतत्,
ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥

दुष्ट मनुष्य अपने ज्ञानका उपयोग वाक्युद्धके लिए, अपनी संपत्तिका उपयोग अभिमानका पोषण करनेके लिए तथा अपनी वीरताका उपयोग दूसरोके शोषणके लिए करता है। बुद्धिमान और भला मनुष्य इससे उलटा ही करता है। वह अपने ज्ञानका प्रसार करता है, अपनी संपत्तिका उपयोग दानमें करता है और अपनी वीरताका उपयोग दूसरोकी रक्षाके लिए करता है।

वंशक, साधनोका बहुत बड़ा महत्त्व है। परन्तु जिस उद्देश्यके लिए उनका उपयोग किया जाता है उसका महत्त्व साधनोसे भी ज्यादा है। यंत्रोका अधिकतर दुरुपयोग होनेके कारण उनके खिलाफ उतनी ही तीव्र प्रतिक्रिया समाजमें उठ खड़ी हुई है। इसी तरह यंत्रोके फलस्वरूप पूजीवादकी प्रतिक्रिया समाजवादके रूपमें हमारे सामने आई। आरभमें यंत्रोके उपयोगका शोषणकी दृष्टिसे विरोध किया जाता था। अब उनके उपयोगका विरोध अधिक प्रौढ और परिपक्व दृष्टिसे किया

जाता है। यंत्रोंके कारण आर्थिक और राजनीतिक सत्ताका केन्द्रीकरण होता है तथा ऐसा जटिल समाज उत्पन्न होता है, जिसमें व्यक्तियोंका व्यक्तिमत्त्व नष्ट हो जाता है। आज इसी दृष्टिसे यंत्रोंका विरोध किया जाता है। आजकलकी इन प्रतिक्रियाओंके फलस्वरूप विवेन्द्रीकरणका आन्दोलन खड़ा हुआ है। समाजवाद तथा विकेन्द्रीकरण दोनों मानव-सेवाके लिए विज्ञानका उपयोग करना चाहते हैं; परन्तु साथ ही उनके दुरुपयोगसे मानव-जातिको बचाना चाहते हैं। इस मामलेमें विकेन्द्रीकरण समाजवादसे एक कदम आगे है। उसका ध्येय विकेन्द्रित अर्थ-रचनाके अनुरूप छोटे छोटे यंत्र पैदा करना है। अब विकेन्द्रीकरणके लिए समय पक गया है।

मनुष्यको यंत्रोंका स्वामी बनना चाहिये

दुधारी तलवार जैसे विज्ञानके उपयोगके बारेमें गांधीजीका सिद्धान्त यह था 'अगर यंत्रोंके दुरुपयोगसे बचना हो तो मनुष्यको यंत्रका स्वामी बनना चाहिये।' इस सिद्धान्तका अर्थ हम समझ लें।

१. यंत्रसे मानवका श्रम कम होना चाहिये

गांधीजी हर बार सिंगरकी सीनेकी मशीनका प्रसिद्ध उदाहरण देते थे। मि० सिंगर अपनी पत्नीके प्रेमके कारण तथा उसकी मेहनत कम करनेकी आतुरताके कारण इस मशीनकी शोध करनेके लिए ललचाये थे। दूसरा उदाहरण साइकलका है। उससे भी मनुष्यका श्रम हलका होता है। ऐसे अनेक उदाहरण यहाँ दिये जा सकते हैं। खेतोंमें, कारखानोंमें और घरोंमें ऐसे यंत्र बाखिल किये जा सकते हैं, जिनसे मनुष्यका श्रम कम हो। ऐसे साधनोंका उपयोग उत्पादक कार्य-क्षमता बढ़ानेके लिए भी किया जा सकता है, ताकि उसे जीवन-वेतन मिल सके। उत्पादनकी गुणवत्ता बढ़ानेके लिए भी कार्यक्षम साधनोंका उपयोग करनेसे लाभ होगा। स्वास्थ्यके खयालसे ऊन और रई पीजनेमें कार्यक्षम यंत्रोंका उपयोग करना चाहिये। साधनोंमें सुधार करनेके लिए ये सब उचित कारण हैं।

२. यंत्रका कानून

धारीगरको जीवन-वेतन मिल सके तथा वह अपने समयका उचित उपयोग कर सके, इसके लिए उसकी उत्पादन-क्षमता बढ़ानी चाहिये। इस प्रकार कार्य-क्षमता मनुष्यके सुख और सतोपका लक्ष्य सिद्ध करनेका साधन है। परन्तु यदि साध्यकी अपेक्षा सुघरे हुए साधनका महत्त्व बढ जाय, तो जिस हेतुके लिए साधनका उपयोग किया जाता है वह हेतु ही नष्ट हो जाय। नतीजा यह होगा कि यत्र मनुष्यका स्वामी बन जायगा। यह बात एक पुरानी कथामे बच्छी तरह दिखाई गई है। एक आदमी अमर्याद भोग-विनाश भोगनेकी इच्छामे एक योगीके पास गया। योगीसे उसने ऐसा करदान मागा जिमसे उसको यह साध पूरा हो। इसके लिए योगीने उसे एक गीतान दिया और यह चेतावनी दी कि तुझे गीतानको गनन बाम देना पड़ेगा, नहीं तो गीतान तुझे ही खा जायगा। इस आदमीका पूरा भरोगा था कि वह गीतानकी शक्तिका पूरा पूरा उपयोग कर सकेगा। योगीके आशीर्वाद लेकर वह गीतानके साथ अपने घर गया और उसके मारफत अपनी इच्छायें पूरी करने लगा। गीतानने तुरन्त ही उसकी इच्छित वस्तुएं उनक सामने रखना शुरू कर दिया। बादमें एना समय आया जब वह आदमी आगे कुछ विचार ही नहीं कर पाया। उसे मूर्खता ही नहीं था कि अब क्या वस्तुएं गीतानमे मगार्द जाय। गीतानने उसके नाको दम कर दिया। यह बढ़ा पधराया और फिर योगीके पास भागा भागा गया। योगीमे अपना जीवन बचानेकी प्रार्थना उगने की। योगीने उसे दो मार्ग बताये या तो तुम गीतानको वापिस भेज दो या एक गन्ना गाडकर उग पर गीतानको चढ़ने-उतारनेकी आज्ञा दो। किसी भी प्रकार तुम गीतानकी भेवागे मुक्त हो जाओ।

बड़े पैमानेके यंत्रोद्योग उत्पादनकी कार्य-क्षमता को बढ़ाने हेतु, परन्तु दृष्ट कर के गीतान जैसे बन जाने हे। उन पर मनुष्यका अधिकार रहनेके कारण के मनुष्य पर अपना आधिपत्य जमा लेने हे। एना हीने पर उत्पादनकी गतिता आपार मनुष्य पर नहीं रहना। उगकी गति पर नियंत्रण यत्रका हो जाता है। अमीन, साधन, व्यवस्था

तथा प्रचारका खर्च पहलेसे ही तय हो चुका होता है। अब उत्पादन इतनी मात्रामे होना चाहिये कि ये खर्च पूरे हो सकें। यत्रका आकार तय करनेवाली दूसरी बात यह है कि यदि कार्यक्रम रूपमें विफायतशारीसे उत्पादन करना हो, तो यत्रकी शक्तिवा पूरा उपयोग होना चाहिये। इस प्रकार उत्पादनकी मात्रा भी पहलेसे ही तय कर ली जाती है। इस प्रकारका उत्पादन वास्तविक जरूरतें पूरी करनेके लिए नहीं किया जाता, परन्तु केवल उत्पादनके लिए ही किया जाता है। ऐसी स्थितिमें उत्पादन जरूरतोंका अनुसरण नहीं करता, परन्तु जरूरतें उत्पादनका अनुसरण करती हैं। ये जरूरतें तैयार माल बाजारमें घुसा कर खड़ी करनी पड़ती है। बड़े पैमानेके उद्योगोंकी इस प्रक्रियाके कारण तथा बाजारके सघर्षोंके परिणामस्वरूप दुनियामें आर्थिक साम्राज्य-शाहीका जन्म हुआ है।

यदि मनुष्यको यत्रका स्वामी बनना हो तो निश्चित क्षेत्रके लोगोंकी वास्तविक जरूरतें पूरी करनेके लिए उत्पादन करनेकी व्यवस्था होनी चाहिये। यदि नई जरूरतें पैदा हो तो उनके धारेमें वैज्ञानिक जीवन-स्तरकी दृष्टिसे विचार होना चाहिये, न कि गैर-जरूरी चीजें ग्राहकों पर लादनेके लिए। इस प्रकारका उत्पादन क्षेत्रीय या प्रादेशिक आयोजनके आधार पर होना चाहिये। उस क्षेत्रकी जरूरतोंका अध्ययन किया जाना चाहिये। किन्तु केवल भौतिक जरूरतोंके आधार पर ही उत्पादनका प्रकार तय नहीं होना चाहिये। भौतिक उत्पादन केवल बाहरी मूल्य प्रदान करता है। व्यक्तित्वके विकासका अवसर मिलना यह मनुष्यकी अधिक बड़ी जरूरत है। ऐसे अवसर प्राप्त करनेका मनुष्यका जन्मसिद्ध अधिकार है। जिस उत्पादनसे मनुष्यकी केवल भौतिक जरूरतें पूरी हो, लेकिन व्यक्तित्वके विकासके अवसर उससे छीन लिये जाय, वह उत्पादन मनुष्यको सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है। इन कारणोंसे जरूरतोंका विचार रोजीके अवसरोंकी दृष्टिसे भी किया जाना चाहिये। उत्पादनके साधनोंसे मनुष्यके व्यक्तित्वका विकास होना चाहिये तथा रोजीके अवसर बढ़ने चाहिये।

३. सच्चे अतिरिक्त उत्पादनका विनिमय

क्षेत्रीय आयोजन कोई जड़ नीति नहीं है, परन्तु एक बुद्धियुक्त विचार है। उसमें क्षेत्रकी सम्पत्तिके पूर्ण उपयोग तथा पूर्ण विकासका और विभिन्न हितोके बीच सतुलन स्थापित करनेकी दृष्टिसे उत्पादनकी व्यवस्था करनेका ध्येय सामने रखा जाता है। उसमें अर्थतन्त्रके विकासके लिए यत्रका उपयोग करनेकी कसौटी हमारे हाथमें आती है। उसमें एक ओर क्षेत्रके कुल साधनोका अन्दाज निकाला जाता है और दूसरी ओर रोजी तथा उपभोगकी वस्तुओका अंदाज निकाला जाता है। और इन दोनों बातोका मेल सधे इस दृष्टिसे उत्पादनके यत्रोमें आवश्यक सुधार मुझाये जाते हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय आयोजन अलग अलग क्षेत्रमें यत्रकी मर्यादा निश्चिन करके उसके सुधारकी सभावना उत्पन्न करता है। इस सभावनाका सारा आधार उत्पादनको क्षेत्रकी जरूरतो तक ही मर्यादित बनाने पर रहता है। ऐसी मर्यादा रखना जरूरी है, क्योंकि वैसे ही दूसरे क्षेत्रोके सामने उसे उदाहरण प्रस्तुत करना है। यदि एक क्षेत्र भौतिक शक्तिका उपयोग करके अधिक उत्पादन करे तो दूसरे क्षेत्र भी उसका अनुसरण करेंगे और इस तरह विभिन्न क्षेत्रोके बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा खड़ी हो जायगी। जब तक उत्पादनको किसी क्षेत्रकी जरूरतो तक मर्यादित रखा जायगा, तब तक मनुष्य यत्रका स्वामी रहेगा। यत्र जब मनुष्य पर सवार हो जाता है, तब मारी परिस्थिति बदल जाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि एक क्षेत्रको दूसरे क्षेत्रके साथ कोई सवध ही नहीं रखना चाहिये। मूल प्रश्न तो उत्पादनकी पद्धति निश्चित करनेका है। क्षेत्रोके बीच वस्तुओका विनिमय तो होगा, परन्तु वह विनिमय जिस क्षेत्रने मन्वमुच अतिरिक्त माल पैदा किया है और जिस क्षेत्रमें सचमुच उस मालकी तगी है ऐसे दो क्षेत्रोके बीच होना चाहिये। दूसरे शब्दोमें, विनिमय विवेकपूर्वक होना चाहिये। स्थानीय परिस्थितियोमें आवश्यक हो ऐसी कसौटी पैदा करनेके लिए उत्पादन-पद्धतिमें थोडा-बहुत फेरबदल करना पड़ेगा, परन्तु यदि ध्येय स्पष्ट हो तो इस मबंधमें बहुत मामूली फेरबदल ही होंगे। यदि क्षेत्रके सब लोगोको क्षेत्रीय आयोजनके उद्देश्य भविष्यकी

कलना करा दी जाय, तो क्षेत्रीय आयोजनका अमल अधिक सफलतापूर्वक हो सकता है।

४. समग्र दृष्टि

यदि मनुष्यको यंत्रका स्वामी रहना ही, तो यंत्रके चुनावमें तथा उसके उपयोगमें उसे समग्र दृष्टि अपनानी होगी। क्षेत्रकी जरूरतोंकी दृष्टिमें धनोका चुनाव इस ढंगसे होना चाहिये कि उत्पादनकी कार्यक्षमता और सब लोगोंको आरम्भभिव्यक्तिके अवसरोंकी मुलभता— इन दोनोंमें सन्तुलन बना रहे। इसका अर्थ यह हुआ कि उत्पादनकी कार्यक्षमताका समुल अन्य सामाजिक मूल्योंके साथ बैठाना चाहिये। उदाहरणके लिए, खेतीकी अर्थ-रचना मजबूत बने तथा क्षेत्रमें सबको रोजी मिले, इस खयालसे किसी क्षेत्रमें शक्करका कारखाना खोलनेके बजाय खाडसारी बनाना शायद ज्यादा पसंद करने लायक माना जायगा। जिस तेल-मिलमें खलीमें तेलकी एक बूद भी धाकी न रहती हो ऐसी तेल-मिल खोलनेसे खली पर निभनेवाले पशुओंको जरूरी पोषक खुराक नहीं मिलेगी। इसलिए पशुओं तथा खेतीकी दृष्टिसे मिलसे कम कार्यक्षम साधन तेलघानीका चुनाव करना होगा। धानीको पसंद करनेसे मनुष्य तथा पशु दोनोंके हित सुरक्षित रहेंगे। उक्त प्रकारकी मिलका चुनाव करनेसे मनुष्य इस सयुक्त हितका लक्ष्य भूल जाता है और कार्यक्षमताका भूत उस पर सवार हो जाता है। हमारा सुझाव ऐसा नहीं है कि यंत्रोंमें सुधार न किया जाय। स्थानीय परिस्थितियोंको देखकर यंत्रोंमें सुधार किया ही जाना चाहिये। हमारा आशय केवल इतना ही है कि जब तक सारी धातोंका विचार करके काम किया जाता है, तभी तक मनुष्य यंत्रका स्वामी रह सकता है। जिस क्षण यंत्र मनुष्य पर सवार हो जाता है और उसके लिए एकांगी दृष्टिसे सोचना या अधिक तेज उत्पादन करना अनिवार्य बना देता है, उसी क्षण परिस्थिति बिलकुल उलटी हो जाती है।

५. सामाजिक भावना

क्षेत्र-स्थावलम्बनकी मर्यादामें रहकर जहां कार्यक्षम यंत्रोका उपयोग मह्वारी पद्धतिसे किया जाना है, वहां भी उनके दुरुपयोगका भय तों रहना ही है। जिन सामाजिक नेताओंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थका त्याग करके उदात्त स्वार्थ सिद्ध किया है, यंत्रोके उपयोगकी जिम्मेदारी निर्भयतापूर्वक केवल उनके ही हाथोंमें सौंपी जा सकती है। यंत्रके उपयोगके लिए जितनी विकसित बुद्धि आवश्यक है, उतना ही उदार हृदय भी आवश्यक है। दूसरे शब्दोंमें, उदार हृदयवाले नेताओंके अभावमें यंत्रोका उपयोग करनेसे वही परिणाम आनेकी संभावना रहती है, जो उस फोड़ेको चाबुक मारनेसे आ सकता है जिस पर छोटा बच्चा सवार हो। छोटे बच्चेकी जो दशा हो सकती है वही दशा अविकसित हृदयवाले मनुष्यकी हो सकती है। दोनोंमें से एकमें भी अपने साधन पर नियंत्रण रखनेकी शक्ति नहीं होती। यंत्रोके विकासके साथ मनुष्यकी भावनाका भी विकास होना चाहिये। केवल उदार और महान व्यक्ति ही यंत्रका उपयोग समाजके भलेके लिए कर सकता है। ऐसी उच्च भावनाके विकासके बिना केवल क्षेत्रीय आयोजन और मह्वारी क्षेत्रकी रचना लोभी आदर्शियोंके व्यक्तिगत स्वार्थ तथा परिग्रह-वृत्ति पर नियंत्रण नहीं रख सकेंगे। परन्तु केवल शक्तिशाली व्यक्तिपोंकी भावनाओंका विकास होना ही पर्याप्त नहीं है। संपूर्ण क्षेत्रके लोगोंको आग्रह बनना होगा, ताकि वे लोभी आदर्शियोंकी महत्वाकांक्षाओं पर और उनके कार्यों पर निगरानी और आवश्यक अंकुश रख सकें। शुभ भावना और अच्छी समाज-व्यवस्था दोनों मिल जानी हैं तभी यंत्रों की विकाश शक्ति नहीं होना और यंत्र मानवांकी अहिंसक सेवा कर सकता है। इस विचारकी विनोबाजीने नीचेके दो सूत्रोंमें सन्दर्भ दिया है

१. हिंसा + विज्ञान = गर्भनाश।

२. अहिंसा + विज्ञान = गर्वोदय।

विनोबाजीके कथनानुसार केवल अहिंसा पर रक्षा हुआ समाज ही इस विज्ञान-युगमें टिक सकता है। केवल अहिंसाकी ही दिनोंदिन विकास करनेवाले विज्ञानका उपयोग करनेका अधिकार है।

६ आत्म-विकासका ध्येय

हम पहले ही प्रकरणमें देख चुके हैं कि अमर्यादित विलासका ध्येय मनुष्यके विकासको कैसे रोक देता है। ऐसे ध्येयसे यत्र मनुष्यका स्वामी बन जाता है। यदि मनुष्य अपनी जरूरतोंको मर्यादित बना ले, तो वह यत्र पर अकुशल रह सकता है। मनुष्यका समाजके प्रति भी कर्तव्य है और स्वयं अपने प्रति भी है। मनुष्यका केवल ऐसा सामाजिक प्राणी बनना ही काफी नहीं है जो किसीका शोषण न करे। मनुष्यके नाने उसे आदर्शोंकी और महानताकी साधना करनी चाहिये। इमनिष्ठ यत्र पर सामाजिक नियंत्रण होना ही काफी नहीं माना जायगा। परन्तु व्यक्तिके उच्च आदर्शोंकी दृष्टिसे भी यंत्र पर नियंत्रण रहना आवश्यक है। 'सादा जीवन और उच्च विचार' की कला हस्तगत करनेसे मनुष्यका विकास होता है। भोग-विलासमें रचेपचे रहनेसे नहीं, किन्तु स्वनियंत्रित उपभोगसे यह कला हस्तगत की जा सकती है। यह कला मिट्टी हानेमें ही मनुष्यका धम हलका करनेके लिए यंत्रकी सेवा ली जा सकती है।

इस प्रकार यत्रकी मददमें मनुष्यका जीवन-सधर्म कम होना चाहिये। उमका परिणाम वर्ग-सधर्ममें नहीं आना चाहिये। अथवा सारे मानव भौतिक जीवनके शिकार नहीं बनने चाहिये।

विकासशील अर्थ-रचना

१. यत्रानिष्ठ जीवन-स्तरका विचार

जीवन स्तरका विचार अर्वाचीन है। यह विचार यत्रोरे विकासार्थे फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। यत्राक विकासमें मनुष्यकी भौतिक सुविधायें बढ़ती हैं। यत्र के समय तक ऊँच जीवन-स्तरको जीवने केवल भौतिक सुविधाओं का ही साधन माना जाता रहा। अर्थात् उच्च जीवन-स्तरका अर्थ उच्च भोग और अधिक जम्हाने किया जाता था। जीवन-स्तरका अर्थ नाम केवल भोग पर उमम स्पष्टता भी आई। मनुष्यकी प्रगति के साथ जीवन के स्तर का स्तर बढ़ गया। अतः ऊँचे जीवन-स्तरका अर्थ उच्च भौतिक सुविधा न प्राप्त कर सकने के अर्थ में माना गया और

आध्यात्मिक स्तरके साथ जोड़ा गया। अनुभवमें यह पता चला कि अगर मनुष्यकी सपूर्ण शक्ति जीवनका भौतिक स्तर ऊंचा उठानेमें ही खर्च हो जाय, तो मानसिक और आध्यात्मिक स्तरको ऊंचा उठानेके लिए उम्रके पान कोई शक्ति बाकी नहीं रहती। इसलिए भौतिक स्तरको ऐसे एक साधनके रूपमें मानना चाहिये, जो मनुष्यकी मानसिक और आध्यात्मिक उन्नतिके लिए उसकी शक्तिको बचाता है। 'शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम्' — शरीर धर्म अर्थात् मनुष्यके व्यक्तित्वके विकासका प्रथम साधन है। इस विचारमें से वैज्ञानिक जीवन-स्तरका विचार विकसित हुआ है।

जिन देशोंका विकास नहीं हुआ है, उन देशोंमें कुदरतके साथ चरनेवाला सघर्ष अभी खतम नहीं हुआ है। ऐसे कितने ही अर्ध-विकसित देश हैं जहां इस दिशामें कुछ अंश तक सफलता मिली है। परन्तु अभी उन्हें जीवनके उच्चतर स्तरका विकास साधना बाकी है। जिन देशोंमें जीवनकी जरूरतें बढ़ती हैं वहां रोजीके अवसर भी बढ़ते हैं। इससे उन देशके विकासकी कल्पना की जा सकती है। जिन देशोंमें विकास नहीं होता उन देशोंमें रोजीके अवसर बहुत ही कम होते हैं। अर्ध-विकसित देशोंमें मुख्यतः लोगोकी वृत्तियादी जरूरतें पूरी करनेके लिए रोजीके अवसर पैदा होते हैं। जिन देशोंमें जीवनके उच्चतर स्तरका भी विकास हो गया है, वही अधिक मात्रामें और उच्च प्रकारको रोजीके अवसर सृष्टे होने हैं।

रोजीके अवसरोंकी सख्या और उनकी गुणवत्ता समाजकी जरूरतों पर आधार रखनी है। सन्तुलित आहारकी जरूरतें पैदा होने पर मधन खेतीके अवसर पैदा होने हैं। समाजकी सन्तुलित जरूरतोंके फलस्वरूप समाजमें धधोकी बुद्धियुक्त रचना जन्म लेती है। और, मनुष्यके सन्तुलित विकासका प्रतिबिम्ब काम-धंधों और सामाजिक सेवाओं पर पड़ता है। प्रत्येक क्षेत्रमें दोनों बाजुओंका — जरूरतों और रोजीका मेल मिलना चाहिये। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि रोजीके अवसर बढ़ने न हों, तो जीवनका स्तर ऊंचा उठाकर वे अवसर बढ़ाने चाहिये। अतः दोनों बाजुओंका मेल बैठानेके लिए दोनोंका सम्मान करना चाहिये।

जरूरतोंके पक्षमें क्या कमी रहती है, यह जाननेके लिए मनुष्यकी भौतिक तथा आध्यात्मिक सुविधाएँ बढ़ानेवाले वैज्ञानिक जीवन-स्तरकी दृष्टिसे अध्ययन होना चाहिये। ऐसे अध्ययनसे इस बातकी कल्पना होगी कि रोजीके अवसर कितने बढ़ाये जाने चाहिये।

हमारे गावोंके लिए यदि तात्कालिक कार्यक्रम बनाने हों, तो नीचेका जीवन-स्तर अपनाया जा सकता है। वर्तमान स्थिति तथा सूचित जीवन-स्तरके बीच रहनेवाले अन्तरका अध्ययन होना चाहिये और इस अन्तरको घटानेके कार्यक्रम तैयार किये जाने चाहिये।

क्रम	व्योरा	पाँच व्यक्तियोंके परिवारकी दैनिक जरूरतें	अनुमानित वार्षिक खर्च
	खुराक	औंस	रुपये
(क)	अनाज	८०	३००
	दाले	२०	५०
	दूध	६०	१८०
	शाक-भाजी	४०	२००
	तेल-घी	८	२५
	फल	२०	१००
	शक्कर-गुड	२०	२०
	मसाला	—	१००
(ख)	कपड़े	—	२००
(ग)	स्वास्थ्य	—	२५
(घ)	मकान	—	१७५
(ङ)	बीमा	—	५०
(च)	शिक्षा	—	५०
(छ)	आनंद-प्रमोद	—	१००
	कुल	—	१८००

२. खपन और उत्पादनको प्रोत्साहन देना

अभी तुरन्त तो लोगोंकी सच्ची जरूरतें पूरी करनेके लिए उत्पादनके कार्यक्रम बनाये जाने चाहिये। परन्तु लम्बी अवधिके आयोजनकी दृष्टिमें भी इस प्रश्न पर सोचा जाना चाहिये। केवल दैनिक जरूरतें पूरी करनेका ही ध्यान रखनेसे अर्थनत्रके स्थगित हो जानेकी सम्भावना है। स्थिर अर्थनत्रको गतिशील बनाना ही तो उसका विचार नई जरूरतोंके गर्भमें होना चाहिये। नीचे इस बातकी सूची दी गई है कि हमारे गावोंमें दैनिक जरूरतें कितनी खूटती हैं तथा नई जरूरतें कौन कौनसी पैदा की जानी चाहिये।

क्रम	व्योरा	खूटती जरूरतें	नई जरूरतें
(क)	अनाज	दूध शाक-भाजी फल	फल-संग्रह
(ख)	कपडे	जूते गद्दी, रजाई छाना साबुन और सिरका तेल	गरम कपडे कमीनेवाले कपडे परदे
(ग)	स्वास्थ्य	दवायें	मुविधायें
(घ)	मकान	पक्के मकान	पानीके निकालकी व्यवस्था बट्टाई फर्नीचर कचरेका डिब्बा कमरोकी ठंडा रखनेके साधन गैसप्लान्ट
(ङ)	सवारी		रास्ते मायकल
(च)	धीमा		जीवनका पशुप्राप्ति कमलोंका

- (छ) शिक्षा अक्षर-ज्ञानका प्रचार
स्टेशनरी तथा कागज
- (ज) आनन्द-प्रमोद खेलकूद (घरमें और
घरके बाहर) रम्यस्थान, फूलबाग, सर्गान,
रेडियो, चित्र, खिलौने

३. संपूर्ण रोजीका प्रदन

प्रत्येक अर्थतन्त्रमें ही उमके विकासकी सभावनाकी व्यवस्था होनी चाहिये। किसी भी समय वह स्थगित नहीं होना चाहिये। किसी भी परिस्थितिमें वह निचले स्तर पर स्थिर नहीं होना चाहिये। विशेषतः दिनोदिन अधिक विकसित होनेवाले विज्ञानके इस जमानेमें, जब नई प्रवृत्तिया तथा मनुष्यके लिए नई सेवाओंके क्षेत्र निरन्तर खुलते रहते हैं, ऐसी स्थगितता अनिवार्य है, यह तो केवल विचारहीन लोग ही स्वीकार कर सकते हैं। विज्ञानके नये आविष्कारोंकी वजहसे रोजीके नये अवसर उत्पन्न होते ही रहते हैं। यह ऐसी परिस्थिति है जिसमें मनुष्यको स्थिर अर्थ-रचनाकी दृष्टिसे सोचते हुए अर्थतन्त्रके विस्तारकी सभावनाओंकी कदर करनी होगी। यदि इस तरह इस विषय पर फिरसे विचार हो, तो रोजीका प्रदन नई सभावनाएँ पैदा करेगा। इसमें नया सतुलन बनाये रखकर कार्यक्षम औजारोंकी अपनाता सम्भव होगा। हर जगह यंत्रोंकी वजहसे इतनी ज्यादा कठिनाइया खड़ी हो गई हैं कि अब उनके बारेमें लोगोंके मनमें भय पैदा हो गया है। ये कठिनाइया जितनी यंत्रोंके सुधारकी सभावनाके अभावमें बाधक बनी, उससे ज्यादा आयोजनके अभावके कारण बाधक बनी। यंत्र-सुधारका सीधा परिणाम बेकारीके रूपमें आया है। ऐसा होनेका कारण इतना ही है कि यंत्र-सुधारका यह काम किसी प्रकारके आयोजन तथा किसी क्रमके बिना हुआ और बेकार बने हुए आदमियोंको उनके नसीब पर छोड़ दिया गया। उन्हें दूसरे धंधोंमें लगानेकी कोई योजना नहीं की गई। इस प्रकारकी अव्यवस्थित बेकारीमें तथा आयोजन अथवा हेतुपूर्वक उत्पन्न की जानेवाली बेकारीमें भेद है। हेतुपूर्वक उत्पन्न की जानेवाली बेकारीमें यंत्र-सुधारके कारण बेकार बननेवालोंको एक धंधेसे हटाकर दूसरे धंधोंमें लगा दिया जाता है। इस प्रकारके स्थलान्तर पर क्षेत्रीय

कामका उचित समय-पत्रक

रोजीका दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य है कार्यकरोके लिए उचित समय-पत्रकी व्यवस्था करना। रोजीकी सच्ची कीमत मनुष्यके व्यक्तित्वके विकासमें रहती है। इस कारण रोजी ऐसी न होनी चाहिये कि अधिक काम करनेमें ही मनुष्यकी सारी शक्ति खर्च हो जाय। रोजी ऐसी होनी चाहिये, जिसमें प्रतिदिन छह घंटे काम करके आदमी उतनी आय प्राप्त कर सके, जो वैज्ञानिक जीवन-स्तरके लिए आवश्यक हो। तभी वह जीवनके उच्च ध्येय सिद्ध करनेके लिए समय बचा सकता है। यदि कार्यकरको इस तरहके अवसर जीवनमें न मिलें, तो रोजीका मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। कामके औजारोंमें ऐसा सुधार करना चाहिये, जिनमें उचित समय तक काम करके इच्छित उत्पादन हो सके।

कामका गौरव

हमने इस बात पर अनेक तरहसे जोर दिया है कि परिस्थितियाँ ऐसी हानी चाहिये, जिनमें मनुष्यका विकास हो सके। यह तभी हो सकता है जब काम बेगार न बने और कार्यकरको तन्दुस्ती बिनाउनेवाली जोर शलकी प्रक्रियाओंमें न लगना पड़े। इस दृष्टिमें वैज्ञानिक प्रगतिका लाभ उठाकर कामका गौरव बढ़ाना चाहिये। ऊदानेवाले जोर गद कामोंमें आदमीको धराना हो, तो ऐसे काम शायक उदर चराम क्रिय जाने चाहिये।

राजीक र नीना लक्ष्य यह सूचित करने है कि ग्राम-अर्थव्यवस्था में यंत्रों का उपयोग करना चाहिये। यंत्रोंके उपयोगका अर्थ रोजीके अवसर घटाना नहीं जाता। उदाहरणके लिए, खेती-उद्योगमें यंत्र सधन नहीं रखकर अधिक रोजी खर्च करने हैं। ग्राम-अर्थव्यवस्था में यंत्रोंके लिए सन्तुष्टि तथा उद्योग में यंत्रोंके उपयोगमें बनाया गया है। उसमें हम चरको अर्थव्यवस्था में यंत्रोंके प्रवर्तितकरा अमुक मात्रामें विनाय यंत्रोंके उपयोग की गद है।

ग्राम-अर्थव्यवस्था में यंत्रोंके विनायका आवश्यक परिशिष्ट-४के आधारे-१ में दिया गया है। ग्राम-अर्थव्यवस्थाके गतिशील

बनानेके लिए तैयार किये हुए कार्यक्रमके आधार पर खेती तथा ग्रामोद्योगमें यंत्रोंका उपयोग करनेकी बात सोची गई है। ऐसा करनेमें इस बातका विशेष ध्यान रखा गया है कि गावकी कुल रोजी पर हानिकारक असर न हो।

परिशिष्ट-५ के कोष्ठक-१ में दस वर्षकी योजनाके पूर्व तथा योजनाके दस वर्षोंमें कितने मानव-बलका उपयोग किया गया, यह बताया गया है। दस वर्षकी योजना आरम्भ हुई उससे पूर्वके वर्षमें गावमें कितनी रोजी थी और योजनाके अंतमें कितनी रोजी बढ़ेगी, इसकी दिलचस्प तफसीलसे यह कल्पना आ जायगी कि नये यंत्रोंका उपयोग करनेसे अलग अलग क्षेत्रोंमें मानव-बलके उपयोग पर क्या असर हुआ है। पिछले चार वर्षोंमें, जब कमलपुरमें वार्षिक योजनाये बनाई जाती थी तथा उन पर अमल किया जाता था, रोजीकी मात्रामें स्थिर वृद्धि हुई है। इस समयमें खेती तथा पशु-पालनकी रोजीमें कोई खास बढ़-धट नहीं हुई। ग्रामोद्योग तथा दूसरे कामोंकी रोजीमें धीमी गतिमें वृद्धि हुई है। खेती तथा पशु-पालनकी रोजीमें कोई खास अन्तर न पडनेका कारण यह है कि इस समयमें खेती-उद्योगमें बड़े परिवर्तन नहीं किये गये। खेतीकी रोजीमें थोड़ी वृद्धि होनेकी जो आशा रखी गई थी, वह प्रतिकूल कुदरती परिस्थितियोंके कारण पूरी नहीं हुई। दूसरी ओर ग्रामोद्योग तथा दूसरी प्रवृत्तियोंकी रोजीमें, जिन पर कुदरती परिस्थितियोंका कोई खास प्रभाव नहीं पडता, योजनाके अमलके कारण वृद्धि हुई। ग्रामोद्योगमें खादी और गुड तथा खाडमारीके उद्योगोंका अच्छा विकास होनेसे रोजीकी वृद्धिमें इन उद्योगोंका सबसे बड़ा हाथ है। अन्य प्रवृत्तियोंमें श्रमदान तथा क्षेत्रके विकास-कार्यक्रममें वेतन पर रखे जानेवाले आदिमियोंके कारण रोजीमें वृद्धि हुई थी।

मानव-बलके उपयोगकी मात्रा १९५५-५६ में कुल उपलब्ध मानव-बलकी ६३.४ प्रतिशत थी, जो १९५६-५७ में बढ़कर ७८.३ प्रतिशत और १९५७-५८ में ९६.५ प्रतिशत हो गई। १९५८-५९ में रोजीकी मात्रा ८८.५ प्रतिशत रही और १९५९-६० में वह लगभग ९६.८ प्रतिशत हो जायगी, ऐसा अनुमान लगाया गया था। इस समयमें ग्रामो-

द्योगोमें काममें लिये गये मानव-बलको मात्रामें धीमी वृद्धि हुई थी। इसी प्रकार अन्य प्रवृत्तियोंमें मानव-बलकी मात्रा ६.६८ प्रतिशतसे बढकर १९५७-५८ में २७.३ प्रतिशत तथा १९५८-५९ में २५.४३ प्रतिशत हो गई। इस वृद्धिका श्रेय मुख्यतः श्रमदानको तथा मकान वाधनेके उत्साहको है। सेवाओ तथा काम-धधो (services and professions) में कोई वृद्धि नहीं हुई।

यद्यपि ग्रामोद्योगोका विकास होनेसे गावकी अर्ब-बेकारीका प्रश्न करीब करीब हल हो गया है, और मौजूदा काम-धधोमें अधिक विकासकी गुआइश नहीं रह गई है, फिर भी उस अनुपातमें कार्यकरोकी आयमें आवश्यक वृद्धि नहीं हुई। १९५५-५६ में गावकी कुल आय १०० मानी जाय, तो वह १९५६-५७ में बढकर १३८.९ हो गई। १९५७-५८ में वह ११२.२ प्रतिशत तथा १९५८-५९ में १३६.५ प्रतिशत थी। गावकी प्रति मनुष्य आय १९५५-५६ में रु० ११८.९, १९५६-५७ में रु० १४२.६, १९५७-५८ में रु० १२८.८ और १९५८-५९ में रु० ३५२.२ रही थी। यह अतिम वृद्धि न्यूनतम जीवन-स्तरकी दृष्टिसे आवश्यक आयका ४२.१ प्रतिशत है।

वर्तमान पद्धतिमें तैयार किये गये कार्यक्रमोके अनुसार आयमें पूरी वृद्धि न होनेमें १९५८-५९ के अन्तमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। उस समय गावमें एक सहकारी खेती-समिति आरम्भ की गई। समितिने अन्न समितिमें ट्रेक्टर और बिजलीसे चलनेवाला कोल्हू उधार लिया। इन वषकी आय अंदाजन् रु० १२८३३० होगी, जो १९५५-५६ में हुई आयकी २१७ प्रतिशत है। १९५९-६० में यह आय प्रति व्यक्ति रु० २३५.९९ प्रतिशत होगी।

दस वर्षक योजना-कालमें यशोकरणीकी क्रियाको तेज बनानेका माना गया है। पश्चिम-५ के कोर्टक-२ में दस वर्षकी योजनाके अन्त में दाना परिष्कार-नियाम — अर्थात् यशोका उपयोग करने और न नुकानेका नियाम — का नाम ग्रामोद्योगोंमें उपयोग किये जानेवाले मानव श्रम कृष्णा हो गये है। यदि इस योजना-कालमें यशोका उपयोग न किया जाय तो श्रम उन दो क्षेत्रोंमें ही ११२१०२ मानव-दिनकी

आवश्यकता होगी। इनमें से ६९२५२ मानव-दिनोका खेतीमें तथा ४६०६२ मानव-दिनोका उपयोग उद्योगमें होगा। इस हिसाबसे यह मानव-बल १९६९-७० में उपलब्ध मानव-बलका केवल ४६ प्रतिशत होगा। १९६९-७० में प्रति व्यक्ति खेतीकी जमीन केवल ०.८ एकड़ रहेगी, जो १९५५-५६ में १.०९ एकड़ थी। इस प्रकार प्रति एकड़ मनुष्योंकी संख्या बढ़ने पर भी मानव-बलकी संख्या तगी पैदा होगी। परिणाम यह होगा कि यदि यंत्रोका उपयोग न किया जाय, तो विकासकी कितनी ही संभावनायें मूर्तरूप ग्रहण नहीं कर सकेंगी।

इस तरह असल प्रश्न तो ग्राम-अर्थतंत्रके सभी अंगोका वस्तुतः विकास हो, इसके लिए क्रमशः टेकनिकल आविष्कारोके उपयोगके विषयमें सोचनेका है। जिन्हे हम स्वर्गित ग्राम-अर्थतंत्रके 'विकास-विन्दु' कह सकते हैं उनकी खोज की जाय और यदि उनका विकास किया जाय, तो खेती तथा अन्य क्षेत्रोके सूचित विकासके लिए परिशिष्ट-४ में बताये अनुसार साधन-सामग्री प्राप्त हो जायगी। साथ ही, स्वर्गित अर्थतंत्रके सबधमें यांत्रिक परिवर्तन करने पर बेकारीका जो भय उत्पन्न होता है वह भी नष्ट हो जायगा।

अब हम इस बातका विचार करे कि योजनामें कितनी मात्रामें यंत्रीकरण करनेकी बात सोची गई है। खेतीकी विभिन्न फसलोमें जो कियाये यंत्रोकी सहायतासे हो सकती है, उन सबमें यंत्रोका उपयोग किया जायगा। खेतीकी सिंचाई राज्यके ट्यूबवेल तथा सहकारी समिति द्वारा लगाये हुए एजिनकी मददसे की जायगी। दूसरी प्रक्रियायें दो ट्रैक्टरों और उनके साधनोंसे तथा चावल कूटनेके यंत्रसे की जायगी। ग्रामोद्योगोके क्षेत्रमें गुड और खाइसारीके उद्योगमें तथा पूनिया बनानेमें यंत्रोका उपयोग किया जायगा। सहकारी खेती-समिति एक यांत्रिक कोल्हू पहले ही ले चुकी है और दस वर्षोंके कार्यक्रमकी पहली मजिलमें वह दूसरा एक कोल्हू तथा दो सेन्ट्रीफ्यूगल मशीनें खरीदेगी। यह आशा रखी जाती है कि योजनाकी पहली मजिल पूरी होने पर लोगोंको यंत्रमें तैयार हुई पूनिया मुहैया की जायगी। यंत्रीकरणके फलस्वरूप १९६९-७० में खेतीके लिए आवश्यक मानव-बलमें घटती होगी। वह

६९२५२ मानव-दिनसे घटकर ४६०६० मानव-दिन हो जायगा। इस प्रकार उपलब्ध मानव-बल तथा आवश्यक मानव-बलके बीच सतुलन स्थापित होगा।

दस वर्षोंमें किसी भी प्रकारकी बेकारी पैदा किये बिना आयमें काफी वृद्धि होगी। परिशिष्ट-४ के कोष्ठक-२ में यह बताया गया है कि अलग अलग वर्षोंमें कमेलपुर गावकी कितनी आय होगी। गावकी कुल आय १९६४-६५ में रु० १८७८४० तथा १९६९-७० में रु० २४४८१२५ होगी। प्रति व्यक्ति आय १९६४-६५ में रु० ३१४ तथा १९६९-७० में रु० ३७७ होगी। दस वर्षकी योजनाके अंतमें प्रति व्यक्ति होनेवाली आयका जो अंदाज रूपा गया है, उसकी तुलना न्यूनतम जीवन-स्तरकी दृष्टिसे आवश्यक आय रु० ३६० के साथ अच्छी तरह की जा सकती है।

परिशिष्ट-५ के कोष्ठक-३ में दस वर्षके योजना-कालमें दोनों मजिस्ट्रा पर कमेलपुर गावकी उद्योग-धंधोंकी रचनाका चित्र पेश किया गया है। कोष्ठकमें बताये अनुसार १९६४-६५ के अन्तमें गावके धंधोंमें काफी विविधता आ जायगी। १९६४-६५ के अंतमें खेती तथा उद्योगोंका आंशिक यंत्रीकरण हो जायगा। जैसे जैसे गावकी आयमें वृद्धि होगी, वैसे वैसे यंत्रीकरणकी गति बढ़ेगी। और, एक तरफ उत्पादक प्रवृत्तियोंमें तथा दूसरी तरफ सेवाओं और धंधोंमें उपलब्ध मानव-बलके उचित विभाजनके लक्ष्यका हानि पहुँचाये बिना खेती तथा उद्योगोंका उत्पादन बढ़ेगा। यंत्रीकरण करनेमें आयमें वृद्धि होगी और साथ ही सेवाओं तथा उद्योग (services and professions) की विविध प्रवृत्तियोंमें भी लगातार गती मिलेगी।

परिशिष्ट

१

इजरायलके किबुत्ज़

योजनाबद्ध गांव

किबुत्ज़ क्या है ?

किबुत्ज़का अर्थ है यहूदियोंकी मातृभूमिकी समाजवादके सिद्धान्तके अनुसार स्थापना करनेके लिए स्वेच्छासे एकत्र हुए व्यक्तियोंका समूह । इस ध्येयकी सिद्धिके लिए उन्होंने मुख्यत खेती पर निर्भरवाला आर्थिक और सामाजिक घटक खड़ा किया है । इन घटकके सिद्धान्त हैं : पूर्ण समानता, परस्पर जिम्मेदारीकी भावना, दारोद-रथम तथा वैयक्तिक पूजीना निषेध । इस घटकमे सारा ही उत्पादन सामूहिक स्वामित्वके आधार पर होता है ।

किबुत्ज़ केवल सामूहिक खेती नहीं है, बल्कि सामूहिक जीवनका एक नमूना है । किबुत्ज़मे जीवनकी सारी जरूरतें सभीको मिलती हैं । समूची आय एकत्र की जाती है और किबुत्ज़के द्वारा सदस्योंकी सारी जरूरतें पूरी की जाती हैं । किबुत्ज़मे हर व्यक्ति अपनी शक्तिके अनुसार काम करता है और हर व्यक्तिको उसकी जरूरतके अनुसार मिलता है ।

किबुत्ज़का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है उसके सदस्योंकी स्वेच्छासे काम करनेकी वृत्ति । उसमे किसी पर किसी प्रकारका दबाव नहीं डाला जाता । किसी भी आदर्शके पास ऐसी सत्ता नहीं है, जो मुमेलके आधार पर खड़े सामूहिक जीवनकी लोकाधिक रचनाको नुकसान पहुंचा सके ।

प्रारंभ और विकास

प्रारंभमें क्विबुत्जका विचार सैद्धांतिक भूमिका पर नहीं किया गया था। जो लोग सबसे पहले इजरायलमें आये, उन्होंने अपने सिद्धान्तों तथा जीवनके मूल्योंके अनुसार सहज रूपमें उसका विकास किया। अन्यत्र उनके बसनेका अधिकार छीन लिया गया था, इसलिए सर्व-प्रथम इजरायलमें आनेवाले ये यहूदी स्थिरता तथा सुरक्षाकी जड़के रूपमें भूमिका महत्त्व भलीभांति समझते थे। यहूदियोंके लिए मातृभूमिकी स्थापना करनेकी प्रबल अभिलाषा रखनेवाले इन अगुवाओंके दल अलग अलग समयमें अलग अलग देशोंसे इजरायलमें आये। वे शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील वगैरा भिन्न भिन्न पेशोंके लोग थे। लेकिन उनमें से किसीको खेतीका अनुभव नहीं था। फिर भी इन सबने जमीन पर काम करनेका तथा खेतीसे संबंधित सारा आवश्यक श्रम अपने हाथोंसे करनेका निश्चय किया। आरंभमें उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। परन्तु ज्यूइश नेशनल फंडकी ओरसे उन्हें जमीन मिली, वे अपने सिद्धान्तों पर डटे रहे और अंतमें अपनी जमीन पर स्वपरिश्रमसे अपने निर्वाह जितनी आय प्राप्त करनेमें सफल हुए। आरंभकी सफलता और बड़े परिश्रमके वर्षोंमें उत्पन्न हुई मित्रताकी भावनाने प्रथम क्विबुत्जका रूप ग्रहण किया।

क्विबुत्जकी रचना

आज क्विबुत्जमें एकमात्र तीन बीजे मिली हुई हैं - ग्राम, सहकारी समिति और म्युनिसिपैलिटी। वह एक बड़े परिवार जैसा है, जो अपने गण सदस्योंकी जरूरतें पूरी करता है, उन्हें काम-धंधा देना है और उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओंका ध्यान रखता है। सामान्य रूपमें एक क्विबुत्जमें तीन सौसे पाच सौ व्यक्ति रहते हैं और उनका मुख्य उद्योग खेतीका होता है।

क्विबुत्जका सहायकारी समितिके नामे रजिस्टर कराया जाता है। सामान्य उमरक सभी स्त्री और पुरुष सदस्योंकी बनी हुई सामान्य सभा क्विबुत्जका धरम्यापिष्ठा समितिके अधिकारियोंको चुन लेती है।

बना अलग कार्योंके लिए — जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई वगैराके लिए — अलग अलग समितिया नियुक्त की जाती हैं। और व्यवस्थापिका समितिके सदस्य इन समितियोंके मंत्रियोंके रूपमें काम करते हैं। मंत्रीकी व्यवस्था एक चुना हुआ खेती-व्यवस्थापक करता है। उसकी मददमें धम, मशोन, मेवा, पशु, मर्गी, वनक, विजली, ईंधन आदि विभागोंके महापक व्यवस्थापक रहते हैं। सामान्य सभाओंका कामकाज लोकन्यायिक ढंगमें किया जाता है। नारे किबुत्ख राष्ट्रीय मजदूर मह-बारी समितियों तथा ग्राहक सहकारी समितियोंके साथ सम्यक् होते हैं। किबुत्खका कोई भी सदस्य राजनीतिक पार्टिका सदस्य नहीं हो सकता, परन्तु पूरा किबुत्ख चाहे जिन राजनीतिक पार्टिके साथ जुड़ जाता है।

कार्यक्रम

प्रत्येक किबुत्ख खेती, उद्योग, शिक्षा, सांस्कृतिक प्रवृत्तियों, नागरिक सुविधाओं वगैराके लिए चार वर्षकी योजना बनाता है। इस योजनाका हेतु नरको पूरा काम-धंधा देना और जीवन-स्तरको दिनांदिन प्रगति ऊंचा उठाना होता है। चार वर्षकी योजनाको ध्यानमें रखकर वार्षिक योजनायें तैयार की जाती हैं। वार्षिक योजनायें इस तरह तैयार की जाती हैं कि नरको पूरा वेतन मिल सके और माल भरणमें नरको कामके समान दिन मिल सकें। योजनाया अन्तिम मंगोश सामान्य मसा चर्चा करके मजूर लगती है।

किबुत्ख द्वारा एकादश वी हुई मन्थनिके अन्तारा महबारी वैकने मित्रनेवाडे ऋजरा भी हिमाय लगाया जाता है। किबुत्खके आर्थिक और सामाजिक जीवनकी रचना प्रगति बनानेके लिए की जाती है, इसलिए हिन्दी भी व्यावहारिक हाथकनके लिए पैस प्राप्ति विधि जा सक्ते हैं।

कामका प्रकार

किबुत्ख प्रत्येक सदस्यके समूहके आर्थिक और सामाजिक जीवनके लिए आवश्यक सभी काम करनेकी प्रेरणा रणी जाती है। पूरे वरमें सबसे लिए काम-धंधेकी व्यवस्था की जाती है।

विद्युत्शक्ति खेती मुख्यतः मिश्र प्रकारकी होती है। उसमें सालके वारहों महीने लोगोंको रोजी मिलती है तथा आर्थिक प्रयुक्तिको मजबूत बनानेके लिए विस्तृत मिचार्ड, यंत्रोक्त उपयोग, पशु-पालन वगैरा कार्योंमें सर्वनात्मक आवश्यकताये पूरी करनेके क्षेत्र पैदा होने हैं।

अधिक रोजी देनेकी दृष्टिमें तथा विद्युत्शक्ति आय बढ़ानेकी दृष्टिसे खेतीके साथ कारखानेकी पद्धतिमें चलनेवाले उद्योग भी बनाये जाते हैं। इन उद्योगोंके कारण अतिशुष्क, अनावृष्टि आदि कुदरती सकटोंसे सरक्षण प्राप्त होता है।

नीचेके आकड़ोंसे बड़े आकारके विद्युत्शक्ति कार्यों और उत्पादनकी कल्पना होगी

आवादी	१२५०	व्यक्ति	
परिवार	२५०	(परिवारमें औसत पाच व्यक्ति होने हैं)	
२५००	दुनाम	यानी	६२५ एकड़ सघन खेती
२०००	"	"	५०० " विस्तृत खेती
१००००	"	"	२५०० " अनाजके लिए विस्तृत खेती

कुल ३६२५ एकड़

प्रति मनुष्य जमीन: २.९ एकड़

वार्षिक उत्पादन

अड़ोका उत्पादन

मुगिया

ढोरोके तबेले १४०

२०००००० अडे

१३० टन

(हर तबेलेका दूध ५००० केन) कुल उत्पादन ७००००० केन

मछलियोंके तालाब २५० (६२५ एकड़) ७५ टन

केले ४५० दुनाम (९११२५ एकड़) ९०० टन

अगूर ४० एकड़ (१६० दुनाम) २०० टन

नीबू २५ एकड़ (१०० दुनाम) ६००० फ्रेट

अनाज १००० टन

पूजीकी व्यवस्था

इजरायलकी जमीनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। किवुत्जको जमीन किरायेसे दी जाती है। पूजी लगानेके लिए शिखर सहकारी मण्डलो जैसी बड़ी संस्थायें बैंकोके द्वारा कर्जके रूपमें पैसा देती हैं। जल्दके अनुसार थोड़ी थोड़ी रकम कर्जके रूपमें दी जाती है। ऐसा कर्ज २० से ३० वर्षकी अवधिके लिए दिया जाता है। अधिक पूजीकी जरूरत हो तो व्यापारिक कर्ज मिलता है। परन्तु उसके भाजकी दर ऊची होती है।

सामाजिक वातावरण

किवुत्जमें कोई गरीब नहीं होता और न कोई अमीर होता; और प्रत्येक सदस्यको सारी चीजें समान भागमें मिलनी हैं, इसलिए वहां पूर्ण समानताका वातावरण रहता है। समाजकी यह मांग होती है कि सब सदस्य अपने कामसे सतोष दिलायें। वहां आलस्य और कामचोरीके प्रश्न बार बार खड़े नहीं होते। सामाजिक वातावरण ही ऐसा रहता है कि हर आदमीका मन काम करनेका होता है। परन्तु हमारे प्रश्न हल नहीं हो जाते। तरह तरहके प्रश्न खड़े होते हैं। जाज वहां एक प्रश्न यह खड़ा हुआ है कि बच्चोंको माता-पिताके साथ रखा जाय या नहीं। अभी तो वे बालकोने छात्रालयोंमें रहने और भाना-पिनाके साथ अपने कुछ घंटे बिताते हैं। ऐसे मनुष्योंके प्रश्न भी होते हैं, जो समाजके साथ समरम नहीं हो पाते। नये दम अपनातेके बारेमें और अनुमान-भ्रम (बजट)के बारेमें मतभेद पैदा होने हैं। इन सारे प्रश्नोंको लोकतांत्रिक ढंगसे हल बिधा जाता है।

नीचे बनाई हुई समितिया अपना काम करती हैं, इसलिए किवुत्जका कामकाज सरलतासे चलता है।

१. आर्थिक समिति

अनुमान-भ्रम, पूजी-निर्धारण, योजना तथा खरीद-बित्रीने सम्बन्धित काम करती है।

२. कार्य-समिति

श्रम, प्रत्येक कामके लिए मजदूरोंका विभाजन, कुशलताके कार्य तथा दैनिक कार्योंके समय-पत्रकसे सम्बन्धित काम करती है।

३. शिक्षा-समिति

सुराक, मकान, बालशिक्षा, शिक्षक, खिलौने, माता-पिताको सलाह, सहायता तथा विशेष तालीमसे सम्बन्धित काम करती है।

४. कल्याण-कार्य समिति

मेकानोरु सज-सामान, छुट्टिया, जेवखर्च, व्यक्तिगत मागे, नये सदस्योंको दाखिल करना आदि काम करती है।

५. सांस्कृतिक समिति

छुट्टियो, त्योहार, पुस्तकालय और वाचनालयका काम देखती है।

६. स्वास्थ्य-समिति

स्वास्थ्य, दवादारु और डॉक्टरों तालीमका काम करती है।

७. सुरक्षा-समिति

रक्षा, चोरीसे संरक्षण, रातकी चौकीदारी, सेतीकी सुरक्षा, सलामतीके उपाय तथा रास्तोकी सलामतीके काम देखती है।

८. खेलकूद-समिति

खेलकूदके लिए मदद, खेलकूदकी तालीमकी व्यवस्था वगैरा काम करती है।

ज्यादातर लोगोंको उनके दैनिक कामके सिवा एकाध दूसरा काम भी मौपा जाता है। समितियोंके सदस्य प्रतिवर्ष बदलते हैं। सेती-व्यवस्थापक, खजानची वगैरा जिम्मेदार पदाधिकारियोंको तीन वर्ष तक चालू रहने दिया जाना है।

शिक्षाकी व्यवस्था

बालकोके छात्रालय तो मानो किबुल्यके हृदय हैं। ये छात्रालय माता-पिताके घरके पास ही रखे जाते हैं। शिक्षासे सवध रखनेवाले

कार्यों पर उदार हाथोंमें पैसा खर्च किया जाता है। शिक्षाकी अद्यतन पद्धतियाँ सीखनेके लिए कुछ व्यक्तियोंको विदेशोंमें सीखनेके लिए भी भेजा जाता है। किवुत्जकी शिक्षा-पद्धतिमें परीक्षाओंका अंत कर दिया गया है। वही वही तो १० विद्यार्थियों पर एक शिक्षकका अनुपात सिद्ध कर लिया गया है, जिस पर विश्वास करना कठिन होता है।

बालकों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बालक ज्यों ही काम करने योग्य हो जाते हैं, त्यों ही उन्हें खेतोंमें और पशुओंके साथ काम करना सिखाया जाता है। बालक अपने खेतोंमें स्वयं खेती करते हैं। वे पशु, भेड़-बकरी और मुर्गी-बनक पालते हैं। बालक पन्द्रह वर्षके होने होते तो ४ से ५ घंटेका शरीर-श्रम करने लगते हैं। उन्हें खेती और इजीनियरिंगकी तालीम दी जाती है। इजीनियरिंगकी तालीमके लिए वे कारखानोंमें काम करते हैं। बहुत कम बालक युनिवर्सिटीकी परीक्षामें बैठते हैं।

यह पर्याप्त मात्रामें सिद्ध हो चुका है कि किवुत्जके बालकोंमें मूत्र-बूझ अधिक होती है। वे अधिक अच्छे सैनिक अधिकारी बन सकते हैं। उनमें ज्यादा अच्छी व्यवस्था-शक्ति होती है। इसके सिवा, वे बिल्कुल स्वतंत्र वृत्तिके होते हैं।

किवुत्जमें स्त्रियोंका दर्जा बहुत ऊंचा होता है। घरकी कड़ी मजदूरीसे मुक्त होनेके कारण वे समस्त सामाजिक प्रवृत्तियोंमें पुरुषोंकी तरह ही भाग लेती हैं, इसलिए उनका व्यक्तिगत विकास अधिक होता है।

किवुत्जके सदस्योंका जीवन-स्तर उसकी आयके अनुसार होता है। नये स्थापित किवुत्जमें प्लायवुडकी शोपडिया अथवा तम्बू होते हैं। पुराने किवुत्जमें मकान सारी आधुनिक सुविधाओंमें युक्त होते हैं। लेकिन सामान्य किवुत्जमें सदस्योंका जीवन-स्तर भारतमें ३०० रुपये मासिक कमानेवाले व्यक्तियों जैसा होता है। पानी, विजली और डॉक्टरोंकी सहायताकी व्यवस्था करना राष्ट्रकी जिम्मेदारी होती है।

इस प्रकार किवुत्ज योजनावद्ध पद्धतिमें काम करनेवाले ग्राम-परिवारके समान होता है।

चीनी कम्यून

क्षेत्रीय आयोजनका एक उदाहरण

सन् १९५८ में इन कम्यूनोका आरम्भ हुआ तभीसे वे उग्र वाद-विवादका विषय बने हुए हैं। इस विवादमें ऊतरे बिना नीचे यह दिलानेका प्रयत्न किया गया है कि ये कम्यून किस प्रकार विकेन्द्रित मण्डलके रूपमें काम करते हैं तथा लोकतांत्रिक पद्धतिसे तैयार की हुई योजनाओं पर कैसे अमल करते हैं। यह विवरण चीनके सरकारी माहित्यके आधार पर तथा दिल्लीमें भरे गये विश्व-कृषि मेलेके चीनी मंडपमें आये हुए कुछ कम्यूनोके व्यवस्थापकोसे हुई वार्ताचर्चाके आधार पर तैयार किया गया है। इस समय चीनी कम्यूनोकी दशा अच्छी नहीं है। फिर भी उनकी इतनी उपयोगिता जरूर है कि वे क्षेत्रीय आयोजनके एक डाचेकी रूपरेखा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं।

कम्यूनोका आरम्भ

चीनमें जो जोने उसकी जमीन' की वाति आरम्भ हुई, उसके साथ ही महत्कारि आन्दोलन भी शुरू हुआ। जमीनके बटवारेके बाद मुगल हा परम्पर महायत्ना करनेवाले दल सडे हो गये। ये दल गरीब किसानोंके बन हुए थे। उनके पास बोल डोनेवाले पशु और खेतीके अन्य साधन नहीं थे। वे खेतोंके काममें एक-दूसरेकी मदद करने थे। परन्तु जमीन पशु और साधन उन्होंने वैयक्तिक मालिकीके ही रखे थे। साम्यवादके जन उन्हे प्रानाहिन शिया, इसलिए इन परम्पर महायत्ना करनेवाले दलाने सरकारी खरी-ममिनियोका रूप ले लिया। ये ममिनियो राज्यमें इत्र रखे अधिक जन्डे साधन और पशु खरीद करी। आरम्भमें ममिनियम गरीब दल जमीन-मालिकोंको बटनीके समय जमीनका फगल-साग विगसा कर जमीन पर उनका अधिकार स्वीकार किया जाता

वा। परन्तु बादमें जैसे जैसे साम्यवादी पक्षके कार्यकर्ता वातावरणको अनुकूल बनाने गये, वैसे वैसे जमीनका हिस्सा देना बन्द करके मजदूरीके अनुदानमें रोजी चुमाना शुरू किया गया। ये येती-समितिया सफल तो हुईं; परन्तु यह देखा गया कि मिचाइके साधनों तथा स्थानीय साधनोंका मूल्यें उपयोग करनेके बड़े बड़े कार्यक्रम हाथमें लेनेकी शक्ति इन समितियोंमें नहीं थी। इस कारण इन खेती-समितियोंको एकत्र करके नए ढंगका बड़ी सहकारी समितिया बनाई गईं। ऐसा होनेसे इन खेती-समितियोंने स्थानीय उद्योग, खरीद-बिक्री, बैंकिंग वगैरा किसानोंकी सेवाके काम हाथमें लिये। मजदूरोंकी समस्या बढनेसे ज्यादा अनुदाननवी जरूरत महसूस हुई। स्थायी मजदूर-नमूना बनाये गये और उन्हें विशेष शान्ति या विशेष कार्यक्रम सौंपे गये। दैनिक कार्यको व्यवस्थित बनानेके लिए समस्त जीवनको गैरिक्त ढंगमें संगठित किया गया। स्त्रिया उन्नादन-कार्यमें भाग ले सकें, हमारे लिए बालमूह और सार्वजनिक रगार्ड-घर कायम किये गये।

ये बड़ी सन्तुष्टी समितिया अनेक स्थानों पर अपने-आप अस्तित्वमें आईं। हमारे बाद साम्यवादी पक्षने इन समितियोंके कामकाजका अध्ययन किया और राष्ट्रीय उन्नादन बढानेकी उनकी महाधनाओंमें प्रभावित हुए। उन्हें राष्ट्रीय आन्दोलनका रूप देनेका निश्चय किया। साम्यवादी पक्षके कार्यकर्ताओंने लोगोंके भाव काम करके, साथमें ऐसी समितियोंके औचित्यके बारेमें निश्चय किया-किनाएँ करनेका सीधा संकेत देकर तथा इस संबंधमें लोगोंका निर्देश बनाकर अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया। अब लोगोंने एक कार्यक्रम स्वीकार किया तथा साम्यवादी पक्षके उम्मीदोंके अनुसार ही कुछ निश्चय निर्दिष्ट किया। आज ऐसी समितियाँ विभिन्न कम्यून बना रहीं हैं।

राज्यीय विधान

इसके कामकाजके कारण राज्योंको संगठित तथा सशक्त आधार-रूप प्राप्त हुआ है। राज्योंके अन्तर्गत स्थानीय उन्नादन, खरीद-बिक्री, बैंकिंग और शिक्षण कार्य तथा सार्वजनिक और गैरिक्त कार्यकायम कायम है। इन कम्यूनके निर्माण होनेकी शक्ति

सहकारी समितियोंके सदस्योंको ले लिया जाता है। इन समितियोंमें बड़ी सख्याके गावोंका समावेश कर लिया जाता है। कस्बेमें, जो राज्यका आधारभूत घटक है, एक या एकसे अधिक कम्पून हो सकते हैं।

सहकारी समितियोंके अलावा व्यक्ति भी अपने उत्पादनके साधन कम्पूनको सौंपकर उसके सदस्य बन सकते हैं। जो जायदाद कम्पूनको सौंपी गई उसमें से आधी शेयर-पूजीकी तरह और आधी जमा-पूजीकी तरह मानी गई। इन कम्पूनोकी व्यवस्था सारे सदस्यों द्वारा चुने हुए सदस्योंकी समितिया करती है। साम्यवादी पक्षकी ओरसे या कम्पूनके किसी दलकी ओरसे किसी उम्मीदवारको खड़ा नहीं किया जाता। खेती, उद्योग, शिक्षण, सैनिक कामकाज, गावकी सुविधायें वगैरह तरह तरहके कामोकी व्यवस्था अलग अलग समितिया करती है। साथ ही, ज्यादातर सदस्योंको एक या दूसरी समितिके किसी न किसी कामकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसके सिवा, आवश्यक बातोकी चर्चा करनेके लिए सामान्य सभाकी बैठक समय समय पर हुआ करती है। इन कम्पूनोमें लोकतांत्रिक ढंगसे काम होता है और सारे कामोमें सबको समान अधिकार होते हैं।

कम्पूनका काम खेतीका उत्पादन बढ़ाना, उद्योगोंका विकास करना, रास्ते बनाना, सिंचाईकी नालिया वगैरह साफ करना तथा अद्यतन यानायातकी व्यवस्था करना होता है। कम्पूनके भीतर डाककी व्यवस्था कम्पून स्वयं ही कर लेता है। वह राज्य बैंककी स्थानीय शाखायें, राज्यका व्यापार तथा प्राथमिक और माध्यमिक शाखायें चलाता है तथा रिवाहाका रजिस्टरमें दर्ज करता है। इस प्रकार वह सरकारके आधारभूत घटकका तरह काम करता है।

समस्त स्थानीय सम्पत्ति अर्थात् मानव-शक्ति और साधन-सम्पत्ति कम्पूनके तांत्रिक नियंत्रणके अधीन है। कम्पूनका सबसे बड़ा संगठन है तांत्रिक। गांव उत्पादन मंडलार चुने हुए प्रतिनिधि तथा स्त्रिया, युवक, बूढ़ शिक्षक आदिगिक मजदूर, किसान आदि वर्गोंके प्रतिनिधि इस तांत्रिक मंडल्य हैं। कामका आधार पर चुनी हुई यह कांग्रेस बादमें एक व्यवस्था समिति और निरीक्षक समिति नियुक्त करती है।

बड़ा अद्य विनिष्ट विभागोंवाली इस व्यवस्थापक समितिके हाथमें माननी सत्ता होती है।

एक निश्चित वेतन-पद्धतिमें मद्रम्योको उनके कामके अनुसार वेतन बुझाया जाता है। कुशलताके कामका और विशेष घण्टेसे सम्बन्धित वेतनका ऊँचा वेतन दिया जाता है। मजदूरीकी दरे सामान्य सभा प्रति-वार्षिक योजना तथा अनुमान-पत्र (बजट) निश्चिन करते समय दर करती है।

योजना

प्रतिवार्षिक म्यार्नाय उपलब्ध सम्पत्ति तथा सरकारकी ओरसे मिलने-वाली स्वामके आधार पर कम्यूनके लिए योजना तैयार की जाती है। इस योजनामें केवल उत्पादनका लक्ष्यको ही समावेश नहीं होता, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाएँ, गावकी सुविधाएँ, मरानारी स्वता वर्गका भी समावेश होता है। व्यवस्थित मरानों, सबकी अनुकूलताका ध्यान रखकर गोरी गई दुकानों, आराम-घरों, आंगण-वेन्डी, बाल-मन्दिरों, माध्यमिक शास्त्राओं, मार्गजनि रगोई-घरों परी, गरी व्ययस्था करने कम्यूनकी योजनाबद्ध यन्नी बनानेका प्रयत्न किया जाता है। पारिवारिक जीवनको प्रोत्साहन दिया जाता है। निरसी पर आदकार पाठन-पाठन और काम दोनोंका जो योज है उसे प्रोत्साहन दिया जाता है। जिन बुद्धीके देणमाल करनेवाला कोई नहीं होता, उन्हें 'बुद्धपर' में रखा जाता है। निश्चिन मार्गजनि रगोई-घरका या आत्मपूराका उपयोग करना अनिवार्य नहीं होता।

मरानों: अधिकांश २५००० की आबादीवाले क्षेत्रोंके निवासियोंको समान स्वामीय बुद्धकी समर्पित जमीन, निश्चिन पदावी, पशुधो तथा उत्पादनकी सार्वजिक और स्वतन्त्रकारी स्वामी की जाती है। उनके निम्नके अनुसार मरानका कर देना पड़ता है। वे मरानपरिवर पदावी अपने क्षेत्रका उत्पन्ना और विभाग करत है। इसके निम्न वास्तुवाकी देणमाल - इसके लक्ष्यका वेतन, मरान मजदूरीका बजटमें बँटि निश्चिन तथा आंगण मरानकी देणके रगोई तथा निष्पाद रगोईका विभाग की: बाँटे के अन्तरी स्वर्णिक के अन्तर्गतकृतकृत्य करने है।

प्रत्येक कम्प्यून अपनी योजना तैयार करता है। परन्तु सारे कम्पूनोके व्यवस्थापक तथा सरकारी अधिकारी साथ मिलकर उस योजनाको राज्यकी योजनाके साथ जोड़ देते हैं।

उत्पादन

कम्पूनके सारे सदस्योंको खेती, उद्योग, सेवाओं वगैराके अनेक दलोंमें बांट दिया जाता है। इन दलोंकी गतिशीलता (mobility) पर उत्पादनके कार्यक्रमका आधार रहता है। जो लोग उद्योगों और सेवाओंका काम करते हैं, वे खेतीके खास मौसममें खेतीका काम भी करते हैं और बाकीके समयमें अपना अपना काम करते हैं। कम्पूनोमें बेकारी नहीं होती। क्योंकि वहां बेकार पड़ी हुई सम्पत्ति तथा साधनोंका पूरा उपयोग करके थड़ी सख्यामें कारखाने खड़े किये गये हैं। वे कारखाने अलग अलग पद्धतियोंसे चलाये जाते हैं। खेती सधन पद्धतिसे लगभग बागाती खेतीकी तरह की जाती है। उसमें आवश्यक मजदूरोंको लगाकर उनकी शक्तिका पूरा पूरा उपयोग किया जाता है। खेती और उद्योगोंकी योजना पहले तो स्वावलम्बनके खातिर की जाती है। बाजारके लिए भी उनकी योजना की जाती है। साम्यवादी पक्षके एक प्रस्तावके अनुसार स्थानीय परिस्थितिको ध्यानमें रखकर उद्योगोंकी व्यवस्था करने तथा धीरे धीरे खेतीसे उद्योगोंकी ओर मजदूरोंको मोड़नेकी बात सुझाई गई है। ये उद्योग रासायनिक खाद, जन्तुनाशक दवाएँ, खेतीके साधन तथा इमारतोंमें लगनेवाला सामान बनानेवाले हो सकते हैं, कच्चे मालको तैयार मालमें बदलनेवाले हो सकते हैं, शक्कर, कपड़ा तथा कागज बनानेवाले हो सकते हैं, खानो, धानु-विज्ञान और विजलीकी शक्तिसे सम्बन्ध रखनेवाले हो सकते हैं तथा दूसरे छोटे और बड़े उद्योग हो सकते हैं।

इसमें बड़े बड़े राष्ट्रीय उद्योगोंके साथ विकेन्द्रित योजनाके लिए स्पष्ट आह्वान है। प्रत्येक कम्पूनको स्थानीय नेतृत्वके मार्गदर्शनमें तथा अपनी परिस्थितियोंका और मजदूरोंकी आवश्यक सरयाका खयाल करके हर तरहके उद्योगोंका विकास करना होता है। कम्पूनोके सध

भी श्रमस्तर पर या उच्चतर स्तर पर कामकाज करनेके लिए कुछ मानव-श्रमका उपयोग करते हैं।

वेतन

कम्यूनके नारे सदस्योंको उत्पादन-योजनामें पहलेसे निश्चित न्युंये दृष्ट स्तरके अनुसार मजदूरी चुकाई जाती है। मजदूरीके सिवा सदस्यों तथा उनके परिवारोंको मुफ्त भोजन मिलता है। परन्तु सामान्य नीति यह है कि जब तक कम्यूनकी आर्थिक स्थिति स्वावलम्बी बनने जिनना फड एकत्र न हो जाय, तब तक मुफ्त चीजें देना बन्द रखा जाय।

जीवन-पद्धति

कम्यून पितृप्रयावाले पारिवारिक जीवनके बदले लोभतात्रिक पारिवारिक जीवनकी स्थापनाका प्रयत्न करता है। पहले चीनमें मजदूरोंको उनके परिवारके मुखियाके मारफ्त मजदूरी चुकाई जाती थी; उनके बदले अब हर मजदूरको व्यक्तिगत रूपमें मजदूरी चुकाई जाती है। मिश्रणकी मुक्तिके लिए बालगृहों, बाल-मन्दिरों, सार्वजनिक रसोई-घरों, मिन्नाई-दर्रे वगैराकी मुविधायें उत्पन्न की जाती हैं। इनके फलस्वरूप मिश्रण स्वयंत्र बन गई है। गावोंमें प्रतिदिन आठ घंटे काम करनेका नियम लागू किया गया है। इस समयका घटाकर छह घंटोंका दिन करनेका प्रयत्न चल रहा है। इसके सिवा, दो घंटे अपने मनचाहे विषयका अध्ययन करनेके लिए या कम्यूनकी ओरसे चलनेवाली मान पाठ्यक्रमों अध्ययन करनेके लिए रये गये हैं।

कम्यूनमें कारखानों या सेनारी तरह जीवन अनुशासनबद्ध है। प्रत्येक कम्यूनमें निश्चित समय-श्रमके अनुसार काम दिया जाता है। यहा नैतिक तालीम भी दी जाती है।

सरकारी मार्गदर्शन

जब कम्यून अच्छी तरह काम करने लगे और जब उनमें लगभग पूरी काम-आवृत्ति का समावेश कर लिया गया, तब साम्यवादी पक्षने तथा सरकारने उनके आर्थिक विभागों लिए सक्रिय महामना

देना शुरू किया। पक्षके अगुवा लोग भाषण देकर तथा लोगोंके साथ खेतोंमें और कारखानोंमें काम करके कामका स्तर निश्चिन करते थे और उनका उत्साह टिकाये रखते थे। सरकारने कम्प्यूनोंको खेतीके लिए तथा औद्योगिक कारखानोंके लिए मार्गदर्शनके रूपमें और आर्थिक कर्जके रूपमें सहायता की थी।

दो उदाहरण

१. खान चुआ

यह उत्तरी चीनका एक कम्पून है। ५३ प्रगतिशील मजूकारी समितियाँ मिलकर इस कम्पूनकी स्थापना की थी। उसमें ६९ गावोंका समावेश कर लिया गया है। उसमें १३०७३ परिवार और लगभग ६४००० आदमी हैं। उसके पास २३००० एकड़ जमीन है और मारी जमीनमें सिंचाई की जाती है। ४७ प्रतिशत जमीनमें ऊँचाईवाली जमीनमें पानी बहाकर सिंचाई की जाती है और बाकी जमीनमें पंपसे सिंचाई की जाती है। सदस्योंके पास अपनी व्यक्तिगत माटिकीके आटे छोटे पशु और धाक-भाजीकी वाड़ीवाले मकान हैं।

कम्पूनकी जमीनमें गेहूँ, कपास, मकई, बाजरी, गन्जम, मूँगफली, धान शकम्बद और अन्य विविध फसलें पकाई गई थी। ये फसलें बहुत नजदीक-नजदीक बीज बाँकर पकाई गई थी।

३७००० काम करनेवाले आदमियोंमें से ७५ प्रतिशत लोगोंने पूरा साल जमीन पर काम किया। बाकीके लोग ३३४ औद्योगिक कारखानोंमें काम करते थे। इन कारखानोंमें २ बिजली-सेन्ट्र, ४ यंत्रोंकी मरम्मत करनेवाले कारखाने, ३ खेतीके साधनोंके कारखाने, ५ घरेलू चीजोंके कारखाने, २ सीमटके कारखाने, ११ ईंटके भट्टे, २ मिट्टीके बरतनाई कारखाने, १७ आटरी चक्कियाँ, ७२ खाद्य सामग्रीके कारखाने, १० कारखाने, ६ चमार्य, ६ शकम्बी भट्टियाँ, २७ कपड़ा-मिलें, ७ नए कपड़े आदि ममावण शाना है।

कम्पूनके ग्राम विभाग स्थित हैं। हर विभागमें दवाखाना, नर्सरी, प्राथमिक शाळा, टुकटार स्टेशन तथा नागरिकोंकी अन्य

वावश्यकतायें जुटानेकी व्यवस्था की गई है। कम्प्यूनकी अपनी एक बैंक भी है। उसमें सदस्य अपनी बचत जमा कराने हैं। बैंक उन्हें पैसे उधार देती है और उनकी ओरसे पैसे चुकानेका काम भी करती है।

वेतन और मजदूरीका स्तर प्रतिवर्ष निश्चित किया जाता है। इरॉनियर, डॉक्टर, कम्प्यूनके व्यवस्थापक वगैरा लोगोको ऊंचा वेतन दिया जाता है। परन्तु सबसे अधिक वेतन और सबसे कम वेतनके बीच केवल पाच गुना फर्क होता है। जिन्हें अधिक वेतन मिल सकता है वे बहुत बार कम वेतन लेते हैं।

हर पाच सदस्य प्रतिवर्ष अपना एक प्रतिनिधि चुनकर कम्प्यूनकी कांग्रेसमें भेजते हैं। ये प्रतिनिधि ३७ सदस्योंकी एक व्यवस्थापक समिति तथा कम्प्यूनका व्यवस्थापक चुनते हैं। यह व्यवस्थापक पहले किसान था और उसने चीनकी मुक्तिके बाद रात्रिशालाओंमें शिक्षा पाई थी। वह प्रतिमास ७ दिन तक खेतीका काम करता है; इसके सिवा व्यवस्था और निरीक्षणका काम भी करता है।

२. कुशिंग कम्प्यून

यह कम्प्यून २७ खेती सहकारी समितियोने एकत्र होकर स्थापित किया था। इसमें १२३ गाव शामिल कर दिये गये हैं। कम्प्यूनमें ११००० परिवार तथा ५५००० आदमी हैं। इनमें २०००० आदमी ऐसे हैं, जो कड़ी मेहनत कर गतने हैं। कम्प्यूनके पास २५००० एकड़ खेतीके लायक जमीन है। यह जमीन बहुत उपजाऊ है, लेकिन वहाँ पानीकी कमी है। कम्प्यूनके सदस्य व्यापारिक फमशेके रूपमें कपास और गुग्गुलुके लिए नाररबद, गेहूँ तथा ताक-भाजी पैदा करते हैं।

कम्प्यूनकी स्थापनाके बाद सदस्योंने जल-संग्रहका कार्यक्रम हाथमें लिया और एक मालमें मालाबोको गोदर गहरा बना दिया। इन मायाबोंमें इतना पानी संग्रह किया जा सकता है, जिससे २०००० एकड़ जमीनमें ऊंचाई नीचे पानी बहाकर या पानी मदने बिचार्ड की जा सके।

कम्प्यूनमें पहले ही खरबे कामने हर परिवारको कुल ६० १००० की आय हुई। परन्तु दस आयकी परिपार्गमें बाटनेके धराय कम्प्यूनने

मिनेमा, बिजली, टेलीफोन तथा ट्रेक्टरोंके लिए अलग निकालनेका निर्णय किया। उसने सारे सम्य परिवारोंको ग्युराक, डॉक्टरोंकी मदद और बाल-गृहोंकी सेवा मुफ्त दी। उसने ऐसी व्यवस्था भी की, जिनसे प्राथमिक, माध्यमिक और सेतीका शिक्षण मुफ्त मिले। इसके सिवा, होशियार विद्यार्थियोंको उच्च शिक्षणके लिए छात्रवृत्ति देनेकी व्यवस्था भी की।

कम्प्यून्के पास १५ कपासकी जिने, १ बिनौन्से तेल निकालनेका कारखाना, रजाइयो और सर्दोंके कपडोंके लिए रई दवानेके १५ कारखाने, ४५ आटेकी चक्किया, ३० मुतारोंके वर्कशाप, १५ लुहारोंके वर्कशाप, २८ मिट्टीके कारखाने — जिनमे खपरैल, ईंटें तथा नल बनाये जाते हैं, ८५ जूतोंके कारखाने, ३६ दरजीकी दुकानें, ३५ धुलाईकी दुकाने, ६ रासायनिक खादके कारखाने, ८२ सजीव खादके कारखाने तथा १ यंत्रोंकी मरम्मतका वर्कशाप है। इस कम्प्यून्मे बॉल बेयरिंग हाथसे बनाया जाता है।

मुविधाओंमें कम्प्यून्के पास २५४ सार्वजनिक रसोई-घर, २१६ बालगृह, ९३ बाल-मन्दिर, ६० प्राथमिक शालाये, ९ माध्यमिक शालायें, २१ प्रभूति-गृह तथा २० वृद्धघर हैं। यह कम्प्यून् एक युनिवर्सिटी भी चलाना है। उसमें कुशल व्यक्ति सीखनेवाले लोगोंको शिक्षा देते हैं।

विभिन्न घटकोंके लिए प्रक्रिया		गृह घटक	प्राप्त घटक	क्षेत्र घटक	प्राथमिक घटक
४० प्राप्नोयोग	प्रक्रिया				
प्रवृत्ति					
१. सादी	वर्ताई	कल्लाई	-	-	-
	पिजाई	-	पिजाई	-	-
	पूनी बनाना	-	-	-	-
	बुनाई	बुनाई	ताना बनाना	-	-
			तथा बाजी		
			पिलाना		
	रगाई तथा	-	-	सादे सूत तथा	कलापूर्ण छपाई
	छपाई			कपडेकी रगाई	तथा रगाई
	धुलाई तथा	-	-	धुलाई	केलेन्डरिंग
	केलेन्डरिंग				
	बिनी तथा	-	-	आंतरिक विक्री	वाहरो विक्री तथा
	रई एकत्र				रई एकत्र करना
	करना				

चमडा उता-	-	चमडा उता-	चमडा उतारना
रना तथा मूल पशु-पशुश्रावण शय एवत्र करना	-	रना	तथा मूल पशु-ओके शय एवत्र करना
चमडा समाना	-	-	चमडा कमाना
चमडकी चजे बनाना	-	-	-
चमडा माल तथा चमडे एरन करना	-	-	कच्चा माल तथा चमडे एकर करना
विश्री	-	-	वाहरी विश्री
इंट तथा लप-रेल बनाना	-	-	इंट तथा लप-रेल बनाना
वरतन बनाना	-	वरतन बनाना	गल्लेवाले वरतन बनाना
गत्रा पेलना	-	गुड तथा राव बनानेके लिए बेलना	खाडसारीके लिए विजलीसे चलता कोल्हू

३. मिट्टीमा काम

४. गुड और गाडगारी

	तेलहन पेरना	तेलहन पेरना	बिक्री	तेलहन सग्रह करना	तेल-उद्योग
५. तेल	तेलहन पेरना	-	तेलहन पेरना	तेलहन सग्रह करना	बाहरी बिक्री तथा कच्चा माल और तेलहन सग्रह करना
६. साबुन	तेलहन पेरना तथा साबुन बनाना	-	तथा साबुन बनाना	आंतरिक बिक्री	घनिया, कोल्हू, पिजडिंकी मशीन तथा चरखेके लोहेके भाग, लडकी चीरना
७. गुतारी और लुहारी	खेती तथा ग्रामो-द्योगिके साधन	खेतीके साधन	ओजारोकी मरम्मत	चरखे बनाना	-
	मराम बनानेका माल-सामान	-	-	-	-
	छोटा बकंशाप	-	-	छोटा बकंशाप	फाउन्ड्री-बकंशाप
	फाउन्ड्री-बकंशाप	-	-	-	अस्पताल
८. स्थास्थ	दवाखाना	-	हेल्थ विजिटर नर्स	दवाखाना	

कमेलपुरके अर्थतंत्रकी स्वावलम्बनकी प्रक्रिया

१९६०-६१ से १९६९-७० तककी १० वर्षकी अवधिमें कमेलपुर गावकी खेती, पशु-पालन, ग्रामोद्योग तथा मकान-वधाई वर्गोंके लिए तैयार किये गये विकास-कार्यक्रमका खर्च अनुमानसे रु० ५१४३९० होगा। इसमें रु० २२४१८५ का श्रम किया जायगा तथा कच्चे मालके रूपमें रु० ७०३७० का खेतौका माल काममें लिया जायगा। यह खर्च कुल खर्चका ५७.०६ प्रतिशत है। बाकीके ४२.७४ प्रतिशत खर्च अर्थात् रु० २१९८३५ में से करीब रु० १४३८०२ (२७.९ प्रतिशत) की सीमेन्ट, लोहा, रंग, खाद और अच्छी जातिके पशु बाहरसे मगाये जायगे। और बाकी रहे रु० ७६०३८ की ईंट, चूना, बालू, लकड़ी वगैरा स्थानिक श्रमसे तैयार किये जायगे। ईंटें पकानेके लिए कोयला बाहरसे लाया जायगा।

इस प्रकार सारे खर्चको दो बड़े भागोंमें बांट दिया गया है। एक भाग स्थानीय श्रम और खेतीके उत्पादनका है, जो ७२.१ प्रतिशत है। दूसरे भागमें २७.९ प्रतिशत माल बाहरसे मगाया जायगा। पहले भागके खर्चके लिए गावमें ऐसी कार्यक्षम व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे स्थानीय मानव-शक्ति और दूसरी सम्पत्तिका विकास-कार्यक्रमके लिए पूरा पूरा उपयोग हो। दूसरे भागके खर्चके लिए गावको अधिक उत्पादन करना चाहिये ताकि बाहरकी चीजोंका आयात किया जा सके।

पहले भागका खर्च पूरा करनेके लिए ग्रामवासियोंने अपनी तैयारी दिखाई है। और इसके लिए उन्होंने जरूरी कदम भी उठाये

है। उन्होंने गावके ३० सदस्योंकी एक सहकारी समिति बनाई है तथा एक बैंककी स्थापना की है। इस बैंकने गावमें उपलब्ध संपत्तिका विकास-कार्यक्रमोंमें उपयोग करनेकी जिम्मेदारी अपने सिर ली है। १९५९-६० में सहकारी समितिको तीन स्थानों पर वॉरिंग करनेमें तथा पानी निकालनेके लिए बिजलीसे चलनेवाले पंप बँटानेमें सफलता मिली है। मिचाइके लिए उसने ६० ६४०० खर्च किये हैं तथा क्षेत्र-समितिके उसने एक ट्रेक्टर और बिजलीसे चलनेवाला कोल्टू किराये पर लिया है। बैंकने मकान बाधनेका लगभग सारा ही कार्यक्रम पूरा कर दिया है। मकान बाधनेका खर्च ६० १२५०० कूता गया है। इस प्रकार मनुष्यों और साधनों जैसा गावकी सम्पत्तिका पूर्ण उपयोग करनेमें सफलता मिलेगी।

दम वषकी अवधिमें बड़े पैमाने पर जो पूजा लगानी होगी, उनके लिए गाव किस प्रकार अपनी शक्तिशाली विकास करेगा, इसका अध्ययन बड़ा रसप्रद मिड हो सकता है। सहकारी क्षेत्री-समिति तथा बैंकके कारण कार्यक्रमका खर्च कम होगा। ये दोनों समस्यायें मुख्य नकद मजदूरी दिने बिना इस कार्यक्रमके लिए आवश्यक थम प्राप्त कर सकेंगी। अधिकांश थम उत्पादनके समय मजदूरी देनेकी बात तब तक प्राप्त किया जायगा। उदाहरणके लिए, १९५९-६० में कुछ सदस्याने थोड़ी या पूरी मजदूरी कटनीके समय ली थी। इसके बिना, सहकारी क्षेत्री-समितिके ही गन्ना पेरनेकी जिम्मेदारी करने सिर ली है, इसलिए पेरनेके दिन जो गन्ना खादिके उसकी मजदूरी नहीं देनी पड़ेगी। इस परमे यह मान लेना गलत नहीं होगा कि प्रतिवर्ष थालू पूजाके समय कुछ थालू उर्चके १ भागमें ज्यादा रकमकी आवश्यकता नहीं होगी।

दम वर्षके समयमें विद्यापकी अलग अलग मजिदों पर गावकी धारके अनुयायन किनो पूजा रीतिनी पड़ेगी, इसका पता लगानेमें

पूर्व हमें एक बात ध्यानमें रखनी चाहिये। टिकाऊ साधनोंके खर्चमें उनकी घिसाईके खर्चकी व्यवस्था शामिल होनी चाहिये, ताकि उनके टूटने पर नये साधन खरीदनेमें सुविधा रहे। इसके लिए सहकारी खेती-समिति अपनी आयका बटवारा सदस्योंमें करे उसके पहले आयका दस प्रतिशत भाग वह अलग निकाल लेगी। इस तरह लोगोकी आय पर घिसाई-खर्चका सीधा असर नहीं पड़ेगा।

कोष्ठक न० ३ में यह बताया गया है कि इस दस वर्षकी अवधिके पहलेके एक वर्षमें गावकी आयका कितना भाग पूजाके रूपमें लगाया गया था। कोष्ठक न० ४ में यह दिखाया गया है कि दस वर्षकी अवधिके अंतिम वर्षमें आयका कितना भाग पूजाके रूपमें लगाया जायगा।

कुल वार्षिक आयका कितना भाग वार्षिक पूजाके रूपमें लगाया जायगा, यह बतानेमें इस बातका पता चलेगा कि योजना-कालमें अधिकसे अधिक कितनी पूजाकी जरूरत होगी। उसके आधार पर यह देखा जा सकेगा कि वार्षिक आयका कितना भाग चालू उपयोगके लिए मिल सकेगा और कितना भाग पूजा-नियोजनके लिए बचाना पड़ेगा।

सकान बाधनेके कार्यक्रमकी वजहसे, जिसमें पहले पांच वर्षोंमें प्रतिवर्ष लगभग रु० १०००० का खर्च होगा, तथा उत्पादनके साधन पैदा करना शुरू करनेकी वजहसे १९५९-६० की आयका ५०७ प्रतिशत भाग पूजा नियोजनके लिए बचना होगा। इस नियोजनका अंतिम वर्ष १९६०-६१ में अर्थात् प्रथम पांच वर्षकी अवधिके अंतिम वर्षमें भी आयका दस प्रतिशत भाग अलग निकाला जायगा। इस प्रकार दस वर्षोंमें प्रतिवर्ष आयका ३५९ प्रतिशत होगा। लम्बे समय तक आयका दस प्रतिशत अलग निकालना वार्षिक पूजाकी मात्रा इन दो वर्षोंमें कमसे कम ५० प्रतिशत तक बढ़ाने में सहायक होगा।

इस प्रकार दस वर्षोंमें अर्द्धिम पूजाका जो नियोजन करना होगा, वह अत्यधिक अधिक आसान होगा। इस तरह कुल नियोजन

१९५९-६० की आयका ३९.५ प्रतिशत होगा तथा दस वर्षकी योजनाके अन्तिम वर्षमें होनेवाली आयका १२१ प्रतिशत होगा।

उन्माहसे काम करनेवाले स्थानीय सगठनोंके पूजी-नियोजनका तथा पिमाई-फंड और अमानत-फंडकी व्यवस्थाका विचार करने पर ग्रामवासियोंकी अपना लक्ष्य सिद्ध करनेकी शक्तिमें विश्वास करनेके लिए हमारे पास पर्याप्त कारण है। इसमें कोई सदेह नहीं कि भविष्यमें यदि कुदरत रुठ जाय, तो कठिनाइया उठाकर भी ग्रामवासी जहरी पूजा अपने विकास-कार्यक्रममें अवश्य लगायेंगे।

कोष्ठक

योजनाके साधनोंका

[१९६०-६१ से

क्रमांक	व्यौरा	कुल खर्च (रुपये)	मजदूरी	खेतीका माल	इंटे
१.	खेती तथा पशुपालन अनावर्तक खर्च	१,५५,०५०	२१,९८५	—	१४,५४०
	आवर्तक खर्च	२,१४,३४०	१,५७,८७०	४०,३७०	—
	जोड़ (१)	३,६९,३९०	१,७९,८५५	४०,३७०	१४,५४०
२.	शामोद्योग अनावर्तक खर्च	२६,४००	९६०	—	६००
	आवर्तक खर्च	४२,६००	९,६००	३०,०००	—
	जोड़ (२)	६९,०००	१०,५६०	३०,०००	६००
३	भरान वधाई	७६,०००	३३,७७०	—	१६,०६०
	जोड़ (३)	७६,०००	३३,७७०	—	१६,०६०
	कुल (१)+(२)+(३)	५,१४,३९०	२,२४,१८५	७०,३७०	३१,२००

कोष्ठक

गायकी आयका

वास्तविक आय (रुपये)

क्रमांक	व्यौरा	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८
	खेती व पशुपालन	५३,६००	५८,६००	३९,९६०
	ग्रामाद्याग	६०००	१०,२६०	१६,३४५
	अन्य	१०००	५,०००	१०,०५०
	कुल	६०,६००	७३,८६०	६६,३५५

१
कुकुव वववव
११११-३० वव

वुव	ववु	वुवु	वुवुव	वव	वववु	ववव
१,०००	१,३३०	८१,३२०	५,१००	१,०००	१,०००	१३,९२५
—	—	—	—	—	—	१६,१००
१,०००	१,३३०	८१,३२०	५,१००	१,०००	१,०००	१४,०२५
१६	३०	२१,१००	१६६	—	१९०	३,०१६
—	—	—	—	—	—	३,०००
१६	३०	२१,१००	१६६	—	१९०	६,०१६
८३०	२,६०५	१,९,८४	९,१४६	३१५	३,३१०	३,३४०
८३०	२,६०५	१,९,८४	९,१४६	३१५	३,३१०	३,३४०
२,३८८	६,२६३	१,०४,८०४	१४,३८८	१,६१५	१३,१९०	६३,५८१

२
कुकुव वववव

ववववव	ववववव	ववववव (ववव)	ववववव
१९५८-५९	१९५९-६०	१९६४-६५	१९६९-७०
३८,३८०	३८,१३१	१,३४,०००	१,३५,८१५
२१,८००	२८,३१९	०१,३००	४३,४००
२०,५२०	२१,८८०	२२,३४०	२८,९००
८०,७००	१,२८,३३०	१,८३,८४०	२,४८,११५

योजना-कालमें आयके अनुपातमें वार्षिक पूंजी-नियोजनकी मात्रा [१९६०-६१ से १९६४-६५ तक]

आय (₹०)	वार्षिक पूंजी-नियोजन (₹०)	आयके अनुपातमें टिकाऊ माल पर पूजी-नियोजनका प्रतिशत	आयके अनुपातमें टिकाऊ माल पर पूजी-नियोजनका प्रतिशत
₹ १०५१-६०	* १९६४-६५ टिकाऊ माल चालू पर पूंजी	कुल १९५९-६०	१९५९-६०
१,२८,३३०	१,८७,८४०	१९६४-६५	१९६४-६५
* १९५९-६० की आय १९६०-६१ के पूंजी-नियोजनके लिए उपलब्ध होगी।	२८,६६८	३६,४४१	६५,१०९
		५०.७	३५.१९
		२२.३	१५.०५

कोष्ठक ४

योजना-कालमें आयके अनुपातमें वार्षिक पूंजी-नियोजनकी मात्रा [१९६५-६६ से १९६९-७० तक]

आय (₹०)	वार्षिक पूंजी-नियोजन (₹०)	आयके अनुपातमें टिकाऊ माल पर पूजी-नियोजनका प्रतिशत	आयके अनुपातमें टिकाऊ माल पर पूजी-नियोजनका प्रतिशत
₹ १९६४-६५	* १९६९-७० टिकाऊ माल पर पूंजी	कुल १९६४-६५	१९६४-६५
१,८७,८४०	२,४८,११५	१९६९-७०	१९६९-७०
* १९६४-६५ की आय १९६५-६६ के पूंजी-नियोजनके लिए उपलब्ध होगी।	२२,८२२	७४,२१०	३९.५
		२९.९	१२.१
		१२.१	९.२

विभिन्न क्षेत्रोंमें मानव-शक्तिका उपयोग

क्र	वर्ष	उपलब्ध		खेती और पशुपालन		ग्रामोद्योग		अन्य		कुल	उपयोगका प्रतिशत
		मानव-शक्ति (मानव-दिन)	दिन	मानव-शक्ति (मानव-दिन)	दिन	मानव-शक्ति (मानव-दिन)	दिन	मानव-शक्ति (मानव-दिन)	दिन		
१	सर्वप्रथम वर्ष	१९५५-५६	५८,९००	३०,६२५	८१,९४४	४,२५०	११,३८८	२,५००	६,६८३	३७,३७५	६३.४
२	प्रथम वर्ष	१९५६-५७	५९,७००	३०,६२५	६५,४४४	१४,२८२	३०,५३३	१,८८१	४,०३३	४६,७८८	७८.३
३.	दूसरा वर्ष	१९५७-५८	६०,८००	२७,५०७	४६,९४४	१५,१६७	२५,७६६	१६,००६	२७,३०६	५८,६८०	९६.५
४	तीसरा वर्ष	१९५८-५९	६२,७००	३०,१९१	५४,३९१	११,९९१	२०,१८८	१४,१४३	२५,४३३	५५,५२५	८८.५
५.	चौथा वर्ष	१९५९-६०	६४,९००	३२,२४०	५१,३८८	२१,०८१	३३,६००	९,३२९	१४,८२१	६२,८५०	९६.८
६.	प्रथम दूरदर्शी योजनाकी अवधि	१९६४-६५	६९,७००	५१,३००	७३,६००	१३,७००	१९,७००	४,७००	६,७००	६९,७००	१००.०
७	द्वितीय दूरदर्शी योजनाकी अवधि	१९६९-७०	७६,६००	५२,७००	६८,८००	१६,२००	२१,२००	७,७०९	१०,०००	७६,६००	१००.०

५

कोष्ठक १

उपलब्ध मानव-शक्तिमें से मानव-शक्तिके उपयोगका प्रतिशत

यंत्रशक्तिके उपयोगके कारण मानव-शक्तिमें परिवर्तन

१९६९-७० में मानव-शक्तिकी आवश्यकता

तुलनात्मक दृष्टिसे
मानव-शक्तिकी आवश्यकता

क्रमांक	व्योग	वायंक्रमका विस्तार	मानव-शक्तिकी आवश्यकता	कुल	मुधरी हुई पद्धति (मानव-दिन)	यात्रिक पद्धति (मानव-दिन)
		मुधरी हुई यात्रिक पद्धति	मुधरी हुई यात्रिक पद्धति			
(अ) खेती*		(एकड़)	(मानव-दिन)			

१. पूर्व-सैयारी	—	९००	—	१,४२४	७,३९०	१,४२४
२. बुवाई	—	८२०	—	१,९४१	४,२०३	१,९४१
३. जुताई	—	६०५	—	७,०६२	८,११०	७,०६२
४. साद देना	—	९००	—	२,४८२	४,४२०	२,४८२
५. रोपाई	७०	—	१,३८०	—	१,३८०	१,३८०
६. निराई	८२५	—	३,१३०	—	३,१३०	३,१३०
७. दवा	—	६७०	—	७०८	७०८	७०८

* विभिन्न फसलोंकी सारी क्रियाओंका यंत्रोंकी मददसे यंत्रीकरण करनेका निर्णय किया गया है। अधिकांश फसलोंकी केवल निराई, रोपाई और कटाईमें यंत्रोंका उपयोग नहीं किया जायगा।

१९ यशो गप्पा पेरना	३६०	५,२००	—	५,२००	५,२००	—	५,२००
व० मन लाड							
और खाडसारी बनाना ७,५००							
ब० मन राब							
२० अनाजना रूपतर	३,९००	३००	—	६००	६००	३,९००	३००
२१ तेलहन पेरना	१२० मन	—	६००	—	६००	६००	८५
२२ सुनारी	—	—	१,८००	—	१,८००	१,८००	१,८००
२३ सुतारी	—	—	९००	—	९००	९००	९००
२४. धमडेका काम	—	—	६००	—	६००	६००	६००
२५ मोची काम	—	—	९००	—	९००	९००	६००
<hr/>							
जोड़ (२)	—	—	४,८००	११,९२५	१६,७२५	४२,८५०	१६,७२५
<hr/>							
कुल (१)+(२)	—	—	२०,७३५	४२,०५०	६२,७८५	१,१२,१०२	६२,७८५

एन पंचके योजना-कालमें कमेन्चुर गाँवके पंचकी रचना

मान-दिनमें काम-धरा

(१९६९-७०)

कुल मान-दिनका प्रतिशत

कुल मान-दिनका प्रतिशत

प्रतिशत

वर्ग

१. नंगी जोर कम्पाना

१. १४०

२. ४०

३. सुदीनान

४. १०

२. काबेदोष

६. ६००

७. ५२००

मार्ग

३,२००

७ बुनाई	१००	—	१,२००	—
८ दर्जीशाम	१००	—	१,२००	—
९ तेलटून पेरना	६००	—	६००	—
१० सुतारी	१००	—	१००	—
११ मुनारी	१,८००	—	१,८००	—
१२ चमडेगा काम	६००	—	६००	—
१३ गोचीशाम	—	—	१००	—
जोड (२)	१३,३००	११.६	१६,२००	२१.१
३ १४ निर्माण	१,२००	—	१,२००	—
जोड (३)	१,२००	१.६	१,२००	१.५
४. १५. व्यापार	६००	—	६००	—
जोड (४)	६००	०.८	६००	०.८
५. सेवा				
१६. शिक्षक	६००	—	१,५००	—
१७. डॉक्टर	—	—	३००	—

